लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 9-4-80

की

कार्य सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक अप्रैल 9, 1980 में विचारणीय

- : विषयों की सूची : -

क्रम संख्या	क्या ?		कहाँ ?
1-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक फरवरी 2, 1980 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण	-	पृष्ठ -1
2-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की दिनांक 24-11-79, 22-12-79 एवं 2-2-80 की बैठकों में लिये गये निर्णयों की अनुपालन-आख्या ।	-	पृष्ठ -5
3-	बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति आख्या ।	-	पृष्ठ-14
4-	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों के विक्रय एवं ट्रान्सपोर्ट्स एसोसियेशन के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में निर्णय ।	-	पृष्ठ-16
5-	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।	-	पृष्ठ-27
6-	अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एन" के जनसंख्या के घनत्व तथा मार्गों की चौड़ाई उत्तर प्रदेश बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट, 1958 में निर्धारित चौड़ाई से कम रखने के सम्बन्ध में ।	-	पृष्ठ-31
7-	लक्ष्मण टीले के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अतिथि-गृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।	-	पृष्ठ-32
8-	लखनऊ विकास प्राधिकरण में दोहरी लेखा-प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में ।	-	पृष्ठ-34
9-	लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट वर्ष 1980-81 ।	-	पृष्ठ-38
10-	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।		

- : 0 : -

दीक्षित/-

विषय संख्या: ।

पृष्ठ संख्या: ।

विषय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 2 फरवरी, 1980 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

x=x=x=x=x

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 2 - 2 -80 का कार्यवृत्त पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है ।

======::::000::::======

एम/आर xxx

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 2-2-1980
जो पूर्वान्ह 4-00 बजे प्राधिकरण कमेटीकक्ष में हुई,
का कार्य-वृत्त
x x x x x x x x x

उपस्थित :

1-	श्री बी0जे0खोदायजी	आयुक्त एवं सचिव,उ0प्र0शासन, आवास, नगर विकास एवं सहायता एवं पुनर्वास विभाग ,लखनऊ । {दिनाँक 2-2-1980 की बैठक में अध्यक्ष चुने गये }
2-	श्री बी0के0चतुर्वेदी	उपाध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
3-	श्री जयन्ती प्रसाद दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ ।
4-	श्री ओ0पी0विश्नोई	महाप्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ ।
5-	श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम	सदस्य,विकास प्राधिकरण,लखनऊ ।
6-	श्री कमेश्वर शंकर बाजपेयी	सदस्य,विकास प्राधिकरण,लखनऊ ।
7-	श्री मरगोब अहमद लारी	सदस्य,विकास प्राधिकरण,लखनऊ ।

x x x x x x

अन्य उपस्थित :

1-	श्री ध्यान सिंह वर्मा	सचिव,लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

x x x x x x

विषाय संख्या: 1 — विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-12-1979 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव: — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-12-1979 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नलिखित संशोधनों के साथ की गयी :-

1- श्री एम0ए0लारी, सदस्य,विकास प्राधिकरण की उपस्थिति निरस्त समझी गयी ।

2- विषाय संख्या-7 में पारित प्रस्ताव निम्न प्रकार से पढ़ा जायेगा :

"विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के व्यय पर उक्त पार्क हटा दिया जाये तथा उस स्थान पर वर्षा का निर्माण करा दिया जाये " ।

विषाय संख्या: 2 — कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों के आवन्टन की प्रक्रिया तथा ट्रान्सपोर्टस ऐसोसियेशन के यूनियन भवन के लिये भूमि की दर का निर्धारण ।

पारित प्रस्ताव: — लखनऊ ट्रक ट्रान्सपोर्टस ऐसोसियेशन के अध्यक्ष श्री गुरु बक्श सिंह बक्शी के पत्र दिनाँक 11-1-1980 पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय

क्रमश:----2

लिया गया :-

1- ट्रान्सपोर्ट नगर में रू0 7-40 पैसा प्रति वर्ग फिट की दर से भूखाण्डों की जो भी कीमत आये उसका एक चौथाई धन आवन्टन के समय प्रत्येक आवन्टी से जमा करा लिया जाये तथा शेष 3/4 धन 4 वार्षिक किश्तों में जमा करा लिया जाये ।

2- भूखाण्डों का आवन्टन लाटरी पद्धति से किया जाये ।

3- ट्रान्सपोर्टस ऐसोसियेशन के यूनियन भवन के लिये भूमि सामान्य दर से 50 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध करा दी जाये ।

तद्नुसार, दिनाँक 22-12-1979 को प्राधिकरण की बैठक के विषय संख्या-4 में पारित प्रस्ताव को उक्त हद तक संशोधित कर दिया गया ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :

विषय संख्या: 3 — लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: — नगर में कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना हेतु विचार किया गया तथा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा प्रस्तावित निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1- कैटिल कालोनी की स्थापना हेतु एक अल्प कालीन तथा एक दीर्घ कालीन योजना बनाई जाये ।

2- अल्प कालीन योजना इस प्रकार से बनाई जाये कि उसका दीर्घ कालीन योजना में समावेश हो जाये ।

3- पशु स्वामियों को कैटिल कालोनी की स्थापना हेतु कुछ सुविधायें एवं सहायता प्रदान की जाये जिसमें मिल्क ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था का भी प्राविधान हो । मिल्कमैन के लिये आवासीय भूखाण्ड आरक्षित किये जायें तथा प्रत्येक 10 पशुओं के लिये .5 एकड़ क्षेत्रफल का भूखाण्ड लीज़ पर दिया जाये ।

4- उक्त योजना का समाचार पत्रों के अतिरिक्त "विविध भारती" प्रोग्राम में रेडियो व्दारा भी विज्ञापन दिया जाये ।

क्रमश:--- 3

5- पशु-स्वामियों की बैठक अलग बुलाकर उनसे विचार-विमर्श कर लिया जाये ।

6- एक तिथि निश्चित कर दी जाये जिसके पश्चात कोई भी पशु निषिद्ध क्षेत्र में नहीं रह सकेगा ।

7- पशु स्वामियों के लिये उसी स्थान पर आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाये ।

8- दो प्रकार के शेड बनाये जायें जिसमें से कुछ 5 पशुओं के लिये हों तथा कुछ 10 पशुओं के लिये हों ।

9- स्थान की व्यवस्था निम्न प्रकार से की जा सकती है :-

1- खुला स्थान तथा दो कमरे ।
2- खुला स्थान तथा शेड ।
3- खुला स्थान तथा शेड एवं दो कमरे ।

10- उक्त योजना में दुग्ध निदेशक से भी योगदान लिया जाये ।

11- शासन के विभिन्न विभागों से जन सेवायें (कमुनिटी सर्विसिज़) जुटाने हेतु योगदान लिया जाये ।

12- उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करके उपाध्यक्ष महोदय व्दारा कैटिल कालोनी के स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

ह0 ध्यान सिंह वर्मा
(ध्यान सिंह वर्मा)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अनुमोदित
==========

ह0 बी0जे0खोदायजी,
11-3-80
(बी0जे0खोदायजी)
सचिव
आवास एवं नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
विधान भवन, लखनऊ

एम/आरxxx

मद संख्या- 2 पृष्ठ सं0-2

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की दिनांक 24-11-79, 22-12-79 एवं 2-2-80 की बैठकों में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 की
- : अनुपालन आख्या : -

विषय संख्या	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
1 -	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के कार्यवृत्त का पुष्टि-करण ।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक 28-9-79 के कार्यवृत्त की निम्न संशो-धनों के साथ पुष्टि की गई :-	
		1- श्री ओ0पी0विश्नोई, महाप्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश जल निगम का उपस्थिति इन्द्राज निरस्त किया जाय ।	निरस्त किया गया ।
		2- विषय सं0-2 में पारित प्रस्ताव-1 के स्थान पर अब निम्नलिखित वाक्य लिखा जाये :- "विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि अर्जन से मुक्त न की जाय तथा डा0 टण्डन को उनकी इस अर्जित भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि पिछले निर्धारित नियमों व दरों व शर्तों पर आवण्टित कर दी जाये ।"	तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
		3- विषय संख्या-6क में अब निम्नलिखित पैरा भी जोड़ दिया जाये :- "उ0प्र0 जल निगम को स्कीम की कास्ट पर हाता रसूल खाँ में भूमि दे दी जाये तथा विषय संख्या-6ख के पारित प्रस्ताव के क्रम संख्या-ख के बाद एक क्रम सं0-ग भी जोड़ दिया जाये, जो निम्न प्रकार से होगा :- विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि छोड़े जाने एवं विस्थापितों हेतु गाइडलाइन्स तैयार करने हेतु एक उपसमिति गठित की जाती है, जिसमें उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य, ल0वि0प्रा0 एवं श्री एम0ए0लारी, सदस्य, ल0वि0प्रा0 और आयुक्त एवं सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधि सदस्य सदस्य होंगे । यह उपसमिति अपनी रिपोर्ट विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी ।	उपसमिति की संस्तुति शीघ्र प्रस्तुत की जायेगी ।

क्रमशः- --2.

1	2	3	4
		4-विषय सं0-9 में पारित प्रस्ताव में जहाँ-जहाँ प्रतिवर्गफुट लिखा है, इसके आगे प्रतिमाह भी जोड़ दिया जाये ।	तदनुसार संशोधन करके कार्यवाही की जा रही है ।
2- लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।		2.5: पत्रावली खोने के बारे में जाँच की जाये व जिम्मेदारी निर्धारित की जाये तथा कर्मचारी, जो जिम्मेदार हो, को दण्डित किया जाये ।	पत्रावली रिकान्सट्रक्ट करने तथा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही
		ख- उक्त पत्रावली पुन: रिकान्सट्रक्ट की जाये ।	की जा रही है ।
		ग-मूल प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाये ।	प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत कर दिया गया है ।
		2.6: नजूल सम्बन्धी मैनेजमेण्ट के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राजस्व परिषद एवं जिलाधिकारी लखनऊ से नजूल अधिकारी तुरन्त सम्पर्क स्थापित करें तथा आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करायें ।	अभी तक राजस्व परिषद द्वारा एक तहसीलदार एवं एक नायब तहसीलदार एक कानूनगो ही योगदान किया है, जो कार्य कर रहे हैं । जो स्टाफ भर्ती करना था उसके भर्ती करने की आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है ।
		अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में प्राधिकरण कार्यालय प्रांगण में ही उक्त मामलों की सुनवाई के लिये एक अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट के बैठने की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।	जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अनधिकृत कब्जों के मामलों के निस्तारण हेतु एक अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट की प्राधिकरण प्रांगण में बैठकर मुकदमें निपटाने हेतु आदेश पारित कर दिये गये थे, किन्तु संबंधित अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उपरोक्त व्यवस्था नहीं हो सकी । इसके लिये पुन: जिलाधिकारी को लिख दिया गया है ।
		नजूल कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन	
		1- शासन से अनुरोध किया जाय कि नजूल एन्क्रोचमेण्ट हटाने के लिये नजूल मैनुअल अरबन प्लानिंग ऐक्ट में प्रभावी संशोधन किये जाये	शासन से अनुरोध किया जा रहा है। किया गया है।
		2- अतिक्रमणों का सर्वेक्षण करने के लिये लेखपालों की भर्ती की जाये । ताकि शीघ्र अतिक्रमण रिपोर्ट प्राप्त हो सके और भवन विभाग द्वारा अनधिकृत कब्जे/निर्माण को जो नजूल भूमि पर किये गये हैं, को गिराने की कार्यवाही की जा सके ।	लेखपालों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है । ८ अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है।

क्रमश:- - -

1	2	3	4
		3-नजूल भूमि बबीउल्लाह रोड पर गोमती आवास योजना बनादी जाय ।	योजना बना दी गई है ।
		4- नजूल के फट/पुराने नक्शों को सही किया जायतथा इस सम्बन्ध में कलेक्टरेट की सहायता ली जाय ।	पुराने फटे हुये नक्शों को सही करने का कार्य किया जा रहा है तथा कलेक्टरेट की सहायता ली जा रही है ।
		5- नजूल अधिकारी के नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन से अनुरोध	नजूल के बढ़े हुये कार्यों को दृष्टिगत रखते हुये शासन से अनुरोध किया गया है कि प्रान्तीय सिविल सेवा के स्तर का एक नजूल अधिकारी नियुक्त कर दी जाय । ताकि नजूल के मामलों का द्रुतिगति से निस्तारण किया जा सके ।
3- बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध आख्या ।		निर्णय लिया गया कि जिन श्रोतों से धन उपलब्ध हो सकता है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये । आवश्यकतानुसार हडको के लिये और स्कीमें बनाई जायें तथा रिवाइज्ड बजट जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय कि इस वर्ष कितना कार्य कराया जा सकेगा तथा कितना धन उपलब्ध हो सकेगा, का विवरण भी बनाया जाय ।	हडको से 102.55लाख का ऋण स्वीकृत हो चुका है । 149.3 लाख के ऋण की स्वीकृति के लिये प्रयास किये जा रहे हैं, एल0आई0सी0 से 130.65लाख का ऋण भूमि अर्जन एवं विकास के लिये स्वीकृत हो चुका है तथा सामान्य बीमा निगम से ई0डब्ल्यू0एस0 दो संजिले भवनों के लिये 100 लाख का ऋण प्राप्त हो चुका है। तथा 9.5 लाख शासन से पार्क के लिए अनुदान प्राप्त हो चुका है।
4-	25 एम0आई0जी0 भवनों का अलीगंज आवास योजना में प्रस्तावित निर्माण कार्य (द्वितीय चरण द्वितीय खण्ड)	व्ययानुमान 1203825/- एवं मे0 रुश्दी कान्स्ट्रक्शन की रू0 12,48,720-50 की स्वीकृति प्रदान की गई ।	नोट किया गया ।
5-	अलीगंज आवास योजना में 25 एम0आई0जी0 भवनों के निर्माण की स्वीकृति ।	व्ययानुमान 1203825/- एवं मे0 मदर सन्स की 12,51,048-70 की स्वीकृति प्रदान की गई।	नोट किया गया ।
6-	नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में	निम्नांकित शर्तों के साथ आटो रिक्शा प्रथम चरण में 50 क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।	निर्णयानुसार आटो-रिक्शा चलवाने की कार्यवाही की जा रही है।
7-	सेक्टर "एल"अलीगंज योजना द्वितीय चरण में जनसंख्या के घनत्व, पार्क का क्षेत्रफल कम करने तथा मार्गों की चौड़ाई कम करने के सम्बन्ध में	निर्णय लिया गया कि इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाय।	तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

क्रमशः- - - 4.

1	2	3	4
8-	अलीगंज योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एम" में जनसंख्या का घनत्व 285 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6.30 प्रतिशत तथा पाथवेज की चौड़ाई 15 फिट रखने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि विषय संख्या-7 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाय ।	तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
9-	अलीगंज आवासीय क्षेत्र के द्वितीय चरण में सेक्टर "एन" में जनसंख्या का घनत्व 373 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 8% तथा पाथवेज की चौड़ाई 15 फुट रखने के संबंध में ।	" उपरोक्त "	तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।
10-	ओल्ड पोस्ट आफिस कामर्शियल काम्पलेक्स की स्कैच एवं वर्किंग ड्राइंग्स तैयार करने के लिये रू0 2.34 लाख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग को दिये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित फीस का भुगतान कर दिया जाये ।	भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
11-	लखनऊ नगर का वर्तमान प्रमाणिक मानचित्र तैयार कराने हेतु सर्वेक्षण की अनुमति ।	निर्णय लिया गया कि समस्या का अध्ययन करके प्रस्ताव आगामी बैठक में रखा जाय ।	तदनुसार अध्ययन किया जा रहा है । रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।
12-	मे0वास्तुआंख को छितवापुर कामर्शियल काम्पलेक्स के ड्राइंग आदि तैयार करने के लिये आवश्यक भुगतान आदि के विषयमें ।	निर्णय लिया गया कि ओपेन टेण्डर करने के पश्चात् निम्नतम टेण्डर यदि निर्माण नियम का आता है और वह निर्माण करता है तो मे0 वास्तुआंख को काम्पलेक्स की पूर्ण कीमत का 2% फीस देय होगी । यदि उक्त कार्य कोई प्राइवेट एजेन्सी करती है तो मे0 वास्तुआंख को 3% फीस देय होगी ।	निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा मेसर्स वास्तु आंख के साथ एग्रीमेण्ट भी प्रतिपादित हो चुका है ।
13-	रिण्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित की गई 38 दुकानों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।	विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिया गया:- किराया 3-20 प्रतिवर्गफुट, प्रतिमाह तथा विस्थापितों से कोई प्रीमियम न लिया जाय । प्रथम 5 वर्ष तक उक्त किराया 2-40 की दर से तथा उसके बाद 5 वर्ष तक 3-20 लिया जाय तथा इस किराये को 25% तक प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ाने का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा । 2-अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) के पत्र दिनांक 2 अगस्त, 1979 द्वारा भेजी गई लिस्ट जिसमें 60 व्यक्तियों के नाम हैं को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया गया ।	निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है और अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) की रिपोर्ट में क्रमांक-7 पर 23 शब्द लिखा है, जिसके सम्बन्ध में पुन: क्लैरिफिकेशन लिया जा जा रहा है । मामले का निस्तारण शीघ्र कर दिया जायगा ।

क्रमश:- - -5.

1	2	3	4
14-	हजरतगंज स्थित जनपथ मार्केट व्यवसायिक केन्द्र में स्थित गोदामों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया था कि भविष्य में जो भी गोदाम खाली हो उन्हें शासन की आरक्षण-नीति को ध्यान में रख कर आवण्टित किया जाय तथा विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों/भवनों एवं भूखण्डों का आवण्टन भी उपरोक्त आरक्षणनीति के अनुसार ही किया जाय ।	शासनादेश के अनुसार आरक्षण नीति अपनायी जा रही है तथा तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
15-	सेवानिवृत्त की दिनांक को प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के अवकाश लेखा में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि के नकद भुगतान के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 26-4-78 उन कर्मचारियों पर जो दिनांक 30-9-77 या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हो, लागू कर दिया जाये ।	पालन किया जा रहा है।
16-	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को चिकित्सा भृत्तता दिये जाने के विषय में ।	निर्णय लिया गया कि शासनादेश दिनांक 6-10-79 में उल्लिखित दरें दिनांक 1-10-79 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अथवा उच्च पद पर पदोन्नति पाने की दशा में अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू की जायेंगी अन्यथा इसके पूर्व के आदेश यथानुसार लागू रहेंगे ।	पालन किया जा रहा है ।
17-	विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र को अन्य विभागों में नियुक्त हेतु अग्रसारित करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि:- 1- कार्यरत अधि0/कर्म0 के प्रार्थनापत्र नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष तक अन्य विभागों में अग्रसारित न किया जाये। 2- नई नियुक्तियों की दशा में इस आशय का अनुबन्ध करा लिया जाय कि उनके प्रार्थना पत्र 3 वर्षों तक अग्रसारित न किये जायेंगे ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
18-	प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण के वाहनों का निजी प्रयोग में लिये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि यह एक नीति विषयक मामला है अतएव इसे शासन के विचारार्थ प्रेषित कर दिया जाये तथा शासन के जो भी निर्देश प्राप्त हो उसी के अनुसार कार्यवाही की जाय ।	प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है । आदेश अपेक्षित है ।
19-	प्राधिकरण के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाय तथा जो निर्देश प्राप्त हो तदनुसार कार्यवाही की जाय ।	प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है आदेश अपेक्षित है।

क्रमशः - - - 6.

1	2	3	4
20-	भूखण्ड सं0 -3 मोतीझील सी पिल योजना के अंतर्गत आवण्टन के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में यदि शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो इसकी स्थिति पता लगा ली जाये तथा विधिक राय एवं शासन के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये उपाध्यक्ष इस पर अन्तिम निर्णय ले लें ।	तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
21-	विधिक मामलों में कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष/सचिव, विकास प्राधिकरण के अधिकार प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।	विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया ।	प्रतिनिधायित अधिकारों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
22-	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कमेटियों का गठन ।	स्थगित किया गया ।	पुन: प्रस्तुत किया जायेगा ।
23-	प्रथमचरण में निर्मित नक्खास की दुकानों के समक्ष पार्क को हटाकर फर्श अथवा खड़ंजे का निर्माण ।	स्थगित किया गया ।	पुन: प्रस्तुत करके निर्णय लिया जा चुका है ।
24-	यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा सरोजनी नगर एवं अमौसी औद्योगिक क्षेत्र के स्वीकृत ले-आउट में विकास कार्य के लिये एमीनेण्ट से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।	इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया गया कि संबंधित क्षेत्र जब नगरमहापालिका, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जायेगा तो जो विकास व्यय मांगा जाय वह उन्हें जमा करना होगा तथा इसका लिखित आश्वासन भी देना होगा ।	निर्णय से यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 को अवगत करा दिया गया है ।
25-	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों का विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में ।	स्थगित ।	पुन: प्रस्तुत किया जा चुका है ।
26-	प्राधिकरण के भवनों के किराये की वसूली बैंक के माध्यम से होने की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में ।	स्थगित ।	पुन: प्रस्तुत करके निर्णय लिया जा चुका है ।
27-	विद्यालयों को भूमि आवण्टन हेतु उप-समिति की अनुशंसा।	स्थगित ।	अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।
28-	उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को 25 लाख रुपये तक के प्राविधिक कार्यों के व्ययानुमोदन एवं निविदा स्वीकार किये जाने के अधिकारों का प्रतिनिधायन ।	स्थगित ।	पुन: प्रस्तुत करके निर्णय लिया जा चुका है ।
29-	तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड सं0-4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन एवं तत्सम्बन्धी विक्रय पूर्व नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने की संस्तुति की जाती है । संस्तुति शासन को प्रेषित की जाये ।	निर्णयानुसार संस्तुति शासन को भेज दी गई है।

क्रमश:- - -7.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-12-79 की
- : अनुपालन- आख्या : -

1	2	3	4
1-	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।	नोट किया गया ।
2-	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 की अनुपालन आख्या ।	सचिव के अनुरोध पर इसे अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।	इस बैठक में उक्त अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा रही है ।
3-	बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति आख्या ।	सचिव ने अवगत कराया कि वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।	इस बैठक में उक्त अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा रही है ।
4-	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों का विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में ।	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों का विक्रय मूल्य 7-40 प्रति वर्गफुट निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा लीज रेण्ट का निर्धारण भी कर दिया गया । एजेन्सीज जनसेवाओं व एसोसियेशन के लिये यूनियन भवन हेतु भूमि दिये जाने के संबंध में भी निर्णय लिये गये तदनुसार अन्य शर्तें भी निर्धारित की गई ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गई तथा विषय पुन: प्राधिकरण के निर्णय हेतु 2-2-80 की बैठक में प्रस्तुत किया गया ।
5-	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के प्रस्ताव-26 द्वारा गठित उप समिति की विद्यालयों को भूमि आवण्टन हेतु अनुशंसा ।	निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में आवास-विकास परिषद से सूचना ले ली जाय तथा उप-समिति गठित की गई, जिसके सदस्य सचिव, आवास एवं पुनर्वास, आवास-आयुक्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उपाध्यक्ष एवं श्री करुणा शंकर वाजपेयी, सदस्य होंगे । यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त समिति की रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये ।	अगली बैठक में उप-समिति की अनुशंसा प्रस्तुत की जायेगी ।
6-	प्राधिकरण के भवनों की किराये की वसूली बैंक के माध्यम से होने की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि जनवरी, 1980 से किराये की वसूली बैंक के माध्यम से न करके प्राधिकरण स्वयं कराये ।	अनुपालन हो गया है ।
7-	प्रथम चरण में निर्मित नदखास मार्केट की दुकानों के समक्ष निर्मित पाथ हटाकर खड़ंजा या फर्श लगाया जाना ।	निर्णय लिया गया कि इस पाथ को हटाकर फर्श का निर्माण करा दिया जाय और आने वाला व्यय दुकानदारों से लिया जाय ।	इसमें पुन: संशोधन यह हुआ कि व्यय स्वयं प्राधिकरण वहन करेगा । तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमश:- - - 8.

1	2	3	4
8-	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कमेटियों का गठन ।	स्थगित हुआ ।	अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।
9-	उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को 25-00 लाख रुपये तक के प्राविधिक कार्यों की निविदायें एवं व्ययानुमान स्वीकार करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन ।	उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 20(2) में दर्शित कार्यों के संचालन हेतु 5(2) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-9-78 के विषय सं0 10(1)(घ) को संशोधित करते हुये स्वीकार किया गया ।	नोट किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
10-	कुर्सी रोड एवं सीतापुर रोड के बीच की भूमि का अर्जन ।	1757.53 एकड़ भूमि आवासीय योजना के संचालन हेतु अर्जित करने की अनुमति प्रदान की गई । तथा योजना का नाम "सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना" रखने की अनुमति प्रदान की गई ।	निर्णयानुसार अर्जन की कार्यवाही की जा रही है ।
11-	शहर के मध्य बटलरगंज स्कीम के भूखण्ड संख्या-23 की भूमि का अर्जन ।	निर्णय लिया गया कि यदि आवास विकास परिषद की कोई योजना उक्त स्थल पर न हो तो अर्जन की कार्यवाही की जाये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
12-	शहर के मध्य बटलरगंज स्कीम में भूखण्ड सं0-10 की भूमि का अर्जन ।	उपरोक्त ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
13-	ए0पी0सेन रोड स्थित मवैया चारबाग योजना के नजूल भूखण्ड सं0-14 पर आवासीय योजना ।	निर्णय लिया गया कि उक्त नजूल भूखण्ड सं0-14 के तीज राइट्स अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित कर आवासीय योजना बनाने की अनुमति दी जाती है ।	तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
14-	नक्खास योजना में चिड़िया बाजार के समीप क्षेत्र को अर्जित करके विकसित करने के सम्बन्ध में ।	उक्त भूखण्ड की भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करके शापिंग काम्पलेक्स बनाने की अनुमति दी जाती है ।	तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
15-	नक्खास योजना में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानों के आवण्टन के संबंध में ।	निर्णयानुसार बड़ी दुकानों का किराया रु0 100/- तथा छोटी दुकानों का किराया 75/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया । इसी के साथ उक्त किराये को प्रत्येक निर्धारित अवधि में बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय में प्रीमियम की धनराशि भी निर्धारित की गई ।	तदनुसार दुकानों का आवण्टन किया जा रहा है तथा निर्णयानुसार किराये एवं प्रीमियम का भी निर्धारण किया जा रहा है ।

क्रमशः- - -9.

बैठक दिनांक 2-2-1980 में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या

1	2	3	4
1-	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-12-79 के कार्यवृत्त का पुष्टि करण।	निम्न संशोधनों के साथ पुष्टि की गई :-	
		1-श्री एम0ए0लारी, सदस्य की उपस्थिति विरस्त समझी गई।	उपस्थिति, विरस्त कर दी गई।
		2-विषय सं0-7 में पारित प्रस्ताव निम्न प्रकार पढ़ा जाय:-	
		"निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के व्यय पर उक्त पार्क हटा दिया जाये तथा उस स्थान पर फर्श का निर्माण करा दिया जाये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रगति से अगली बैठक में अवगत कराया जायेगा।
2-	कानपुररोड योजना के अंतर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों के आवण्टन की प्रक्रिया तथा ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन के यूनियन भवन के लिये भूमि की दर का निर्धारण।	दर 7-40 प्रतिवर्गफुट निर्धारित की गई तथा चौथाई धन आवण्टन के समय जमा कराया जाय। आवण्टन लाटरी द्वारा किया जाय तथा यूनियन भवन के लिये 50% मूल्य पर उपलब्ध कराई जाये।	तदनुसार अनुपालन करते रजिस्ट्रेशन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया। लखनऊ नगर के ट्रान्सपोर्टर्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तथा एसोसि-येशन ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं, जो इस बैठक में पुनः विचार हेतु प्रस्तुत है।
3-	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :- लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर हैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में।	लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर हैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में विकास प्राधि0 द्वारा कुछ गाइड-लाइन्स निर्धारित की गई थी तथा हैटिल कालोनी की स्थापना के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	तदनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रगति से अगली बैठक में अवगत कराया जायेगा।

- : 0 : -

मद संख्या: 3

पृष्ठ संख्या: 14

- : योजनाओं का प्रगति-विवरण फरवरी 29, 1980 तक : -

क्रम संख्या	योजनाओं का नाम	भूमि अर्जन			भूमि विकास			भवन निर्माण		
		बजट प्राविधान	वास्तविक व्यय	प्रतिशत	बजट प्राविधान	वास्तविक व्यय	प्रतिशत	बजट प्राविधान	वास्तविक व्यय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	कानपुर रोड	120	-	-	66	19.44	29.45%	33.50	13.99	41.76%
2-	अलीगंज	60	-	-	122	55.92	45.84%	167.55	121.77	72.68%
3-	मोतीझील	-	-	-	-	-	-	37.00	27.90	75.40%
4-	कामर्शियल काम्पलेक्सेज़									
	ब- छितवापुर	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-
	ब- आर०टी०ओ०	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-
	स- जनपथ द- डिण्डर्ई डम्प य- नक्खास र- अलीगंज	-	-	-	-	-	-	40.00	17.80	44.5
5-	अन्य योजनायें	40	-	-	35	7.44	21.26	29.00	5.74	19.79
	योग :	220	-	-	223	82.80	37.13	327.05	187.20	57.24

दीक्षित/-

मासिक लक्ष्य उपलब्धि विवरण 1979-80

बजट लक्ष्य : 829.74 लाख (निर्माण कार्य) दिनांक 29-2-80 तक

माह	लक्ष्य		उपलब्धि		प्रोग्रेसिव उपलब्धि	टिप्पणी
	रुपये लाखों में	प्रतिशत	रुपये लाखों में	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	8.30	1%	32.53	391.93%	-	अर्जन के मद में प्रस्तावित 220 लाख रुपये के विरुद्ध कोई व्यय नहीं हुआ है । इस मद को अलग करने पर अद्यावधि प्रगति 51 प्रतिशत आती है । मार्च में कार्य लक्ष्य से बहुत ज्यादा हुआ है । अत: प्रतिशत और बढ़ेगा ।
मई	16.61	2%	17.59	105.90%	201.2%	
जून	24.89	3%	21.26	85.42%	143.3%	
जुलाई	33.20	4%	27.65	83.28%	119.3%	
अगस्त	41.49	5%	28.72	69.39%	100.3%	
सितम्बर	41.49	5%	-	-	-	
अक्टूबर	83.00	10%	49.48	39.75%	77.40%	
नवम्बर	124.49	15%	92.77	18.63	36.15	
दिसम्बर	124.49	15%				
जनवरी	124.49	15%				
फरवरी	124.49	15%				
मार्च	83.00	10%	-	-	-	
योग :	829.94	100%	270.00			

रमेश/-

मद संख्या: 4

विषय: कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट-नगर योजना में भूखाण्डों के बिक्रय एवं ट्रान्सपोर्टस ऐसोसियेशन के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

=====:::000:::=====

एम/आर xxx

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-12-79 एवं 2-2-80 में ट्रान्सपोर्ट नगर के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे :-

1- ट्रान्सपोर्ट नगर में रू0 7-40 प्रति वर्गफुट की दर से भूखण्डों की जो भी कीमत आये उसका एक-चौथाई धन आवण्टन के समय प्रत्येक आवण्टी से जमा करा लिया जाये तथा शेष तीन-चौथाई धन चार वार्षिक किश्तों में जमा करा लिया जाये ।

2- भूखण्डों की विक्रय दर रू0 7-40 प्रति वर्गफुट निर्धारित की जाती है । उक्त दर से अतिरिक्त प्रथम पाँच वर्ष के लिये लीजरेण्ट कुल प्रीमियम का 2% वार्षिक होगा तत्पश्चात् अगले पाँच वर्ष के लिये 3 प्रतिशत, अगले पाँच वर्ष के लिये 4 प्रतिशत तथा अगले वर्ष के लिये 5 प्रतिशत होगा । 30 वर्ष के पश्चात् लीज़ नवीनीकरण के योग्य होगी । लीज़ के नवीनीकरण के समय लीज़रेण्ट उस समय देय लीज-रेण्ट का ड्योढ़ा हो जायेगा । अगले 30 वर्ष के पश्चात् पुन: यह लीज़ नवीनीकरण योग्य होगी तथा उस समय भी देय लीज़रेण्ट को ड्योढ़ा कर दिया जायेगा । इस प्रकार लीज़ कुल 90 वर्ष के लिये होगी, जो प्रत्येक 30 वर्ष के पश्चात् उपरोक्तानुसार नवीनीकरण योग्य होगी ।

3- भूखण्डों का आवण्टन लाटरी पद्धति से किया जाये ।

4- ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन के यूनियन-भवन के लिये भूमि सामान्य दर से 50 % मूल्य पर उपलब्ध करा दी जाये ।

5- ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में गोदाम एवं कार्यालय के ऊपर आवासीय भवन बनाने के लिये अनुमति दी जाती है । परन्तु इन भवनों के बनाने में आर्कीटेक्चरल नियन्त्रण पूर्ण रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण का रहेगा ।

6- जन सेवाओं (कम्युनिटी सर्विसिज़) में पोस्ट आफिस, पुलिस स्टेशन डिस्पेन्सरी, फायर सर्विस, टेलीफोन एक्स्चेन्ज के अतिरिक्त मोटल भी माना जाये । इन सर्विसिज़ के लिये योजना की दरों पर ही भूमि उपलब्ध कराई जाये, कोई छूट न दी जाये ।

तदनुसार इस विषय को लोकल अख़बारों में ट्रान्सपोर्ट नगर में रजिस्ट्रेशन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया गया, जिस पर लखनऊ ट्रक ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष ने दिनांक 15-3-80 को आवेदन

क्रमश:---

(संलग्नक "ए") प्रस्तुत किया तथा इस सम्बन्ध में बनाई गई नियमावली के नियमों पर कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं ।

आपत्तियों पर ब्यौरेवार टिप्पणी निम्न प्रकार है :-

आपत्ति संख्या एवं सन्दर्भ	टिप्पणी
नियम 5-3 --- यदि आवण्टी निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त भूखण्ड का उपयोग किसी दूसरे उद्देश्य से करता है तो आवण्टन निरस्त कर दिया जायेगा । प्रार्थी का उक्त नियम के सम्बन्ध में कहना है कि इस नियम को जैसा कि वह है, कार्यान्वित न किया जाये तथा आवण्टी को यह छूट दी जाय कि यदि किसी कारणवश वह निर्धारित व्यवसाय उस प्लाट पर न कर पाये तो उसे ट्रान्सपोर्ट इण्डस्ट्री से सम्बन्धित कोई अन्य व्यवसाय करने की अनुमति दी जाय ।	ट्रान्सपोर्ट नगर के प्लान में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रयोग के लिये प्लाट का डिमार्केशन किया गया है, अस्तु नियोजित विकास के लिये यह उचित न होगा कि इन स्थानों पर भू-उपयोग परिवर्तन की इजाज़त दी जाये । उदाहरणार्थ - ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज के प्लाट्स में शो-रूम शाप आदि के लिये स्थान नहीं दिया जा सकता । इसी प्रकार शो-रूम्स आदि के स्थानों पर ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी लगाना उचित न होगा ॥ इसी प्रकार ट्रान्सपोर्ट से संबंधित किसी भी उद्योग का लगाना उक्त नगर में उचित न होगा । केवल स्ट्रीट-डिंग, बाडी बिल्डिंग, टायर रिपेय-रिंग, बैटरी रिपेयरिंग, बैटरी - रिकन्डीशनिंग ही परमिट की जाये इन सभी चीजों के लिये भी ग्रुप बना दिया जायेगा तथा आवन्टन के बाद विकास के हित में ट्रेड या व्यवसाय को बदलने की इजाज़त देना उचित न होगा ।
नियम:7.2 प्राधिकरण की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जैसे है-जहाँ है" के आधार पर बिक्रय हेतु उपलब्ध होगी । आवन्टन के उपरान्त सम्पत्ति की परिस्थि-तियों अथवा अन्य किसी प्रकार के दोषों के सम्बन्ध में किसी शिकायत पर अथवा परिवर्द्धन/ परिवर्तन या सुधार की किसी प्रार्थना पर प्राधिकरण द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा । सम्पत्ति की परिस्थितियों का तात्पर्य भूमि का प्रकार तथा भूमि के विकास की अवस्था, निर्माण का आधार इस हेतु ग्रहण की गई निर्दिष्टियों निर्माण कार्य में लगाई गई सामग्री और कारीगरी तथा अन्य सुविधायें व वस्तुएँ जो भवन में उपलब्ध सम्पत्ति की संज्ञा में आती हैं । ऐसोसियेशन इस विषय को खुला रखाना चाहता है जिससे इस विषय पर वार्तालाप किया जा सके ।	इस सम्बन्ध में नियम स्पष्ट हैं । बिक्री हेतु जहाँ भी जो वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाती हैं वह जैसी हैं जहाँ हैं के आधार पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं । बाद में कोई शिकायत सुनने का प्राविधान नहीं है । ऐसा निर्णय लिया गया था कि कुछ सुविधायें इस समय वर्तमान मूल्य में उपलब्ध न की जायें और इस प्रकार विकास व्यय को घटा कर बिक्रय मूल्य कम कर दिया गया । इस विषय को खुला रखने में कुछ समय बाद यह विषय उठाया जा सकता है कि जो सुविधायें आज उपलब्ध नहीं की जा रही हैं वह बिना अतिरिक्त धन लिये भविष्य में उपलब्ध कराई जायें । परन्तु यह बात उचित प्रतीत नहीं होती चूंकि प्राधिकरण इस अतिरिक्त व्यय को वहन करने में समर्थ नहीं होगा । अत: यह माँग युक्ति संगत नहीं है ।

क्रमश:---3

नियम: 11•2

आवन्टन के पूर्व जारी की गई विवरण पुस्तिका में स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दी जायेगी । इस पुस्तिका में भूखण्डों के विषय में आवश्यक सूचना भी उपलब्ध कराई जायेगी भुगतान की प्रक्रिया का भी इसी पुस्तिका में उल्लेख होगा ।

ऐसोसियेशन इस नियमावली के अन्दर प्लाट के भुगतान की क्या पद्धति रखी जायेगी जानना चाह रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में सभी प्रार्थियों को विवरण-पुस्तिका उपलब्ध करा दी गई है ।

नियम: 12

प्रथम पाँच वर्षों में लीज़-रेन्ट कुल प्रीमियम का 2% वार्षिक होगा । अगले 5 वर्ष के लिये 3% तथा उससे अगले 5 वर्षों में 4% अगले 15 वर्ष के लिये 5% देय होगा । 30 वर्ष के पश्चात लीज़ का नवीनीकरण होगा । लीज़ नवीनीकरण के समय लीज़रेन्ट उस समय देय लीज़रेन्ट का ड्योढ़ा हो जावेगा । अगले 30 वर्षों के पश्चात पुन: लीज़रेन्ट का नवीनीकरण होगा । तथा उस समय भी देय लीज़रेन्ट का ड्योढ़ा कर दिया जायेगा । इस प्रकार लीज़ कुल 90 वर्षों के लिये होगी जो प्रत्येक 30 वर्षों के पश्चात उपरोक्तानुसार नवीनीकरण योग्य होगी ।

ऐसोसियेशन की माँग है कि लीज़रेन्ट बहुत अधिक प्रस्तावित किया गया है । यह कानपुर विकास प्राधिकरण की तरह नाम मात्र होना चाहिये तथा एक बार में लीज़ 90 वर्ष के लिये होनी चाहिये ।

इस प्राधिकरण में सभी स्थानों पर लीज़रेन्ट प्रत्येक 30 वर्ष बाद ड्योढ़ा कर दिया जाता है अस्तु ट्रान्सपोर्ट नगर के लिये इस सम्बन्ध में कोई अलग से नियम नहीं बनाया गया है । प्रार्थी का कहना यह है कि लीज़ रेन्ट बहुत अधिक है यहाँ पर यह बताना है कि प्राधिकरण की बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त ही यह निर्णय लिया गया है । निर्णय लेते समय उच्च आय-वर्गीय भवनों की भूमि पर देय 3% लीज़रेन्ट का ध्यान रक्खा गया है । विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

नियम: 13•2

यदि निर्धारित समय में आवन्टी द्वारा निर्धारित भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्धारित तिथि से वास्तव में भुगतान की तिथि तक 12% वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज आवेदक/आवन्टी को देना अनिवार्य होगा ।

ऐसोसियेशन ने इसे स्पष्ट करने का आग्रह किया है ।

इसका स्पष्टीकरण कर दिया जायेगा । जहाँ ब्याज का प्रश्न है नियम 10•2 के अनुसार केवल 3 माह तक डिफाल्ट करने पर 12% वार्षिक की दर से उक्त डिफाल्ट अवधि का ब्याज लिया जायेगा ।

क्रमश: --4

नियम:17·2

भूखाण्ड आवन्टित हो जाने के पश्चात् निर्धारित कुछ अथवा समस्त किश्तों की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात्(रजिस्ट्री से पूर्व) यदि कोई आवन्टी जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो बयाने की धनराशि का 20% काट कर शेष जमा धनराशि आवन्टी को वापस कर दी जायेगी ।

ऐसोसियेशन का कहना है कि उपरोक्त 20% बयाने की धनराशि में से कटौती नहीं की जानी चाहिये तथा पूरी धनराशि वापस होनी चाहिये ।

ऐसोसियेशन की सन्दर्भित माँग उचित नहीं है क्योंकि इससे प्राधिकरण की अन्य योजनाओं की इकोनामिक्स का ह्रास होगा तथा योजना की प्रगति में गतिरोध उत्पन्न होगा ।

नियम: 18·1

आवन्टी को विकास प्राधिकरण द्वारा आवन्टित भूखाण्ड का बटवारा करने का अधिकार नहीं होगा और न वह उपाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना उसका बिक्रय या हस्तान्तरण कर सकेगा ।

ऐसोसियेशन की माँग है कि आवन्टी को भूखाण्ड का परिवार के सदस्यों एवं कम्पनी के मौजूदा पार्टनर्स में पार्टीशन्स करने का अधिकारी स्वीकार किया जाये ।

नियम अपने स्थान पर सही है । यह माँग उचित नहीं है ।

नियम: 18·2

हस्तॉतरित भूखाण्ड का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा ।

ऐसोसियेशन की माँग है कि परिवहन उद्देश्य से सम्बन्धित आवन्टी को कोई भी व्यवसाय करने की स्वच्छन्दता होनी चाहिये ।

इसका उत्तर नियम 5·3 के सन्दर्भ में दिया जा चुका है ।

नियम: 18·3

उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा जिन मामलों में ऐसी अनुमति दी जायेगी तो आवन्टी को सम्पत्ति के हस्तान्तरण के फलस्वरूप मिलने वाले लाभ का 50% विकास-प्राधिकरण को देना होगा । किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि लाभ का अँश विकास प्राधिकरण द्वारा औपचारिक अनमति दिये जाने के पूर्व विकास प्राधिकरण में आवन्टी द्वारा जमा करना होगा ।

ऐसोसियेशन का कहना है कि इस नियम को पूर्णतय: समाप्त कर दिया जाये ।

नियम अपने स्थान पर सही है । यह नियम प्राधिकरण की समस्त योजनाओं पर लागू है, अस्तु इसे समाप्त करना उचित नहीं है ।

नियम: 22

भूमि या भवन के पट्टे के निष्पादन एवं पँजीकरण के समय प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रपत्र ही उपयोग में लाया जायेगा और इस नियमावली के आधार पर कोई विवाद उस समय न उठाया जा सकेगा, उसमें इस नियमावली के अतिरिक्त अन्य शर्तें होगीं, जिन्हे आवन्टी पूर्ण रूप से पालन करेगा व जिनसे वह बाध्य होगा ।

वैसे साधारणतय: सम्पत्ति निस्तारण करने वाली अथार्टी को ही नियम बनाना होता है तथा जो सम्पत्ति क्रय करता है उसे उन्ही शर्तो पर खरीदना पड़ता है जो बेचने वाला प्रस्तुत करता है ।

ऐसोसियेशन की माँग है कि ट्रान्सपोर्ट नगर के भूखण्डों के आवन्टन के समय जो भी नियम या शर्तें बनाई जायें उन्हे बनाते समय ऐसोसियेशन के प्रतिनिधि की भी राय ली जाये ।

बु क ले ट

ऐसोसियेशन की माँग है कि नियमों की विवरण पुस्तिका में यह कहीं नहीं दर्शाया गया है कि लीज़-रेन्ट कब से लिया जायेगा ।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि इसका प्राविधान लीज़-डीड प्राफार्मा में किया जाता है और तदानुसार ही लीज़-रेन्ट निर्धारित समय से लिया जायेगा ।

ऐसोसियेशन की दूसरी माँग यह है कि विवरण पुस्तिका में जो यह लिखा है कि आवन्टी को भूखण्ड की कास्ट अगर बढ़ जाती है तो उससे बढ़ा कर लिया जायेगा, निरस्त किया जाये क्योंकि ऐसोसियेशन लिखी हुई दर से अधिक दान नहीं देगा ।

कभी कभी भूखण्डों को बनाते समय मौके पर उनका आकार परिवर्तित हो जाता है, अस्तु इस क्लाज़ का होना आवश्यक है ।

शपथ-पत्र (एफ़ीडेविट)

ऐसोसियेशन की माँग है कि शपथ-पत्र का क्लाज़ 3 समाप्त कर दिया जाये तथा क्लाज़ 5 स्पष्ट नहीं है जिसे स्पष्ट किया जाये एवं क्लाज़- 7 को भी समाप्त कर दिया जाये ।

शपथ-पत्र के क्लाज़-3, 5, एवं 7 निम्न प्रकार हैं:-

3: मै यह प्रार्थना-पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा/रही हूँ और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है । मै यह शपथ पूर्वक कहता/कहती हूँ कि मेरे अथवा मेरी धर्म पत्नी/मेरे पति या नाबालिग बच्चों में से किसी के नाम पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में कोई भी भूखण्ड ट्रान्सपोर्ट-ऐजेन्सीज़ हेतु नहीं है और यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में है तो उसको समाप्त करके लखनऊ ट्रान्सपोर्ट नगर में ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज़ हेतु भूखण्ड ले रहा हूँ । इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रार्थना-पत्र ट्रान्सपोर्ट ऐजेन्सीज़ के भूखण्ड के हेतु नहीं दिया है ।

क्रमश:---6

5. मै यह भी स्वीकार करता/करती हूँ जब तक भूखण्ड की सम्पूर्ण किश्तें भुगतान न कर दूँ, मैं उपाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता/करती रहूँगी साथ ही साथ जो भी अन्य कर देय होंगे उनका भुगतान प्राधिकरण को समय पर करता /करती रहूँगी ।

7. यदि विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड की माँगी गई धनराशि को प्राधिकरण कोष में निर्धारित अवधि के अन्दर जमा न करूँ अथवा भूखण्ड की रजिस्ट्री न कराऊँ और किसी नियम व शर्त का उल्लघन करूँ तो मेरा जमा किया धन प्राधिकरण द्वारा जब्त कर लिया जाये जिसके लिये मै न्यायालय में कोर्ट वाद स्थापित करने का अधिकारी न होऊँगा/होऊगी ।

उपरोक्त तीनों क्लाज़ स्पष्ट हैं । इन्हे और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है और न ही इन्हे निरस्त करना उचित होगा ।

लखानऊ ट्रक ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन की उपरोक्त माँग के सम्बन्ध में विवेचन आख्या प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

एम/आर xxx

LUCKNOW TRUCK TRANSPORTER'S ASSOCIATION
Sudarshan Building, Charbagh,
LUCKNOW

Ref..... Dated: 15.3.80

The Vice Chairman,
Lucknow Development Authority,
6,J.C. Bose Marg,
Lucknow.

Subject :- Application for clarifications and amendments Rules relating to allotment of plots in Transport Nagar.

...

Dear sir,

On behalf of the members of our Association and Unions of various Trades linked with Transport Industry of Lucknow, who are supposed to be displaced & rehabilitated in proposed Transport Nagar at Lucknow, have the honour to invite your attention to the Book-let with application form and form of affidavit, as well as rules published in connection with allotment of plots in Transport Nagar, Lucknow for the kind consideration and necessary action.

1. Rule 5-3 : Relates that the allottee shall not be permitted to use the allotted plot except the trade for which he has obtained the plot.

In reference to above, it is submitted that it may not be possible for the allottee to use the plot for only that purpose for which ha has obtained it, because, it can not be guaranteed that the business or trade, which is at present carried out by him, shall asways be carried out in future also.. If he does not find it profitable in future,he may close down it and start another business or trade likely to be suitable and profitable to him. Therefore,the rule: 5.3 needs amendment and permission be granted to the allottee to carry out any business or trade linked with Transport Industry.

2. Rule 7-2 : In this rule the Lucknow Development Authority restrained the allottee to complain about the materials utilised in the property in Scheme on additions, alterations etc. and it will be allotted plot on the basis ot " as is & where is "

7 The above restrictions, as our members have felt are nothing but to debar them from their basic privilage and need and therefore bequest the discussions and - clarifications

3. Rule 11-2 : It relates that another book-let containing rules in connection with plots for allotment shall be available, later on before the allotment.

In this regard, our members would like to get them acquainted about the terms and conditions to be framed there under before submission of their applications for obtaining plots in Transport Nagar.

4. Rule-12 Lease Rent: Speaks about the rates of lease rent, chargeable from the allottees.

On calculation of the table given in the rule 12, we have come to understand that the rent to be charged is exhorbitant and so nuch, that our members are quite unable to pay. Therefore, it is submitted that as you have adnitted that our members shall be displaced and rehabilitated in Transport Nagar, Lucknow, the lease rent should be quite nominal, as had been charged by the Kanpur. Moreover period of lease should be 90 years at a time . renewal condition be waived and it may be clearly intimated the actual date of commencement of lease deed.

contd...3

5. Rule 13-2 — Interest: The rule does not speak clearly. It needs further clarification.

6. Rule 17-2 — Refund of deposited amount: It says 20% deduction in refunding the deposited amount.

7. Rule 18-1 — Transfer of plot : It is restraining the allotee from making any partition of the allotted plot.

In this connection, our members request that partition be allowed among the family members and existing partmers if need be there.

8. Rule 18-2 : This rule restrain from using the allotted plot, except for the purpose for which the said plot allotted to the Ist allottee.

Our members request that the purchaser be permitted to carry out the business or Trade linked with Transport Industry.

9. Rule 18-3 : This condition be deleted totally.

10. Rule 22 : The mimbers of our Association requset that if any rules, terms or conditions regading plots for allotment in Transport Nagar, Lucknow are required to be framed and implemented, may be made after giving due represemtation to the representatives of our Association.

11. Book-let : Further to above, it is also pointed out that nothing has been mentioned in the rules as well as application Book-let, about the commencement of Lease Rent.

12. " " In addition to above, clause 4 of your Book-let says, an enhancement of the cost of land shall be chargeable from the allottee. In this connection we may very clearly submit that our members would not pay any more amount, as has been shown in the Book-let.

contd..4

13. Affidavit : As regards clause 3 of the proposed affidavit to be submitted alongwith application form , it is submitted that this clause be deleted and also clause 5 is not clear. Therfore,it needs clarification. As regards clause 7 of the affidavit,we request it be also deleted.

In the light of above we request you to kindly consider our representation and extend the date for submission of application forms till the necessary clarifications or amendment are made in the said rules.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/---
(Gru Baksh Singh BaXi)
PRESIDENT.

मद संख्या: 5 पृष्ठ संख्या:

विषय: प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-7-1975 में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को कुछ प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया था । चूंकि प्राधिकरण का कार्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है अत: यह आवश्यक है कि प्रशासकीय अधिकारों का अन्य अधिकारियों के लिये भी प्रतिनिधायन किया जाये ताकि प्राधिकरण का कार्य द्रुत गति से प्रतिपादित किया जा सके । अस्तु निम्न रूप से प्रतिनिधायन प्रस्तावित है :-

अधिकार प्रतिनिधायन हेतु प्रस्तावित अधिकार की

मद / अधिकार	अधिकारी/ अथार्टी	सीमा (इक्सटेन्ट)	विवरण
1- नियुक्तियां नियुक्ति-प्राधिकारी (अपाइन्टिंग-अथार्टी) के रूप में ।	सचिव	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 500/- से अधिक न हो ।	
2- पदोन्नति .	उपाध्यक्ष	ऐसे पदों पर जिनमें वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं ।	
	सचिव	ऐसे पदों पर जिनके वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं ।	
3- प्रतिकूल प्रविष्टि व लघुदन्डों के विरूद्ध प्रत्यावेदन ।	उपाध्यक्ष	सचिव के आदेशों के विरूद्ध	
4- वृहत दन्डों के विरूद्ध अपीलें ।	उपाध्यक्ष	सचिव के आदेशों के विरूद्ध	प्रथम अपील
	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष विकास प्राधिकरण ।	उपाध्यक्ष के आदेशों के विरूद्ध	द्वितीय एवं अन्तिम अपील ।
5- चरित्र पंजिका हेतु वार्षिक प्रविष्टि का अन्तिमकरण	सक्षम प्राधिकारी	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 2,000/- से अधिक न हो ।	सचिव रिमार्क्स प्रारम्भ करेंगे । सचिव व उपाध्यक्ष की प्रविष्टि यथावत दर्ज रहेगी ।

क्रमश:---2

::x= 2 =x::

उपाध्यक्ष अथवा सक्षम अधिकारी उपाध्यक्ष के माध्यम से ।	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 1450/- से अधिक न हो ।	मुख्य अभियन्ता/वरिष्ठ नगर नियोजक/अतिरिक्त सचिव, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिये प्रारम्भ करेंगे । इनकी प्रविष्टि व सचिव तथा उपाध्यक्ष की प्रविष्टि चरित्र पंजिका में यथावत दर्ज रहेगी ।
सचिव	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान 500/- से अधिक न हों ।	नगर अभियन्ता/भवन/अधिशासी अभियन्ता/संयुक्त सचिव/उप नगर अधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी/कॉस्ट एकाउन्टेन्ट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये प्रारम्भ करेंगे । इनकी प्रविष्टि व विभागाध्यक्षों की प्रविष्टि चरित्र पंजिका में यथावत् दर्ज रहेगी ।

नोट: विभागाध्यक्ष से तात्पर्य मुख्य अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी से है ।

M/K***

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 25 जूलाई 1975
के विषय संख्या-4 पर लिये गये निर्णय का उद्धरण ।

x=x=x=x=x=x=x=x=x

प्राधिकरण के आवश्यक पदों के सृजन, वर्तमान पदों के समायोजन एवं कतिपय पदनामों के प्रस्तावित वेतनक्रम सहित तत्सम्बन्धी व्यय पर विचार किया गया । उपाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तावित ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ कालेज द्वारा आर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर, डिसीज़न मेकिंग सिस्टम और परफोरमेन्स बजट पर एक विस्तृत अध्ययन कराने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई और [illegible] की फीस जो रु0 30,000/- से अधिक न हो तक देने के लिये उन्हें अधिकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक उक्त अध्ययन [illegible] की आख्या प्राप्त नहीं हो जाती तब तक प्राधिकरण के पदों को अन्तिम स्वरूप देना उचित न होगा । इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान 376 पदों में से 82 पद, जिनमें 9 प्रथम श्रेणी, 24 द्वितीय श्रेणी तथा 49 चतुर्थ श्रेणी के हैं, प्राधिकरण से त्याग करके उनका सर्विलियन महापालिका में कर लिया जाय तथा इन 82 पदों को फिलहाल न भरा जाये । प्राधिकरण की तत्कालिक आवश्यक्ताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव प्राधिकरण के सामने रक्खा गया कि मुख्य-अभियन्ता, कास्ट एकाउन्टेन्ट, प्लानर, आर्किटेक्ट, विधि अधिकारी तथा जनसम्पर्क अधिकारी के नए पद स्वीकृत कर दिये जायें । काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि तात्कालिक न्युनतम आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिये निम्नलिखित पद, उनके सामने लिखित वेतनक्रम में, सृजित कर दिये जायें ।

क्रम सं0	पद नाम	पद-संख्या	वेतनक्रम
1-	मुख्य अभियन्ता	एक	1350-1700
2-	आर्कीटेक्ट-कम-प्लानर	एक	1350-1700
3-	कास्ट एकाउन्टेन्ट	एक	800-1450
4-	सहायक अभियन्ता	चार	500-1150
5-	वैयक्तिक सहायक	एक	425- 900
6-	स्टेनोज़	दो	240-424
7-	ड्राइवर	पाँच	172-226

प्राधिकरण ने पदों की स्वीकृति एवं सृजित किये जाने तथा उन पर नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया । यह निर्णय लिया गया कि ऐसे पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 2,000/- तक हो, को स्वीकृत एवं सृजित करने का अधिकार सामान्यतया प्राधिकरण के पास रहे क्योंकि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि रु0 2,000/- से ऊपर के अधिकतम वेतन के पदों की स्वीकृति एवं सृजन करने का अधिकार शासन ने अपने पास सुरक्षित रखा है । विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से उपाध्यक्ष ऐसे पदों का सृजन कर सकते हैं जिनकी नियुक्ति का अधिकार उन्हे हो परन्तु ऐसी नियुक्तियों को वे प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत करेगें ।

क्रमशः---2

::=xx 2 xx=::

जहाँ तक विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करने का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष, सचिव तथा मुख्य लेखाधिकारी के पदों पर नियुक्ति का अधिकार अधिनियम द्वारा शासन को है । अन्य पदों पर नियुक्ति के अधिकार के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता, आर्किटेक्ट-कम-प्लानर, कास्ट एकाउन्टेन्ट और रू0 1,200/- तथा रू0 2,000/- के बीच के अधिकतम वेतनमानों के पदों पर नियुक्तियाँ प्राधिकरण द्वारा की जायेगी । ऐसी नियुक्तियों के लिये प्राधिकरण ने एक चयन समिति का गठन किया जिसमें उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के दो अन्य सदस्य होंगे । रू0 1,200/- के अधिकतम वेतन के नीचे के समस्त पदों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार उपाध्यक्ष को प्रतिनिहित किया गया ।

x=x=x=x=x=x=x

मद संख्या- 6 पृष्ठ सं०-

विषय : अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एल" की जनसंख्या के घनत्व तथा मार्गों की चौड़ाई डी०पी० बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट 1958 में निर्धारित चौड़ाई से कम रखने के सम्बन्ध में प्रस्तावित आख्या ।

पिछली बैठक दिनांक 24-11-79 में उठाये गये बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में आई०एस०आई०, नई दिल्ली से प्राप्त माप-दण्ड के आधार पर आवासीय कालोनी के मानचित्र बनाये गये हैं । कालोनी के आन्तरिक मार्गों को 9 मीटर, 6 मीटर तथा 4 मीटर रखा गया है जो उक्त मापदण्ड के आधार पर ही रखे गये हैं तथा सर्विसेज़ आदि के लिये प्रत्येक 160 मीटर की दूरी पर 9 मीटर के मार्ग दिये जाने के प्रयास किये गये हैं । साथ ही 3 हेक्टेयर प्रति एक हजार जनसंख्या पर पार्क तथा खुले स्थान छोड़े गये हैं जो कि कालोनी के अन्दर रहने वाले छोटे बच्चों के लिये छोटे क्रीड़ास्थल, नर्सरी स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल आदि के लिये उपयुक्त होंगे । यह भी उक्त मापदण्ड के आधार पर रखे गये हैं । लेकिन आर०बी०ओ० ऐक्ट 1958 के अन्तर्गत आवासीय कालोनी में मार्गों की कम से कम चौड़ाई 30 फुट अर्थात् 9 मीटर निर्धारित की गयी है, जबकि 9मीटर मार्ग सिर्फ 160 मीटर की दूरी पर ही दिये गये हैं ताकि ट्रंक सर्विसेज ठीक से बिछायी जा सकें ।

इस आधार पर प्रस्तावित कालोनी में लगभग 4500 जनसंख्या के लिये उचित क्रीड़ास्थल, दुकानें आदि का प्राविधान किया गया है तथा नियोजन इस प्रकार किया गया है कि यह एक सेल्फ कण्टेण्ड यूनिट की तरह कार्य करें ।

इन सभी सुविधाओं को समुचित प्राविधान करने के लिये तथा अधिकतम प्लाटेड एरिया उपलब्ध करने के कारण इस योजना में आई०एस०आई० के प्रस्तावित जनसंख्या के घनत्व 425 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर या 85 आवासीय यूनिट प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 591 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर या 118 आवासीय यूनिट प्रस्तावित है, लेकिन महायोजना के अन्तर्गत अलीगंज आवासीय योजना में 100 व्यक्ति प्रति एकड़ प्रस्तावित है, इसलिये इस आवासीय योजना के सेक्टर "एल" में निम्नलिखित विषयों पर अथारटीज से छूट लेनी आवश्यक है । अतः इसकी अनुशंसा की जाती है :-

1- सेक्टर "एल" में मार्गों की चौड़ाई 6 मीटर तथा 4 मीटर रखने के सम्बन्ध में ।

2- जनसंख्या में घनत्व जो कि महायोजना में 100 व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ करने के सम्बन्ध में ।

- : 0 : -

मद संख्या: 7 पृष्ठ संख्या:

विषय: लक्ष्मन टीले के पीछे लखानऊ विकास प्राधिकरण के अतिथिगृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x=x

लखानऊ नगर न केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी है वरन उत्तर-भारत का सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनैतिक केन्द्र भी है । इस नगर को हर प्रकार से विकास करने के लिये शासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है और उन सभी विकास करने वाली संस्थाओं में विकास-प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण संस्था है ।

विकास प्राधिकरण को नगर के सर्वांगीण विकास के लिये अनेक योजनाएँ बनानी होती हैं और उन्हे विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यान्वयन करना होता है । इनमें प्रमुख सहयोग केन्द्रीय शासन और हडको, केन्द्रीय ग्रामीण एवं नियोजन विभाग, विश्व बैंक तथा केन्द्रीय शासन का निर्माण विभाग है । जिनके अधिकारी समय-समय पर लखानऊ नगर एवं विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं के निरीक्षण के लिये अक्सर आया करते हैं । इनके अतिरिक्त उत्तर-प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के विकास से सम्बन्धित अधिकारी भी लखानऊ नगर में आते रहते हैं और यहाँ की योजनाओं से अपना सम्पर्क बनाये रखाने का प्रयास करते हैं ।

लखानऊ नगर बाहर से आने वाले पर्यटकों का भी एक केन्द्र स्थल है जहाँ पर कला, व्यवसाय, शिक्षा एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्ति लखानऊ आया करते हैं ।

इस प्रकार प्राधिकरण एवं अन्य कार्यो से सम्बन्धित आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये नगर में कोई यथोचित ठहरने का स्थल नहीं है जहाँ पर प्राधिकरण की ओर से उन्हे विधिवत आवास एवं आदर की अन्य व्यवस्था की जा सके । माननीय अतिथियों को किसी होटल पर आवास की व्यवस्था कराना एवं उनके सत्कार की व्यवस्था करना बहुत आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता है ।

अतएव उपरोक्त सभी विषयों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात यह आवश्यक हो गया है कि विकास प्राधिकरण के माननीय अतिथियों के लिये सभी साधनों से युक्त एक अतिथि-गृह का निर्माण किया जाय । सौभाग्य से विकास प्राधिकरण के पास लक्ष्मन टीले के पीछे एक विस्तृत भू-भाग अतिथिशाला निर्माण के लिये उपलब्ध है ।

आज से लगभग 100 वर्ष पहले से उक्त स्थल पर एक पम्पिंग-स्टेशन का निर्माण किया गया था जो वर्तमान जल वितरण प्रणाली के प्रभाव में आ जाने से बेकार हो गया है, उपरोक्त पम्पिंग स्टेशन कोयले द्वारा चलाया जाता था अब बन्द पड़ा हुआ है । वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में न तो पम्पिंग स्टेशन उपयोगी ही है न ही आवश्यक है ।

उपरोक्त स्थल पर 8 कक्षों वाला समस्त सुविधाओं से युक्त एक अतिथि-गृह के निर्माण की अनुशंसा की जाती है । इस अतिथि-गृह के साथ-साथ एक बैठक कक्ष, लाज और भोजन-कक्ष आदि भी होगा । चूकिं यह स्थल गोमती नदी के दाहिने किनारे से बिल्कुल सटा हुआ स्थित है

क्रमशः---

इसके सामने गोमती नदी एवं हरे-हरे मैदान दिखलाई पड़ते हैं और इसकी पृष्ठ भूमि में तथा पश्चिम की ओर नगर के प्रसिद्ध एवं प्राचीन स्थल जैसे - दोनो इमामबाड़े, रूमी दरवाज़ा, घंटाघर आदि इसकी शोभा बढ़ाते हैं इसलिये अतिथि-शाला के लिये यह स्थल और भी महत्वपूर्ण हो गया है ।

विकास प्राधिकरण के सम्मुख उपरोक्त विषय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

एम/आर xxx

मद संख्या: 8

पृष्ठ संख्या:

विषय: विकास प्राधिकरण लखनऊ में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में।

आख्या: लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के उपरान्त, लखनऊ विकास प्राधिकरण में नगर महापालिका लेखा नियम लागू किये गये। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 (विषय सं० -11) में यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भांति ही लेखा प्रणाली अपनाई जायें। तद्नुसार दिनांक 10-12-79 से उक्त लेखा प्रणाली विकास प्राधिकरण में लागू कर दी गयी जिसके अनुसार भुगतान करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता को दे दिया गया था। उक्त प्रणाली को लागू करने से पूर्व खण्डीय लेखाकारों को महालेखाकार उत्तर प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर लिया था।

चूकिं महापालिका लेखा नियमावली तथा पी०डब्लू०डी० लेखा प्रणाली दोनों ही के अन्तर्गत केवल कैश एकाउन्टिंग ही हो पाती हैं, अतः वर्तमान लेखे प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत नहीं करते हैं। हड़को से वर्ष 1979-80 में जब ऋण लेने हेतु प्रस्ताव भेजा गया तो उन्होंने दोहरी लेखा प्रणाली पर लेखों को रखने पर जोर दिया। उनका कहना है कि पूर्व में विकास प्राधिकरण लखनऊ को जब ऋण उनके द्वारा अवमुक्त किया गया तो उसके लेखों की जाँच करने में अत्यधिक कठिनाई होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होता हैं। (अतः यह उचित होता है कि चूकिं विकास प्राधिकरण एक सामाजिक संस्था होते हुए भी एक व्यवसायिक संस्था हैं) अतः इस संस्था की सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करने के लिए यह आवश्यक हैं कि विकास प्राधिकरण के लेखे दोहरी लेखा प्रणाली पर रखे जायें। दोहरी लेखा प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं :-

1. It brings into record both the aspects of every transaction - the personal as well as the impersonal.
2. It provides most reliable information, from day to day, as to the amounts owing to and by the trader.
3. It facilitates reference to the details of any account, if information is needed regarding any set or series of transactions.
4. It enables the arithmetical accuracy of the books to be tested by means of a trial balance.

5. It affords an easy comparison of the purchases, sales and the opening and closing stocks of any one period with similar items of the previous period, and thus helps the trader to find out retrograding.

6. By the raising of moninal accounts for the several heads of expenditure and the various sources of income, a profit & loss account can be prepared at the trader may see for himself whether his vusiness during any given period has resulted in a net gain or loss and how such gain or loss has arisen.

7. A comparison of the amounts expended under various heads with similar items of the preceding period helps to trace the causes of fluctuations in net trading results, as also serves to indicate in what direction there has been extravagance, if any,

8. It helps towards the ready ascertainment of the trader's financial position by the preparation of a balance sheet wherein are grouped in a classified form all the assets, liabitities and the capital of the trades, at periodical intervals.

9. It prevents fraud by rendering any alteration in accounts more difficult, and facilitates discovery of irregularities, if any exists.

विकास प्राधिकरण की विशेष बैठक दिनांक 2-2-80 में भी मौखिक रुप से विकास प्राधिकरण के लेखों को दोहरी लेखा प्रणाली पर रखने के लिए विचार, विमर्श हुआ था। दोहरी लेखा प्रणाली पर लेखे दो प्रकार से रखे जा सकते हैं, - एक केन्द्रीयत रुप से तथा दूसरे अभियन्त्रण खण्डों में।

(1) केन्द्रीयत रुप से लेखे रखना:

केन्द्रीयत रुप से लेखे रखने में समस्त भुगतान केन्द्रीय कार्यालय द्वारा किये जायेगें एंव समस्त वांछित अभिलेख केन्द्रीय कार्यालय में रखेजायेगें। इसके लिए निम्नलिखित नये स्टाफ की आवश्यकता होगी।

क्रम सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनक्रम	व्यय (प्रति माह प्रति कर्मचारी) मूलवेतन	(भत्ते आदि योग	प्रति वर्ष (योग)
1.	कास्ट असिसटेन्ट	5	350-700	350/-	285/-	635/- 38,100/-
2.	लेखा लिपिक	5	195-315	195/-	234/-	429/- 25,740/-
					योग	63,840/-

परिपृष्ठ के 5 कास्ट असिसटेन्ट में से 3 लेखा विभाग में, 2 सम्पत्ति विभाग, रेन्ट तथा स्टोर विभाग में कार्य करेगें। लेखा लिपिकों में 2 लेखा लिपिक लेखा विभाग में तथा एक एक क्रमशः सम्पत्ति विभाग, रेन्ट तथा स्टोर विभाग में कार्य करेगें। यद्यपि इस कार्य हेतु काफी स्टाफ की आवश्यकता होगी, परन्तु शेष स्टाफ प्राधिकरण के अन्य विभागों में डिप्लायं (Deploy) करके लगाया जायेगा तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण इस प्रणाली का दिया जायेगा। परन्तु लेखें ठीक प्रकार से रखे जायं, इसके लिए उपरोक्त नये स्टाफ की आवश्यकता होगी जो वास्तविक न्यूनतम पर आधारित हैं।

(2) अभियन्त्रण खण्डों में लेखे रखना:

अभियन्त्रण खण्डों में लेखे रखने में निम्नलिखित स्टाफ की आवश्यकता होगी।

क्रम सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनक्रम	व्यय (प्रति माह प्रति कर्मचारी) मूलवेतन	भत्तेआदि	योग	प्रति वर्ष (योग)
1.	कास्ट असिसटेन्ट	9	350-700	350/-	285/-	635/-	68,580/-
2.	लेखा लिपिक	10	195-315	195/-	235/-	429/-	51,480/-
						योग	120,060

उपरोक्त 9 कास्ट असिसटेन्ट में से 6 अभियन्त्रण खण्डों में (प्रत्येक अभि0 खण्ड में एक), एक लेखा विभाग में तथा 2 सम्पत्ति, रेन्ट एंव स्टोर विभाग में रखे जायेगें। लेखा लिपिकों10 में से 6 अभियन्त्रण खण्डों में (प्रत्येक अभियन्त्रण खण्ड में एक), 3 सम्पत्ति, रेन्ट तथा स्टोर विभाग में (प्रत्येक विभाग में एक) तथा एक लेखा विभाग में रखा जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग/ अभियन्त्रण खण्ड में वर्तमान स्टाफ रखा जायेगा। प्रत्येक अभियन्त्रण खण्ड में एक कास्ट असिसटेन्ट (कामर्स ग्रेजुएट तथा उक्त प्रणाली का अनुभव प्राप्त) इसलिए रखा जाना आवश्यक है जिससे कि वह नई प्रणाली की कैश बुक एंव बैंक समाधान आदि का नया कार्य सुचारु रुप से कर सके तथा लेजर्स आदि प्राधिकरण के ही लिपिकों द्वारा कास्ट असिसटेन्ट के निर्देशानुसार रखें जायेगें। प्रत्येक अभियन्त्रण खण्ड में एक कास्ट असिसटेन्ट रखना इसलिए आवश्यक है जिससे कि वह दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित समस्त लेखों को उचित प्रकार से रखवा सकें।

अतः कृपया प्राधिकरण निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लेने का कष्ट करे:

1- क्या प्राधिकरण में दोहरी लेखा प्रणाली लागू की जाय? यदि हाँ तो किस तिथि से?

2- उपरोक्त प्रणाली को यदि लागू किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जायं अर्थात केन्द्रीय रुप से लेखे रखना अथवा अभियन्त्रण खण्डों में लेखे रखना(केन्द्रीय रुप से लेखे रखने में वार्षिक अनुमानित व्यय रु0 63,840/- तथा अभियन्त्रण खण्डों में लेखे रखने में वार्षिक अनु

अनुमानित व्यय रु0 1, 20,060/- होगा। इनमें से जो भी मान्य हो, तद्नुसार पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

3- यहाँ के वर्तमान लिपिकीय स्टाफ में से, चयन करके कुछ अच्छे लिपिक उक्त कार्य हेतु छाँट लिये जायें जिन्हें उक्त नया कार्य करने के लिए प्रोत्साहन के रुप में कुछ विशेष वेतन दिया जाये।

4- उपरोक्त प्रणाली पर लेखे रखने के लिए एक लेखा मैनुयल बनानी होगी। इस मैनुयल को बनाने का कार्य किसी कन्सल्टैन्ट को दिया जाए अथवा प्राधिकरण में कार्यरत कास्ट एकाउन्टेन्ट द्वारा उक्त लेखा मैनुयल बनायी जायें। यदि कास्ट एकाउन्टेन्ट को उक्त लेखा मैनुयल बनाने का कार्य सौंपा जाता है तो इसे किसी दूसरी एजेन्सी से वेट कराया जायें तथा इस दुह कार्य के लिए कास्ट एकाउन्टेन्ट को कुछ विशेष वेतन प्रति माह स्वीकृत किया जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट भी अभी तक नहीं बनी हैं। अतः उपयुक्त होगा कि कम से कम प्रारम्भिक 2 वर्ष की बैलेन्स शीट किसी कन्सल्टैन्ट से बना ली जाये। उसके बाद की बैलेन्स शीट विभाग द्वारा बनायी जा सकेगी।

आर.पी.एन/-

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण
का वित्तीय वर्ष 1980- 81
का मूल - बजट ।

x=x=x=x

मूल बजट वर्ष 1980-81
साथ में संलग्न है ।

एम/आर xxx

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-4-1980, जो आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में हुई, का कार्यवृत्त

- : 0 : -

उपस्थित :

1- श्री योगेन्द्र नारायण - कार्यवाहक अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, लखनऊ ।

2- श्री राधे कृष्ण गुप्त - उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

3- श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव - संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग, विधान भवन, लखनऊ ।

4- श्री जयन्ती प्रसाद दुबे - मुख्य ग्राम एवं नगर निषोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- श्री उमा कान्त - प्राविधिक सलाहकार, आवास सचिवालय, उ0प्र0 शासन ।

6- श्री ओ0पी0 विश्नोई - महाप्रबन्धक (प्र0 एवं नि0) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।

7- श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम - सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

8- श्री करुणा शंकर वाजपेयी - सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

9- श्री एम0ए0 लारी - सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

अन्य उपस्थित:

1- श्री डी0एस0वर्मा - सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण

अन्य विषय: श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में किये गये कार्यों के लिये सराहना ।

पारित प्रस्ताव:

अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण एवं सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी भूतपूर्व उपाध्यक्ष का लखानऊ विकास कार्य में प्रशंसनीय योगदान रहा है । इसे दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया:-

"" लखानऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के रूप में श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी की सेवाओं की सराहना करता है ।""

क्रमश:---2

विषय संख्या:1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 2-2-1980 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 2-2-1980 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

विषय संख्या:2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की दिनाँक 24-11-1979, 22-12-1979 एवं 2-2-1980 की बैठकों में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या ।

पारित प्रस्ताव: अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्न-लिखित निर्णय लिये गये :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 28-9-1979 के कार्यवृत्त की निम्न संशोधन के साथ पुष्टि की गई थी :-

2.1 "विषय संख्या-2 में पारित प्रस्ताव-1 के स्थान पर अब निम्नलिखित वाक्य लिया जाये :-

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि अर्जन से मुक्त न की जाय तथा डा0 टण्डन को उनकी इस अर्जित भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि पिछले निर्धारित नियमों व दरों व शर्तों पर आवण्टित कर दी जाये ।"

निर्णय लिया गया कि की जा रही कार्यवाही को स्पष्ट किया जाये तथा 15 दिन के अन्दर डा0 टण्डन को उनकी अर्जित भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि पिछले निर्धारित नियमों, दरों व शर्तों पर आवण्टित कर दी जाये ।

2.2 विषय संख्या-6क में अब निम्नलिखित पैरा भी जोड़ दिया जाये :-

"उत्तर प्रदेश जल निगम को स्कीम की कास्ट पर हाता रसूल खाँ में भूमि दे दी जाये तथा विषय संख्या 6ख के पारित प्रस्ताव के क्रम में संख्या-ख के बाद एक क्रमसंख्या-ग भी जोड़ दिया जाये, जो निम्न प्रकार से होगा :-

"विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि छोड़े जाने एवं विस्थापितों हेतु गाइड-लाइन्स तैयार करने हेतु एक उप-समिति गठित की जाती है, जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं श्री एम0ए0 लारी, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण और आयुक्त एवं सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधि सदस्य होंगे । यह उप-समिति अपनी रिपोर्ट विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी ।"

क्रमश:--- 3.

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आगामी बैठक में रखा जाय ।

2.3 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-1979 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या :-

तालकटोरा रोड स्थित भूखंड संख्या-4, जिसका भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण ने रिपोर्ट माँगी थी, निर्णय लिया गया था कि :-

क- पत्रावली खोने के बारे में जाँच की जाये व जिम्मेदारी निर्धारित की जाय तथा जिम्मेदार कर्मचारी को दण्डित किया जाये ।

ख- उक्त पत्रावली पुनः रिकान्स्ट्रक्ट की जाय ।

ग- मूल प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाय ।

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त में से प्रत्येक विन्दु पर रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाय ।

2.4 नजूल कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुपालन ।

निर्णय लिया गया कि कलेक्टरेट में नक्शें एवं अभिलेख पूर्ण करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय तथा अमीन आदि की जो नियुक्ति बाकी हो उसे शीघ्र किया जाये । एक वार्ड में सर्वे का समय बद्ध कार्य प्रारम्भ कराया जाये । नजूल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाये ।

2.5 नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में 24-11-1979 की प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया था कि निर्धारित शर्तों के साथ प्रथम चरण में 50 आटो-रिक्शा क्रय किये जायें ।

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में 15 दिन के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

2.6 "अ" सेक्टर "एल" अलीगंज योजना द्वितीय चरण में जनसंख्या के घनत्व पार्क का क्षेत्रफल कम करने तथा मार्गों की चौड़ाई कम करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाय ।

"ब" अलीगंज योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एम" में जनसंख्या का घनत्व 285 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6.30 प्रतिशत तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फुट रखने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि

---4

इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को रिपोर्ट भेज दी जाये ।

"स" अलीगंज आवासीय क्षेत्र के द्वितीय चरण में सेक्टर "एन" में जनसंख्या का घनत्व 373 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 8 प्रतिशत तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फुट रखाने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया कि इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाये ।

निर्णय लिया गया कि कृत कार्यवाही का विस्तृत अगली बैठक में अनुपालन आख्या में दिया जाये ।

2.7 ओल्ड पोस्ट आफ़िस कामर्शियल काम्पलेक्स की स्केच एवं वर्किंग ड्राइंग तैयार करने के लिये रू0 2.34 लाख मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तावित फीस के भुगतान का निर्णय लिया गया था ।

निर्णय लिया गया कि नगर नियोजन विभाग को उपरोक्त भुगतान शीघ्र किया जाये ।

2.8 प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 24-11-1979 में निर्णय लिया गया था कि लखनऊ नगर का प्रमाणिक मानचित्र तैयार करने हेतु सर्वेक्षण के सम्बन्ध में समस्या का अध्ययन करके प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

निर्णय लिया गया कि दिनाँक 30-4-1980 के पहले उपाध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय तथा विषय अगली बैठक में रखा जाये ।

2.9 सिण्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित की गई दुकानों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि सिण्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित 38 दुकानों के आवन्टन की कार्यवाही शीघ्र की जाये ।

2.10 प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा वाहनों का निजी प्रयोग में लिये जाने के प्रश्न पर सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण के वाहनों के निजी प्रयोग का प्रश्न नहीं उठता है ।

2.11 भूखण्ड संख्या-3 मोतीझील सा मिल योजना के अन्तर्गत आवन्टन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में यदि शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो इसकी स्थिति ज्ञात कर ली जाये तथा विधित राय एवं शासन के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए उपाध्यक्ष इस पर अन्तिम निर्णय ले लें ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष के समक्ष दिनाँक 25-4-1980 तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये ।

क्रमशः:----5

2.12 तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या-4 का लखानऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के एवं तत्सम्बन्धी विषय पर नीति निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने की संस्तुति की जाती है तथा संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाये ।

निर्णय लिया गया कि यह दर्ज किया जाये कि शासन को संस्तुति कब भेजी गई तथा शासन से शीघ्र आदेश प्राप्त किये जायें तथा इस सम्बन्ध में शासन को स्मरण भी कराया जाये ।

2.13 प्रथम चरण में निर्मित नक्खास मार्केट की दूकानों के समक्ष निर्मित पार्क को हटाकर झाड़न्जे या फर्श लगने का कार्य प्राधिकरण के व्यय पर कराने का निर्णय लिया गया था ।

निर्णय लिया गया कि पार्क को हटाकर झाड़न्जे अथवा फर्श लगाने का कार्य शीघ्र कराया जाये ।

2.14 लखानऊ नगर में कुर्सी रोड पर कैंटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण व्दारा कुछ गाइड-लाइन्स निर्धारित की गई थी तथा कैंटिल कालोनी की स्थापना के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये गये थे ।

निर्णय लिया गया कि कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये ।

<u>विषय संख्या:3</u> बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूध्द प्रगति-आख्या ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> स्थगित

<u>विषय संख्या:4</u> कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखाण्डों के विक्रय एवं ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में निर्णय

<u>पारित प्रस्ताव:</u> लखानऊ ट्रक ट्रान्सपोर्टर्स ऐसोसियेशन के अध्यक्ष के पत्र दिनाँक 15-3-1980 में उल्लिखित आपत्तियाँ तथा उनपर टिप्पणियों का प्राधिकरण ने अवलोकन किया तथा निम्न निर्णय लिये:-

4.1 जिन व्यक्तियों ने ट्रान्सपोर्ट नगर में विक्रय के लिये उपलब्ध भूखाण्डों के लिये रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके प्रार्थनापत्रों को स्क्रुटनाइज़ करके उन्हे भूखाण्ड आवन्टन की कार्यवाही की जाये ।

क्रमश:----6

4.2 समाचार पत्रों में ट्रान्सपोर्ट नगर के भूखण्डों के रजिस्ट्रेशन हेतु पुनः विज्ञापन दिया जाये ।

4.3 रजिस्ट्रेशन के लिये फार्म एवं विवरण-पुस्तिका सीधे प्रार्थियों को ही दी जाये किसी अन्य माध्यम से नहीं ।

4.4 इस मामले में विधिक राय ली जाय कि गुड्स ट्रान्सपोर्ट्स वेहिकिल्स को किस प्रकार ट्रान्सपोर्ट नगर में जाने के लिये बाध्य किया जा सकता है ? यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त उपलब्धियों के लिये अधिनियमों में भी संशोधन कराया जाये ।

विषय संख्या:5

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:6

अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एन" के जनसंख्या के घनत्व तथा मार्गों की चौड़ाई उत्तर-प्रदेश बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट 1958 में निर्धारित चौड़ाई से कम रखने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:7

लक्ष्मण टीले के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अतिथि-गृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:8

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:9 लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट वर्ष 1980-81

पारित प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल बजट 1980-81 पर विचार-विमर्श किया गया था तथा निम्न निर्णय लिये गये :-

क्रमशः----7

9.1 बजट को निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए पुन: रिकास्ट किया जाये:-

अ- बजट हाई-लाइट्स को सही ढ़ँग से प्रस्तुत किया जाये ।

ब- बजट ऐट ए ग्लान्स स्पष्ट रूप से रखा जाये ।

स- 31-3-1980 तक का वास्तविक आय-व्यय भी बजट में दिखाया जाये ।

द- आय व्यय के प्रमुख मदों को सन्दर्भित करते हुए (Explanatory memos) भी दिये जायें ।

9.2 यह भी निर्णय लिया गया कि बजट पर विचार करने के लिये दिनाँक 28-4-1980 के पूर्वान्ह 11-30 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण के समिति कक्ष में पुन: बैठक का आयोजन किया जाय ।

9.3 बजट की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवर्तक तथा आवश्यक अनावर्तक व्यय उपाध्यक्ष प्राधिकरण की अगली बैठक होने तक करते रहें ।

विषय सँख्या:10

अलीगँज योजना, मोतीझील योजना तथा कानपुर रोड योजना के लिये हडको व्दारा स्वीकृत ऋणों के आहरण हेतु ऋण लेने का प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्वीकृत होना है साथ ही साथ ऋण अनुबन्धा पर हस्ताक्षर करने एवँ कामन सील के प्रयोग हेतु सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने का प्रस्ताव भी आवश्यक है । तद्नुसार प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

पारित प्रस्ताव:

हाउसिंग ऐण्ड अरबन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली व्दारा अलीगँज आवास योजना एवँ मोतीझील आवास योजना के लिये ऋण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा कानपुर रोड योजना की स्वीकृति भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है । उपरोक्त योजनाओं के विवरण निम्न प्रकार हैं :-

योजनायें	शुध्द ब्याज की दर	अलीगँज योजना	मोतीझील योजना	कानपुर रोड योजना	योग
1	2	3	4	5	6
1-दुर्बल आय वर्ग	5%	500	328	224	1052
2-अल्प आय वर्ग	7%	200	-	202	402
3-साइट-सर्विसिज़	4%	800	-	233	1033
ऋण की धनराशि (लाखों में)	-	79.92	22.63	49.36	151.91

-------8

अत: लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा हडको से उपरोक्त योजनाओं के लिये कुल रू0 151.91 लाख का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की जाती है । उक्त ऋण हेतु शासन से गर्वनमेन्ट गारन्टी लेने की भी अनुमति प्रदान की जाती है । जिसके लिये विकास-प्राधिकरण काउन्टर गारन्टी देने के लिये सहमत है । हडको से अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने एवं कामन सील का प्रयोग करने के लिये सचिव, विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया ।

ह0 ध्यान सिंह वर्मा
(ध्यान सिंह वर्मा)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त
x=x=x=x=x=x

ह0 योगेन्द्र नारायण
(योगेन्द्र नारायण)
कार्यवाहक अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
ल ख ना ऊ ।

दिक्षित/रज़ा

आय - व्ययक

वर्ष १९८१-८२

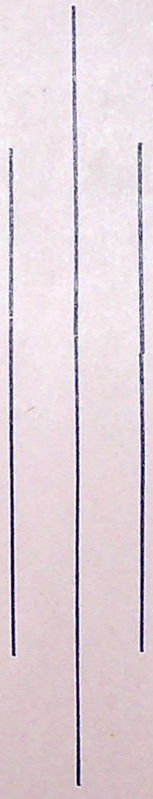

लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

का

वित्तीय वर्ष 1981- 1982

का

आय - व्ययक

1- प्रस्तावना

संक्षिप्त इतिहास एवं स्थापना:

1.1 सर्वप्रथम लखनऊ नगर के आवास एवं विकास कार्यों का संचालन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एवं तदुपरान्त उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत (फरवरी 1960 से) लखनऊ नगर महापालिका द्वारा शहर के आवास एवं विकास कार्यों का संचालन किया जाता रहा था। नगर की बढ़ती हुयी आबादी एवं आवास समस्या को सुधारने की दृष्टि से वर्ष 1973 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की रचना की गयी एवं उसके अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति संख्या 3923/37-2 विo आo-72 दिनांक 11-9-1971 द्वारा लखनऊ नगर योजनानुसार विकास हेतु विकास शील क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र में लखनऊ नगर महापालिका की सीमा के अन्दर का क्षेत्र, तथा महापालिका सीमाओ से 8 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र (कैन्टूमेन्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा जल, थलवृथा नभ सेना हेतु लिये गये क्षेत्र को छोड़कर) विकासशील क्षेत्र घोषित किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना शासकीय विज्ञप्ति सं0 2892/37-1-21 विo आo दिनांक 13-9-1974 के अन्तर्गत दिनांक 13 सितम्बर 1974 से हुयी।

1.2 संगठन

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान संगठन निम्नप्रकार से है।

पदेन सदस्य:

1-	अध्युक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ	अध्यक्ष
2-	अशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	उपाध्यक्ष
3-	सचिव, आवास अनुभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
4-	सचिव, वित्त विभाग ,,	सदस्य
5-	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6-	प्रबंध निदेशक, जल निगम,	सदस्य
7-	जिला अधिकारी, लखनऊ	सदस्य

क्रमशः 2

1.3 - उद्देश्य

प्राधिकरण का उद्देश्य विकास क्षेत्र को योजना के अनुसार विकसित करना है तथा उस प्रयोजन के लिये प्राधिकरण को भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबंध और व्ययन करने, निर्माण इन्जीनियरिंग, खनन और क्रियायें कार्यान्वित करने जल और बिजली के प्रदाय के प्रबंध में सक्षम निष्पादित करने, मल का व्ययन करने और अन्य सेवायें तथा सुख सुविधायें उपलब्ध कराने का उद्देश्य हैं। और उन्हे बनाये रखने और साधारणतया ऐसे विकास के प्रयोजनो के लिये तथा अनुशासित प्रयोजनो के लिये भी यह कार्य करता हैं।

1.4 - कार्य कलाप

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्य कलापो में निम्नलिखित विषय सम्मलित हैं:-

1- भूमि अर्जन

2- भूमि का विकास

3- आवासीय भवनो का निर्माण। विशेषतया दुर्बल वर्ग हेतु ।

4- व्यवसायिक केंद्र का निर्माण

5- मलिन बस्ती पर्यावरण एवं निपरतन योजना

6- भूमि विकास एवं भवन निर्माण विनियम ।

2- वर्ष 1980-81 की वित्तीय एवं भौतिक प्रत्याशित उपलब्धियां

2.1- आय:-

वित्तीय वर्ष 1980-81 में कुल रु0 1780.42 लाख की आय प्रस्तावित की गयी थी जिसके विरुद्ध दिनांक 28-2-81 तक रु0 272.19 लाख की आय हुयी, जिसका विवरण मुख्य मदो के अनुसार निम्नवत हैं:- [लाखो में]

क्रम सं0	मद	मूलबजट 1980-81 अनुमान	वास्तविक आय 28-2-1981 तक
1-	पट्टो का अधिशुल्क	5.90	2.09
2-	भवनो/दुकानो का किराया/प्रीमियम	66.10	30.23
3-	भवनचित्र तथा तावान शुल्क	8.42	3.24
4-	भूमि की बिक्री	350.76	52.55
5-	भवनो की बिक्री	338.45	48.67
6-	अन्य प्राप्तियां	15.79	14.04
7-	ऋण	995.00	121.37
	योग रु0	1780.42	272.19

क्रमशः 3

उपरोक्त से स्पष्ट हैं कि प्रस्तावित आय के विरुद्ध आय की प्राप्ति कम अनुपात कम रहा हैं क्योंकि प्रमुख योजनओ अलीगंज एवं कानपुर रोड योजना में प्लाटो का×××× एवं भवनो का विक्रय देर से प्रारम्भ हुआ तथा कुछ अड़चनो के कारण पहले नही हो सका था इसके साथ ही शासन से ऋण इत्यादि वर्ष के अंत में माह मार्च में प्राप्त होता हैं जो ऋण की प्राप्ति दिखाई गयी हैं वह हडको पंचम चरण से सम्बन्धित हैं। अनुमानतः मार्च 1981 तक रु० 1.30 करोड़ के ऋण तथा रु० 1.50 करोड़ आय होजाने की सम्भावना हैं। उपरोक्त वास्तविक आय में खाण्डीय आय।डिपाजिट।सम्मलित नही हैं यह आकड़े बजट के विरुद्ध हैं।

2.2 -- व्यय:-

वित्तीय वर्ष 1980-81 में रु० 2054.71 लाख का व्यय प्रस्तावित था जिसके विरुद्ध फरवरी 1981 तक रु० 492.08 लाख का व्यय हुआ हैं। व्यय की प्रमुख मदें निम्नवत हैं:-

। व्यय लाखो में ।

क्रम सं०	मद	मूल बजट	वास्तविक
1-	अधिष्ठान	52.53	39.20
2-	ऋणो पर ब्याज/ प्रतिदान/निक्षेप निधि का भुगतान	172.55	80.80
3-	भूमि अर्जन	440.00	47.15
4-	भूमि विकास	338.68	103.03
5-	भवन निर्माण	662.97	106.60
6-	व्यवसायिक केन्द्र/ दुकानो का निर्माण	100.30	8.98
7-	मलिन बस्ती निपातन योजना ।	32.20	7.64
8-	मशीनरी एवं स्टोर्स	158.00	36.95
9-	सायोगिक व्यय	97.48	61.72
	योग रु०	2054.71	492.08

उपरोक्त से यह स्पष्ट हैं कि मुख्यतः जो व्यय भूमि अर्जन, भूमि विकास, भवन निर्माण, व्यवसायिक केन्द्रो/दुकानो के निर्माण एवं मलिन बस्ती निपातन योजना में हुआ हैं वह आय के अनुपात में संतोषजनक हैं क्योकि प्राधिकरण ने प्राप्त ऋण अवशेष तथा उपलब्ध आय से इसे सम्पन्न किया हैं ।

क्रमशः---- 4

2.2.1 भूमि अर्जन एवं भूमि विकास को वित्त पोषित करने हेतु राज्य सरकार को भेजी गयी रू० 352 लाख की योजना के विरुद्ध चालू वर्ष में अभी तक ऋण प्राप्त नहीं हुआ है अतः धनाभाव के कारण भूमि का प्रतिकर कम मात्रा में भुगतान हुआ। अभी तक केवल रू० 47.15 लाख का भुगतान हो सका है।

2.2.2 विकास कार्यों में व्ययकम होने का कारण भी मुख्यतः धनाभाव ही था कार्य चल रहे हैं और वर्ष के अन्त में भुगतान पर्याप्त मात्रा में हो जाने तथा योजनाबद्ध कार्य समाप्त हो जाने की आशा है।

2.2.3 भवनों के निर्माण में व्यय कम होने का करण यह था कि कार्य देर से प्रारम्भ किये गये।

2.2.4 व्यवसायिक केन्द्रों के निर्माण में प्रस्तावित व्यय कम होने का कारण यह है कि आर०टी०ओ०, छितवापुर तथा अलीगंज काम्पलेक्स का निर्माण नहीं हो पाया। छितवापुर काम्पलेक्स के लिये भारत ओवरसीज बैन्क से ऋण स्वीकृत करा लियागया है तथा योजना पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा।

2.2.5 मलिन बस्ती निपातन योजना में प्रस्तावित व्यय/वास्तविक व्यय कम होने का कारण यह है कि राज्य सरकार से प्रस्तावित ऋणप्राप्त न होसका तथा पर्यावरण सुधार का कार्य महापालिका को हस्तान्तरित होगया है।

2.3 ऋणों का प्रतिदान:

दिनांक 1.4.1980 को प्राविधिकरण पर रू० 1161.39 लाख का ऋण अवशेष था। अभी तक हुडको से रू० 121.37 लाख का ऋण प्राप्त हुआ है। ऋण का प्रतिदान निर्धारित तिथियों पर किया जा रहा है। प्रमुख रूप से प्रतिदान मार्च में देय है अतः व्यय अभी तक कम है। मार्च में ऋण के प्रतिदान एवं प्राप्ति के उपरान्त अवशेष का पता चल सकेगा।

3.1 वर्ष 1980-81 की प्रमुख भौतिक प्रत्याशित उपलब्धियाँ

3.1 भूमि अर्जन:

भूमि अर्जन की मद में स्थिति निम्नवत है:-

योजना का नाम	क्षेत्रफल अर्जन हेतु	31.3.80 तक अर्जित	1980-81 में अर्जित भूमि (अनुमानित) एकड़ में।
अलीगंज योजना	923	815	-
कानपुर रोड योजना			
फेज-1 फेज-2	1065	444.65	420.70
फेज-3	2044	-	-
फेज-4	1350	-	-
अन्य योजनायें	2271	14.46	-

क्रमशः 5

उपरोक्त योजनाओ पर रू0 47.15 लाख का प्रावधान किया गया है।

3.2 भूमि विकास:

31.3.80 को अन्त 1980-81 में प्रमुख योजनाओ में विकास की स्थिति निम्नवत रही:-

[मीटर में]

कार्य का नाम	अलीगंज			कानपुररोड			अन्य		
	31.3.80	80-81	योग	31.3.80	80-81	योग	31.3.80	80-81	योग
सड़के/ गलियां	169166	25800	194966	10000	5100	15100	3160	507	3667
सीवर	36092	11050	47142				2050	989	3039
पार्क	69	9	78	2	7	9	2	7	9
रोशनी	36352	2000	38352	18400	–	18400	–	3667	3667
जल व्यवस्था	48379	300	48679	8100	1500	9600	2800	500	3300
नाला	11525	7000	18525	–	–	–	500	–	500
ट्यूबवेल	4	1	5	–	2	2	–	1	1
ओवरहेड टैन्क	–	–	–	–	1	1	–	–	–
सोकपिट	–	–	–	–	410	410	–	–	–

3.3 आवासीय भवनो की स्थिति निम्नवत है:-

भवनो का प्रकार	78-79 तक निर्मित	79-80 तक उपलब्धि	80-81 में प्रत्याशित उपलब्धि ।	योग
1-उच्च आय वर्ग	104	19	14	137
2-अध्य आय वर्ग	291	180	66	537
3-निम्नआयवर्ग	194	563	317	1074
4-दुर्बलआयवर्ग	1505	1119	892	3516
5- साईट/सर्विसेज	–	913	631	1544
योग	2094	2794	1920	6808

3.4 व्यवसायिक केन्द्रो पर अपूर्ण कार्यो की परिपूर्ति अभी तक की जाती रही है। छितवापुर प्रोजेक्ट की वित्तीय संस्थाओ की व्यवस्था करने के उपरान्त स्वीकृति इत्यादि प्राप्त कर ली गयी है । इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा ।

3.5 सामान्य विकास कार्यो में गौतमबुद्ध पार्क जो पूर्ण करके जनता के लिये खोल दिया गया था तथा गोमती नदी में तैरते हुये एक रेस्टोरेन्ट को बनाने

क्रमशः 6

का निर्णय वित्तीय वर्ष 1979-80 में लिया गया था । इस कार्य की परि-पूर्ति कर दी गयी हैं तथा चालू भी कर दिया गया हैं ।

4- वर्ष 1981-82 का प्रस्तावित आय-व्ययक ।आय।

4.1 वित्तीय वर्ष 1981-82 में रु0 1303.33 लाख की कुल आय प्रस्तावित हैं। प्रमुख आय की मदो का विवरण निम्नवत हैं:-

। लाखो में ।

क्रम सं	मद	दावराशि
1-	पट्टो का अधिशुल्क	3.80
2-	भवनो/दुकानो का किराया/ प्रीमियम	58.50
3-	भवनचित्र तथा तावानशुल्क	4.00
4-	भूमि की बिक्री	339.65
5-	भवनो की बिक्री	234.03
6-	अन्य प्राप्तियां	13.35
7-	ऋण	650.00
	कुल योग	1303.33
	प्रारम्भिक अवशेष	86.00
	महायोग	1389.33

4.2 व्यय

वित्तीय वर्ष 1981-82 में कुल व्यय रु0 1383.24 लाख अनुमानित हैं जिसकी प्रमुख निम्नवत हैं :-

।लाखो में।

क्रम सं0	मदे	दावराशि
1-	अधिष्ठान व्यय	60.00
2-	ऋणो का प्रतिदान/निक्षेप निधि का भुगतान	215.63
3-	भूमि अर्जन	275.00
4-	भूमि विकास	299.81
5-	भवन निर्माण	272.00
6-	व्यवसायिक केन्द्र/दुकानो का निर्माण	100.00
7-	मलिन बस्ती निपातन योजना	3.00
8-	मशीनरी एवं स्टोर्स	76.50
9-	सांयोगिक व्यय तथा अन्य	81.30
	योग रु0	1383.24

क्रमशः 7

3.1 बजट वर्ष में भूमि अर्जन/विकास की स्थिति निम्नवत है:—

4.3.1 भूमि अर्जन धनराशि भूमि विकास

योजना का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)	28.2.81 तक अर्जित	81-82 में प्रस्तावित	28.8.81 तक विकास (एकड़ में)	81-82 में प्रस्तावित	धनराशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
अलीगंज	923	815	108	120	653	97	139.50
कानपुर रोड	3113	865.35	119.65	125	177	60	95.00
सीतापुर/हरदोई/नैपियर रोड/रायबरेली-रोड आदि	5096.02	18	50	30	18	12	18.50

4.3.2 आवासीय भवन निर्माण की मद में निम्नलिखित प्रस्तावना हैं:-

भवनों का प्रकार 1	अलीगंज 2	कानपुर रोड 3	अन्य 4	योग 5
साईट्स सर्विसेज	811	816	–	1627
दुर्बलआवबर्ग	895	910	40	1845
निम्नआवबर्ग	528	350	–	878
मध्यआयबर्ग	119	150	–	269
उच्च आय बर्ग	20	30	–	50
योग	2373	2256	40	4669

स्टोर रहित कुल निर्माण लागत रु0 269 लाख बजट में प्रस्तावित की गयी हैं। चालू वर्ष में जो अवशेष भवन रहने की सम्भावना हैं उनको सम्मलित कर लिया गया हैं।

4.3.3 व्यवसायिक केन्द्र /दुकानों का निर्माण:

इस मद में रु0 100 लाख का प्राविधान रक्खा गया हैं जिसको प्रमुख रूप से छितवापुर, सिडर्स डम्प, अलीगंज विस्तार योजना में 25 दुकानों के अतिरिक्त फेज 2 में चीपर मार्केट, कपूरथला व्यवसायिक केन्द्र तथा थोक तरकारी मन्डी के निर्माण की प्रस्तावना हैं।

4.3.4 प्राधिकरण कार्यालय/अतिथि गृह/कम्युनिटी हाल के निर्माण हेतु रु0 6 लाख की प्रस्तावना तथा सड़कों को चौड़ा करने, रिन्ग रोड के निर्माण, आडिटोरियम, एवं एरियल सर्वे हेतु रु0 11.50 लाख का प्राविधान रखा गया हैं।

4.3.5 अधिष्ठान पर वर्ष 80-81 में रु0 52.53 लाख की प्रस्तावना थी जिसे 1981-82 में बढ़ाकर रु0 60 लाख कर दिया गया प्रमुख कारण यह हैं कि वेतनआयोग/वार्षिक वृद्धियों/रिक्त पदों पर नियुक्तियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित हो जाने के कारण व्यय बढ़ जायेगा।

क्रमशः 8

5- बजट वर्ष 1981-82 के प्रमुख कार्यक्रम

5.1 बजट वर्ष में 4669 भवनो के निर्माण की प्रस्तावना हैं जिसमें दुर्बल आय बर्ग एवं निम्न आय बर्ग हेतु 4350 भवन प्रस्तावित हैं।

5.2 छितापुर रोड व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण तीव्र गति से करने का प्रस्ताव हैं जिससे लखनऊ नगर को एक व्यवसायिक केन्द्र प्राप्त होगा ।

5.3 नगर के विभिन्न स्थानो पर छोटी-छोटी दुकानो के एवं क्यास्क के अतिरिक्त अलीगंज , सिडर्स डम्प, नक्खास में दुकानें तथा व कपूरथला बाग के व्यवसायिक केन्द्रो के निर्माण हाथ में लेने का प्रस्ताव हैं ।

5.4 थोक तरकारी मन्डी तथा फुटकर बाजार बनाने की व्यवस्था बजट में की गयी हैं ।

5.5 बजट वर्ष में हरदोई रोड, कुर्सी रोड इत्यादि पर कामधेनु नगर योजना को प्रारम्भ करने का भी निर्णय लिया गया हैं ।

5.6 लखनऊ विकास प्राधिकरण का कोई अतिथिगृह नही हैं । लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक कार्यालय तथा नगर में एक अतिथिगृह निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं।

5.7 निरालानगर एवं अलीगंज में कम्युनिटी हाल के निर्माण की प्रस्तावना बजट में रक्खी गयी हैं।

5.8 नगर में एक आडिटोरियम की व्यवस्था की प्रस्तावना हैं।

5.9 प्राधिकरण के निर्णय अनुसार एरियल सर्वे का कार्य इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हैं ।

5.10 लखनऊ नगर के सौन्दर्यीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया गया हैं। यमुनाझील सूरजकुन्ड, नीबू बाग में पार्को का निर्माण तथा अलीगंज एवं कानपुर रोड में ग्रीन बेल्ट के निर्माण की प्रस्तावना की गयी हैं ।

5.11 नगर में कुछ सड़के विशेषकर कुर्सी रोड अत्यन्त सकरी हैं अतः उसे चौड़ा करने तथा इनर रिंग रोड के निर्माणार्थ बजट में प्राविधान रखा गया हैं।

5.12 स्लम निपातन योजना के अर्न्तगत भी कार्यवाही प्रस्तावित की गयी हैं इस समय तीन हाथो मे कार्य चल रहा हैं जिसे पूरा किया जायेगा।

5.13 टांसपोर्ट नगर में विकास कार्य पूर्ण करके उसे बसा दिया जायेगा तथा भवनो/दुकानो का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

5.14 लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियो को आवासीय सुविधा देने हेतु बजट में प्राविधान कियागया हैं।

5.15 टासंपोर्ट नगर के व्यवसायिक भूखण्डो/आवासीय भूखण्डो का का निस्तारण सुनिश्चित करने का प्राविधान हैं ।

5.16 इस वित्तीय वर्ष में भूमि अर्जन के कार्य विशेष बल दिया जायेगा ताकि विभिन्न विकास शील योजनाओ को प्रगतिशील रखा जा सके ।

6 वित्तीय समीक्षा

6.1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना हुये अभी लम्बी अवधि नही व्यतीत हुयी हैं । स्वाभाविक रुप से उसे अपनी पूंजी गत योजनाओ के कार्यान्वित करने हेतु शासकीय एवं सस्थागत ऋणो पर आश्रित रहना पड़ा । जैसे जैसे अपनी अपनी योजनाये पूर्ण ॥ हुयी आय की प्राप्ति पूर्ण होगयी जिससे ऋणो के प्रतिदान तथा अन्य निर्धारित व्यय सम्पन्न होने के साथ साथ योजनाओ पर भी व्यय किया जा रहा है। पूर्णरुपेण अपने ऊपर आश्रित होने में अभी समय लगेगा ।

6.2 वर्ष 80-81 में प्रारम्भिक अवशेष रु0 267.74 लाख था राजस्व श्रोतो से आय 785.42 लाख, विभिन्न श्रोतो से ऋण रु0 995 लाख प्रस्तावित थे जिसके विरुद्ध रु0 302.63 लाख राजस्व आय तथा रु0 251.37 लाख ऋण स्वरुप प्राप्त होने की आशा हैं ।

. रु0 2054.71 लाख बजट प्राविधान के विरुद्ध रु0 733.74 लाख व्यय हो सकते हैं । रु0 86.00 लाख का अतिम अवशेष बचने की सम्भावना हैं ।

6.3 वर्ष 81-82 का बजट रु0 86 लाख के प्रारम्भिक अवशेष से प्रारम्भ कियागया हैं राजस्व आय रु0 653.33 लाख तथा शासकीय एवं सस्थागत ऋणो से रु0 650.00 लाख का अनुमान रखा गया हैं। कुल अनुमानित . प्राप्ति रु0 1389.33 लाख के विरुद्ध रु0 1383.24 लाख के व्यय का प्राविधान रखा गया हैं ।

6.4 साधारणतया आय-व्यय के अतिरिक्त 31.3.81 को रु0 11 लाख विनियोजित दान के रुप में तथा ऋण मांग पत्र /1.. आधारित पूंजी . ऋण के लिये निक्षेप निधि में रु0 66.84 लाख होने की आशा हैं। यह विनियोजन दीर्घ कालीन हैं अतः इसके आहरण . अथवा उसके व्यय के प्राविधान रखने का प्रश्न नही हैं ।

जमीलउर रहमान	जे0पी0श्रीवास्तव	शुकदेवप्रसाद त्रिपाठी
सहायक लेखा अधिकारी	मुख्य लेखा अधिकारी	सचिव

शर्मा/×

मूल बजट 1981-82 ‖ एक दृष्टि में ‖

आय पक्ष	‖लाखों में ‖		व्यय पक्ष	‖लाखों में ‖
क्रम सं0	मद	धनराशि	क्रम सं0	मद	धनराशि
1-	**राजस्व**			**राजस्व**	
1-	पट्टों का अधिशुल्क	3.80	1-	अधिष्ठापन व्यय ‖अभियंत्रण के अतिरिक्त ‖	28.00
2-	भवनों/दुकानों का किराया/ प्रीमियम	58.50	2-	विकास कार्य ‖पुरानी योजनायें ‖	22.50
3-	भवन चित्र तथा तकनीकी शुल्क	4.00	3-	पुराने ऋणों पर ब्याज/प्रतिदान	16.30
4-	अन्य प्राप्तियां	8.35	4-	सामयिक व्यय तथा अन्य व्यय	34.00
	योग ‖1‖	74.65		योग ‖1‖	100.80
2-	**पूंजीगत**		2-	**पूंजीगत**	
‖क‖	प्राप्तियां	339.65	1-	अधिष्ठान व्यय ‖अभियंत्रण‖	32.00
1-	भूमि की बिक्री	234.03	2-	ऋणों पर ब्याज/प्रतिदान/निक्षेपनिधि का भुगतान	199.33
2-	भवनों की बिक्री		3-	भूमि अर्जन	275.00
3-	अन्य	5.00	4-	भूमि विकास/अन्य सुधार कार्य	277.31
	योग ‖क‖	578.68	5-	भवन निर्माण	272.00
‖ख‖	ऋण	650.00	6-	व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों का निर्माण	100.00
	योग ‖2‖	1303.33	7-	मलिन बस्ती निपातन योजना	3.00
3-	प्रारम्भिक अवशेष	86.00	8-	मशीनरी एवं स्टोर्स	75.00
	महायोग 1, 2 तथा 3 का	1389.33	9-	अन्य व्यय	48.80
				योग ‖2‖	1282.44
			3-	अंतिम अवशेष सम्भावित	+6.09
				महायोग 1, 2 तथा 3	1389.33

शर्मा/

से 1981-82 अनुमानों

वर्ष 1980-81 की आय/का तुलनात्मक विवरण

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	आय की मदें	मूल बजट 1980-81	फरवरी 81 तक वास्तविक	मूलबजट 1981-82	विवरण
	1- राजस्व				
I	पट्टों का अधिशुल्क	5.90	2.09	3.80	पृष्ठ 13
II	भवनों/दुकानों का किराया/प्रीमियम	66.10	30.23	58.50	पृष्ठ 13
III	भवन चित्र तथा तावान शुल्क	8.42	3.24	4.00	पृष्ठ 14
IV/A	अन्य प्राप्तियां	10.45	4.92	8.35	पृष्ठ 14-
	योग	90.87	40.48	74.65	
	2- पूंजीगत:				
	(क) प्राप्तियां				
I	भूमि की बिक्री	350.76	52.55	339.65	पृष्ठ 15
II	भवनों की बिक्री	338.45	48.67	234.03	पृष्ठ 15
III	अन्य प्राप्तियां	5.34	9.12	5.00	पृष्ठ 15
	योग	694.55	110.34	578.68	
	ऋण	995.00	121.37	650.00	पृष्ठ 16
	महायोग I एवं 2 का	1780.42	272.19	1303.33	

हस्ता./

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के व्यय का तुलनात्मक विवरण

(रु० लाखों में)

क्रम सं	व्यय की मदें	मूलबजट 1980-81	वास्तविक फरवरी 81 तक	मूल बजट 1981-82	विवरण पृष्ठ सं०
1- राजस्व					
1-	अधिष्ठान (अभियन्त्रण के अतिरिक्त)	22.95	21.03	28.00	(17)
2-	विकासकार्य (पूंजीगत योजनाएं)	22.25	12.05	22.50	(18)
3-	पुराने ऋणों पर ब्याज/प्रतिदान	16.30	1.72	16.30	(17)
4-	स्टोर	2.50	1.31	1.50	(18)
5-	सांयोगिक व्यय	26.35	8.87	32.50	(17-18)
	योग	90.35	44.98	100.80	
2- पूंजी मद:					
1-	अधिष्ठान (अभियन्त्रण)	29.58	18.17	32.00	(19)
2-	ऋणों पर ब्याज/ प्रतिदान निक्षेप निधियों का भुगतान	156.25	79.08	199.33	(20)
3-	भूमि अर्जन	440.00	47.15	275.00	(20)
4-	भूमिविकास/ अन्य सुधार कार्य	316.43	90.98	277.31	(20-21) 24)
5-	भवन निर्माण	662.97	106.60	272.00	(21-22-23
6-	व्यवसायिक केन्द्र/ दुकानों का निर्माण	100.30	8.98	100.00	(23)
7-	मलिन बस्ती निपातन योजना	32.20	7.64	3.00	(23)
8-	मशीनरी एवंस्टोर	158.00	35.64	75.00	(24)
9-	अन्य व्यय	68.63	52.86	48.80	(19-24)
	योग	1964.36	447.10	1282.44	
महायोग 1 एवं 2 का		2054.71	492.08	1383.24	

शर्मा/×

आय

क्रम सं०	आय के शीर्षक	वास्तविक आँकड़े 1979-80	मूल बजट अनुमान 1980-81	वास्तविक आँकड़े फरवरी 1981 तक	मूल बजट अनुमान 1981-82	विवरण
	प्रारंभिक अवशेष	33649355	27774120	26774120	8600000	मूल बजट 1980-81 में अन्तिम अवशेष रु03.45लाख अनुमानित था परन्तु ऐसा अनुमान है कि मार्च 1981 के अन्तिम सप्ताह में शासन तथा हडको से प्राप्त ऋण व्यय नहीं हो सकेगा तथा अवशेष में रहने की संभावना के आधार पर अनुमानित प्रारंभिक अवशेष रु086.00लाख रखा गया है ।
क-	राजस्व लेखा					
1-	लीज रेन्ट					
	I. अलीगंज तथा पुरानी योजनायें	170223	240000	209431	380000	विकास विभाग नगर महापालिका से स्थानान्तरित पुरानी योजनाओं से प्राप्त लीज रेन्ट का प्राविधान इस मद में अनुमानित किया गया है इसके अतिरिक्त अलीगंज योजना के लीज रेन्ट भी शामिल हैं ।
	II. अलीगंज	283	350000	-	-	
	योग -	170506	590000	209431	380000	
2-	भूमि की बिक्री (पुरानी योजनायें)	39887	40000			
3-	भवनो तथा दुकानो का किराया					
	क. पुराने भवनो की हायर परचेज किश्तो पर वसूली	150935	150000	111272	125000	महापालिका से स्थानान्तरित पुराने भवनो का हायर परचेज किश्त का प्राविधान माँग तथा अवशेष के आधार पर किया गया है । माँग तथा अवशेष का योग रु02.36लाख रहने की संभावना है ।
	ब. भवनो का किराया	987015	2000000	1013688	1475000	भवनो के किराये का प्राविधान 31-3-81 को संभावित अवशेष रु012.00लाख तथा चालू माँग रु011.00लाख को ध्यान में रखकर किया गया है।
	ग. दुकानो का किराया					
	I. हजरतगंज	3257875	2860000	1705505	2850000	इन मदो में प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानो के किराये प्राप्ति का प्राविधान है इन मदो की आय कम होने का प्रमुख कारण यह है कि जनपथ से किराया अभी 6माह का ही प्राप्त हुआ है। सिण्डर्स डम्प की दुकानो का निस्तारण विक्रय आधार पर किया जा रहा है । शेष मामलो में नोटिसे जारी करके कड़ी कार्यवाही की व्यवस्था की जा रही है । वर्ष 1981-82 का प्राविधान है । जनपथ मार्केट में रु032 लाख, अलीगंज मार्केट पर रु07.90लाख तथा अन्य दुकानो पर रु010.00 लाख के माँग/अवशेष को ध्यान में रखकर किया किया गया है ।
	II. सिण्डर्स डम्प (आलमबाग)	-	200000	-	100000	
	III. अलीगंज	-	175000	-	500000	
	IXX. महानगर	2547	75000	-	30000	
	IV. आईoटीoकालेज	32545	50000	15616	50000	
	VI. नक्खास तथा अन्य	42047	600000	102534	620000	
	योग =	4472964	6110000	2948615	5750000	
4-	दुकानो का प्रीमियम					
	I. हजरतगंज	241771	500000	74225	50000	केवल आकलित प्राविधान किया गया है ।
	II. सिण्डर्स डम्प (आलमबाग)	80200	-	-	-	
	III. आoटीoकालेज	42221	-	-	-	
	IV. अन्य	61120	-	-	50000	
		425312	500000	74225	100000	

1	2	3	4	5	6
5- अचल सम्पत्ति पर शुल्क	-	100000	-	100000	विभिन्न सम्पत्तियो के रजिस्ट्रेशन फीस की वसूली की बजट वर्ष में होने की संभावना को देखते हुए रखा गया है ।
6- शुल्को से आय					
I. भवन चित्र शुल्क	172084	250000	170928	175000	भवन विभाग में भवन चित्र शुल्क/अनाधिकृत
II. तावान शुल्क	191865	400000	114331	175000	भवनो से सम्बन्धित शुल्क से प्राप्त आय इस मदो
III. अनुज्ञप्ति शुल्क	4920	12000	7770	10000	में जमा होती है। प्राविधानो का आधार गत
IV. अन्य शुल्क विकास	3285	180000	31456	40000	तीन वर्षों की आय का औसत है ।
	372154	842000	324485	400000	
7- अन्य प्राप्तियाँ					
I. रेजीडेन्सी तथा गौतम-बुद्धा पार्क से शुल्क	11232	10000	13252	25000	मद 7।I। में प्राविधान गत वर्ष से अधिक किया गया क्योंकि गौतम बुद्ध पार्क से भी फीस की
II. नजूल से प्राप्तियाँ	75000	75000	100000	100000	आय प्राप्त होती है वह इसी मद में जमा होती है ।
III. भूमि का अस्थाई किराया	-	-	-	-	विकास प्राधिकरण नजूल सम्पत्तियो का प्रबन्ध
IV. बाजार एवं मंडियों से आय	181183	150000	72200	210000	करता है । नजूल प्रबन्ध हेतु शासन प्रबन्ध चार्जेज
V. अर्जित सम्पत्तियो से प्राप्त सामान की बिक्री से आय	-	-	-	-	के रूप में प्रत्येक वर्ष धन देता है यह प्राप्ति इस मद में जमा की जाती है ।
VI. विविध प्राप्तियाँ	-	-	-	-	मद 7।III/। में मंडियो इत्यादि से आय प्राप्त होती है। यह नीलाम साधारणतया वर्ष के अन्त
VII. घास फूस फल की बिक्री	-	-	-	-	में होते हैं, अतः आय भी उसी समय होती है ।
IX. अधिष्ठान सम्बन्धी अनुदान	-	-	-	-	बजट वर्ष में अनुमान का आधार गत 3 वर्षो की
X. डिपाजिट्स पर ब्याज	-	200000	-	-	औसत आय है ।
XI. अधिष्ठान सम्बन्धी अनुदान	88523 -	470000	306568	400000	मद 8।X। में राजस्व आय से किये जाने वाले विनियोजनो से प्राप्त ब्याज की धनराशि जमा
योग =	355938	905000	492020	735000	की जाती है । वर्ष 1980-81 में कोई विनियोजन नहीं किया जा सका। अतः कोई
महायोग =	5836761	9087000	4048776	7465000	आय नहीं हुई । बजट में भी विनियोजन की संभावना नहीं है क्योंकि शासन से प्राप्त ऋण कोषागार में पी.एल.ए.में जमा हो जाता है। अतः प्राविधान नहीं रखा गया है ।
					मद 7।X। में विभिन्न जमानतों/अग्रिमो की प्राप्ति जमा की जाती है प्राविधान गत वर्षों की आय के आय के आधार पर है ।
8- लेखो से स्थानान्तरण					
I. पूँजी लेखे से राजस्व लेखे में स्थानान्तरण	1278000	-	585196	2615000	राजस्व लेखे में प्राप्त आय से राजस्व व्यय साधारणतया कम होती है। व्यय सम्पन्न करने के लिये पूँजी खाते का प्रयोग किया जाता है इस धनराशि को पूँजी खाते से व्यय करने हेतु बुक ट्रान्सफर के रूप में रखा गया है ।
कुल राजस्व आय	7114761	9087000	4633972	10080000	

1	2	3	4	5	6	7
ब – पूँजी लेखा						
9– सम्पत्ति की बिक्री						
1– भूमि की बिक्री से आय						
क. अलीगंज		8420543	13438000	5089539	16498000	ट्रांसपोर्ट्स के प्लाट तथा कपूरथला बाग के सभी प्लाट विस्तारित न होनेके कारण आय का है.। बजट वर्ष में प्राप्त होने वाली आय का विवरण पृष्ठ .27. पर संलग्न है ।
ख. कानपुर रोड		283026	21278000	34053	17467000	
ग. मोतीझील		903020	–	9500	–	
घ. अन्य		1167128	360000	130849	--	
	योग–	10773717	35076000	5254991	33965000	
2– भवनो की बिक्री से आय						
क. भवन का पूर्ण विक्रय						नये बजट 1980-81 में 400एम0आई0जी0 से 154.10लाख तथा 200एच0 आई0जी0 भवनो से 274.10लाख प्रस्तावित था इसके विरुद्ध 66एम0आई0जी0 तथा 140एच0आई0 जी0 ही बन रहे है । स्वाभाविक रूप में आय कम हुई,। वर्ष 1981-82 में प्रस्तावित आय का विवरण पृष्ठ संख्या.28. पर संलग्न है । दुर्बल आय वर्ग हेतु 3200, निम्न आय वर्ग हेतु 1203 भवनो के विरुद्ध क्रमश: 892,317 भवन निर्माणाधीन हैं, अत: वर्ष 1979-80 तक बने मकानो से ही किश्ते आंशिक रूप से मिल सकी। वर्ष 1981-82 की आय प्रस्ताव का विवरण पृष्ठ सं0.28 पर संलग्न है ।
1. अलीगंज		4092615	19330000	2716000	8737000	
2. कानपुर रोड		–	7550000	950	10350000	
3. मोतीझील		5451051	–	–	100000	
4. पेपर मिल		–	–	–	100000	
ख. हायर परचेज पर विक्रय						
1. अलीगंज		1387376	4525000	2085537	2530000	
2. कानपुर रोड		–	2414000	40556	1486000	
3. मोतीझील		511374	–	23000	50000	
4. अन्य/अहलकारो से		19100	–	1200	50000	
5. अन्य योजनायें		112840	26000	–	–	
	योग –	11574356	33845000	4867243	23403000	
3– ब्याज तथा अन्य प्राप्तियां		1831048	534000	911599	500000	मद 913 में अन्य प्राप्तियों से आय जमा की जाती है । चालू वर्षों में टेम्पो हेतु प्राप्त अग्रिम, लेविंग बैंक जाते का ब्याज, तथा अग्रिमो के रिफण्ड को आय प्रस्तावित है । बजट वर्ष में लेविंग बैंक जातो में इतना तेज देव होने की आशा नहीं है ।
	योग =	24179121	69455000	11035825	57868000	
राजस्व को रेखान्तरित		1278000		585196	2615000	
	कुल योग =	22901121	69455000	10448629	55253000	
10– शासन से ऋण						
1. मलिन बस्ती सुधार योजना		–	2000000	–	–	
11. अन्य योजनाये		950000	–	–		
111. एल.आई.जी./ जी,आई,जी.		2304500	65000000	–	27500000	

. . . . . .

11-	शासन से अनुदान				
	I. गन्दी बस्ती पर्यावरण सुधार योजना	-	-	-	-
	II. अन्य	-	-	-	-
12-	संस्थागत ऋण				
	I, हडको से ऋण	-	22500000	12137000	10000000
	II. बैंक से ऋण	-	10000000	-	7500000
	III. ऋण मॉग पत्र	-	-	-	20000000
	योग (ख)	23995000	99500000	[illegible]7000	[illegible]00000
	पूँजी खाते का योग (क+ख)	[illegible] 46806121	168955000	22585629	[illegible]0253000
	महायोग (राजस्व/पूँजी)	54010882	178942000	27219601	150333000
	उचन्त लेखे से हस्तान्तरित	16336593	-	2276237	8600000
	प्रारंभिक अवशेष	33649355	27774120	26774120	8600000
	महायोग	104496830	205816120	56268958	138933000
	उचन्त लेखे का विनियोजन /बजूल अग्रिम हेतु हस्तान्तरण	16910000	-	787451	-
	कुल योग -	87586830	205816120	[illegible]	138933000
				5,54,82,507	

फरवरी 1981 तक शासन से कोई ऋण प्राप्त नहीं हो सका । मार्च 1981 में रु.97लाख के ऋण के प्राप्त का अनुमान है । हडको से स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध रु.121.37लाख प्राप्त हो चुका है तथा 30लाख प्राप्त का अनुमान है । भारत ओवरसीज़ बैंक से छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र हेतु रु050लाख का ऋण स्वीकृत करा लिया गया है । ब्याज के भार से बचने के लिये इसे आवश्यकता अनुसार किश्तों में प्राप्त किया जायेगा ।
बजट में प्रमुख रूप से भूमि अर्जन/विकास/प्रबन्धन निर्माण हेतु शासन से हडको से, ऋण मॉग पत्र एवं बैंकों से ऋण लेने का प्रयास किया जायेगा ।

क्रम सं०	व्यय के शीर्षक	वास्तविक आँकड़े 1979-80	मूल बजट अनुमान 1980-81	वास्तविक 28.2.81 तक	मूल बजट 1981-82	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
(क)	राजस्व लेखा					
1-	अधिष्ठान व्यय					
1.	सामान्य प्रशासन	544947	627000	623411	840000	सामान्य प्रशासन अधिष्ठान में स्वीकृत रिक्त पदो दैनिक भोगी कर्मचारियो को रेगुलर करने तथा वेतन आयोग पुनरीक्षण/ध्यान में रखते हुए वास्तविक प्रावधान बढ़ाया गया है । विवरण .30...से .40... पृष्ठ पर है ।
2.	लेखा एवं कोषालय	207 47	256100	229567	314000	
3.	कास्टिंग विभाग	32556	45200	74303	58000	
4.	न्यायाधिकरण व स्टाफ	76866	100000	83479	108000	
5.	सम्पत्ति विभाग	176604	330000	211808	340000	
6.	किराया अनुभाग	106550	189000	129205	223000	
7.	नजूल विभाग	144983	226000	234891	370000	
8.	विधि विभाग	53944	71500	63434	77000	
9.	भवन विभाग	376371	450000	453251	470000	
		1719973	2294800	2103349	2800000	आडिट फीस लगभग रु0 14.40लाख 31-3-81 तक देय हो जावेगी जिसमें से रु0 4लाख भुगतान हो जाने की संभावना है, अतः बजट वर्ष में रु. 10.40लाख का प्रावधान किया गया है।
2-	अंकेक्षक शुल्क	-	300000		1040000	
3-	पुस्तकालय एवं वाचनालय	514	50000	1641	20000	गत वर्ष पुस्तकालय हेतु पुस्तको का भुगतान नहीं हो सका अतः नगण्य व्यय हुआ, अतः प्रावधान पुनः किया गया है ।
	योग -	1720487	2644800	2104990	1060000	
					38,60,000	
4-	सांयोगिक तथा अन्य व्यय					
1.	टेलीफोन	25481	50000	24365	50000	सांयोगिक व्यय की विभिन्न मदो में वर्ष 1980-81 में रु0 19.25लाख का प्रावधान था । बजट वर्ष में यह व्यय कम करके रु0 16.05लाख का रखा गया है किसी भी उपमद में प्रावधान बढ़ाया नहीं गया । विगत वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में फरवरी 81, तक व्यय के आधार पर ही प्रावधान रखे गये हैं ।
2.	विधि व्यय	67065	70000	44734	70000	
3.	वर्दियाँ	20786	60000	38	60000	
4.	प्राधिकरण तथा अन्य बैठको पर व्यय	12585	20000	3841	20000	
5.	छपाई / स्टेशनरी	149107	150000	74122	150000	
6.	किराया/टैक्सेज	395741	1010000	507130	640000	
7.	फर्नीचर / मशीनरी	20205	25000	7335	25000	
8.	वाहनो का रखरखाव	112293	100000	131515	150000	
9.	मातदेय	23264	40000	425	40000	
10.	अग्रिम(कर्मचारियो)	112178	300000	29380	300000	
11.	अन्य	90879	100000	29361	100000	
	योग =	1029584	1925000	852246	1605000	
5-	ऋणों का प्रतिदाय					
1-	पुराने शासकीय ऋण					
क.	मूलधन का प्रतिदाय	200243	420000	57739	684000	प्राधिकरण की स्थापना के समय महापालिका से स्थानान्तरित ऋणो के प्रतिदाय की व्यवस्था इस मद में की जाती है क्योकि इन ऋणो से बने भवनो की किराये की आय राजस्व आते में जमा होती है।
ख.	ब्याज का प्रतिदाय	1560549	1210000	114561	946000	
		1760792	1630000	172300	1630000	

1	2	3	4	5	6	7
6-	मशीनरी और संयंत्र	27755	50000	18672	25000	प्राविधान आवश्यकतानुसार रखा गया तथा पूर्व वर्ष से कम है ।
7-	उपकरण एवं भंडार वस्तुएँ	215626	200000	112167	125000	
	योग =	243381	250000	130839	150000	
8-	पुरानी योजनाओं के विकास कार्य					
I.	भूमि सर्वेक्षण एवं विकास	42044	100000	25801	40000	विकास विभाग महापातिका द्वारा महानगर, महानगर विस्तार योजना, निराला नगर, राजेन्द्र नगर, विल्लोचपुरा, बाग मिजाजुम्मा, लैपियर रोड, कुतुबपुर इरादत नगर, भगवान इण्डस्ट्रीज ऐशबाग तथा कालाकाकर हाऊस इत्यादि योजनाओं में विकास योजनायें चल रही है थी अतः उनमें विकास तथा जलव्यवस्था रोशनी, पार्कों के रखरखाव हेतु प्राविधान इन मदो में रखे गये हैं । नये कार्य उपाध्यक्ष, की स्वीकृति से होंगे । उप मद 8(11/) में रु02.45लाख की दायित्व का भी प्राविधान है।
II.	मार्ग एवं गलियाँ	461139	250000	208347	210000	
III.	मल नाले नालियाँ	160662	200000	77238	100000	
II/.	जल संभरण	26468	50000	39142	300000	
I/.	रोशनी	37225	25000	227	25000	
I/I.	पार्क	481258	50000	130910	100000	
VII.	बन्धे का सुधार	–	–	–	–	
VIII.	प्रकीर्ण एवं आकस्मिक व्यय	65346	100000	129461	100000	
		1274142	775000	611126	875000	
9-	मरम्मत/अनुरक्षण/निर्माण कार्य					
I.	भवनो की मरम्मत/दुकानो की देखरेख	546086	500000	292062	575000	इस मद में किराये पर उठे 2573 पुराने भवनो तथा 433 पुरानी दुकानो के रखरखाव हेतु प्राविधान रख गये हैं ।
II.	कार्यालय भवन की मरम्मत	161148	300000	249920	300000	प्राधिकरण कार्यालय नजूल भवन में स्थापित है आवश्यकतानुसार आन्तरिक विस्तार तथा मरम्मत इत्यादि हेतु यह प्राविधान रखा गया है भवन बहुत पुराना है । अतः स्वाभाविक रूप में अधिक व्यय होने की संभावना है।
III.	स्कूल भवन का निर्माण	–	–	–	–	
IV.	कर्मचारियो हेतु आवासीय सुविधा सुविधा	–	600000	9600	500000	कर्मचारियो की आवासीय सुविधा देने हेतु रु 05.00लाख का प्राविधान रखा गया है ।
XX.	दुकानो एवं कियास्क का निर्माण	68140	50000	42418	–	
	योग =	775374	1450000	594000	1375000	
10-	जमा धन की वापिसी					
I.	ठेकेदारो की प्रतिभूति/अन्य निक्षेप	21125	10000	10531	400000	राजस्व मदो में जमा अग्रिम किराये, प्रीमियम ठेकेदारो की खण्डो द्वारा एकत्रित डिपाजिट के रिफण्ड हेतु यह प्राविधान रखें गये हैं ।
II.	किराये एवं प्रीमियम	157158	300000	22075	100000	
III..	अन्य	8735	50000	–	85000	
	योग =	6990778	9034800	4498107	10080000	

1	2	3	4	5	6	7

ब- पूँजी तेजा व्यय

11- अभियन्त्रण अधिष्ठान

1. मुख्य अभियन्ता कार्यालय	34896	38000	52115	39000	
2. अभियन्त्रण अण्ड-1	358776	461000	294942	797000	
3. अभियन्त्रण अण्ड-2	255060	466000	231762	547000	
4. अभियन्त्रण अण्ड-3	260548	358000	196520	401000	
5. अभियन्त्रण अण्ड-4	228492	351000	195504	400000	
6. अभियन्त्रण अण्ड-5	186551	304000	218548	490000	
7. अभियन्त्रण अण्ड-6	124382	266000	125670	नियत	
8. भूमि अर्जन अधिष्ठान अण्ड-7	31100	341000	265459	नियत	
9. नगर नियोजन विभाग	159755	373000	236101	476000	
योग=	1639560	2958000	1816621	3200000	

मूल बजट 1980-81 में सात अण्डो एवं नगर नियोजन विभागो का प्राविधान किया गया था बजट वर्ष में अण्ड-7 एवं अण्ड-6 स्थापित करके लिये गये । अब वर्ष अण्ड-6 को 50%, 50% अण्ड-2,4 में सम्मलित करके तथा अण्ड-7 का अण्ड-1 में सम्मलित करने का प्राविधान किया गया है । प्राविधान में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नवत् है :

क- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो को रिक्त पदो पर समायोजित ।
ब- रिक्त स्वीकृत पदो पर नियुक्ति करने हेतु सांकेतिक प्राविधान ।
ग- वेतन आयोग के संस्तुतियो के आधार पर पर संभावित वृद्धि ।
घ- वार्षिक वृद्धि के कारण ।

फिर भी मितव्यता के दृष्टिकोण से मूल बजट 1980-81 के बजट अनुमान रु029.58ताख बढ़ा-कर रु032 ताख ही रखा गया है ।

विस्तृत विवरण पृष्ठ .41....से ..49..तक संलग्न है । उल्लेखनीय है पूँजीगत व्यय में फरवरी 1981 का व्यय सम्बन्धित मदो में नहीं सम्मलित है बल्कि रिमिटेन्स मद में है विस्तृत विवरण प्राप्त होने पर वर्गीकरण किया जायेगा।

12- सांयोगिक व्यय तथा अन्य व्यय

1. प्राविधिक आडिट कोस	-	63000	-	24000	
2. फर्नीचर	415	200000	-	100000	
3. विधि व्यय	19514	150000	5000	140000	
4. छपाई का व्यय	70404	100000	65968	100000	
5. तेजा सामग्री	21246	100000	62055	100000	
6. बिजली / टेलीफोन	6086	25000	1636	25000	
7. वर्गीकृत एवं अन्य विज्ञापन	349791	400000	231953	300000	
8. कर्मचारियो का अभिग्रण	186594	200000	20868	350000	
9. विधि व्यय	190484	200000	33226	200000	
10. कर आदि	727740	300000	1506000	100000	
11. यातायात सुविधा	-	125000	-	1000	
12. वाहनो	-	500000	79381	200000	
13. नगर के सर्वे हेतु	-	500000	-	350000	
14. प्लान प्रिपरेशन/छपाई	=	500000	-	425000	
योग =	1572184	3363000	2006687	2415000	

सांयोगिक व्यय मदो में साधारणतया मूल बजट 1980-81 के प्राविधान तथा उनके विरुद्ध व्यय को आधार मानकर अनुमान रखेगये हैं । सामान्यत: प्राविधान रु033.63 ताख से कम करके रु024.15 ताख रखा गया है । उप मद 12।10। में टैक्स तथा किराये के भुगतान में 13ताख रु० महापालिका टैक्स तथा रु02.06ताख स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान राजस्व खोते में प्रभाव के कारण किया गया है । अत: प्राविधान से व्यय बढ़ गया है । उप मद 13-14 में व्यय न होने का कारण यह है कि नगर सर्वे पूर्ण नहीं हुआ है तथा प्लान छपाई की व्यवस्था हाथ में है । उप मद 11 में यातायात सुविधा के अन्तर्गत स्कूटर व्यवस्था हेतु ..... टोकन प्राविधान ही रु01000/- किया गया है ।

1	2	3	4	5	6	7
13-	शासकीय ऋणो का प्रतिदान					
	क. मूलधन का प्रतिदान	673081	900000	40752	700000	इस मदो में प्राधिकरण को पूँजीगत योजनाओं हेतु शासन/हडको/ऋण मॉग पत्र/बैंक इत्यादि से प्राप्त ऋणो के मूल धन एवं ब्याज का प्रतिदान है । वर्ष 1980-81 से फरवरी 1981 तक रु0121.37 तथा संप्रतिदत्त ऋणो रु0130लाख के प्रतिदाय का प्रतिदान करने के कारण धनराशि में वृद्धि हो गई है ।
	ख. ब्याज का भुगतान	1240030	750000	53254	700000	
2-	सामान्य शासकीय ऋण					
	क. मूलधन का प्रतिदान	-	1400000	-	2213000	
	ख. ब्याज का भुगतान	3206000	5700000	2250000	6793000	
3-	संस्थागत ऋण					
	क. मूलधन का प्रतिदान	2353177	1600000	772133	2876000	
	ख. ब्याज का भुगतान	2407596	2875000	2592614	4251000	
4-	निक्षेप निधि का भुगतान	2026607	2400000	2199442	2400000	
		11906491	15625000	7908195	19933000	
14-	भूमिम अर्जन					
	1. अलीगंज योजना	-	15000000	4445000	12000000	विभिन्न योजनाओं में-भूमि अध्याप्ति करने हेतु व्यवस्था का विवरण 1981-82 के कार्यक्रमों में पूर्व पृष्ठ .7... पर स्पष्ट कर दिया गया है ।
	2. कानपुर रोड	-	12500000	-	12500000	
	3. नैपियर रोड	-	2500000	-	500000	
	4. शेखपुर कसैता	-	-	-	-	
	5. सीतापुर रोड	-	5000000	-	15000000	
	6. हरदोई रोड	-	5000000	-	5000000	
	7. गोमती आवास योजना	-	100000	-	100000	
	8. मोतीझील	-	1000000	270137	1000000	
	9. बिजनौर रोड(कै.कालोनी)	-	1000000		1000000	
	10. प्राधिकरण कार्यालय हेतु	-	1000000	-	1000000	
	11. अन्य योजनायें	622632	900000	-	1000000	
	योग =	622632	44000000	4715137	27500000	
15-	भूमि विकास					
*-	अलीगंज योजना					
	1. भूमि का ~~समन~~ सर्वेक्षण	29126	100000	34056	100000	इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में बचे कार्यों को ध्यान में रखते हुए बजट वर्ष में 12000मीटर सड़के, 7000 मीटर पर सीवर, 20000मीटर केसीडेक्ट, ब्रांच सीवर 3500मीटर, जल पाईप 30000मीटर रोशनी 40000मीटर पर व्यवस्था तथा पार्क बनाने की व्यवस्था है । चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले स्वाभाविक भुगतान को ध्यान में रखते हुए प्राविधान रखे गये है ।
	11. भूमि का सुधार	87937	300000	258573	200000	
	111. मार्ग एवं पुलियाँ	3286092	3029900	2329451	3000000	
	11/. जल बाने और नालियाँ	984812	6000000	1173777	5000000	
	1/. जल व्यवस्था	555829	870000	137510	1720000	
	1/1-. रोशनी	403356	1899000	67541	3000000	
	1/11. पार्क	863486	640000	648764	760000	
	1/111. आकस्मिक व्यय	138336	100000	96364	170000	
	1×. मरम्मत / अनुरक्षण	-	-	-	-	
	×. शासन को वेचे गये भवनो में से रद्दोबदल	38025	-	-	-	
		6023999	12938000	4685249	13950000	

1	2	3	4	5	6
2-	कानपुर रोड				
	I- भूमि का सर्वेक्षण	9593	100000	21875	100000
	II- भूमि का सुधार	34511	300000	45371	450000
	III- मार्ग एवं गलियाँ	1154842	5000000	1124099	3000000
	II/- मल नाले एवं नालियाँ	280087	1700000	66874	1800000
	I/- रोशनी	99017	2800000	17038	1800000
	I/I- जल व्यवस्था	154540	850000	423785	1800000
	I/II- पार्क	143781	50000	84954	500000
	I/III- आकस्मिक व्यय	53031	50000	59974	50000
	योग=	1929402	10850000	1843970	9500000
3-	अन्य योजनायें (इसमें मोतीझील, मोती आवास योजना, बैपियर रोड, हरदोई रोड, ऐशबाग इत्यादि सम्मिलित हैं)				
	I- भूमि सर्वेक्षण	30133	10000	35003	50000
	II- भूमि का सुधार	34506	160000	60324	50000
	III- मार्ग एवं गलियाँ	58179	1300000	334421	400000
	II/- मल नाले और नालियाँ	137737	1200000	322753	400000
	I/- जल व्यवस्था	47633	640000	361195	300000
	I/I- रोशनी	121225	500000	80667	400000
	I/II- पार्क	59005	190000	85921	200000
	I/III- आकस्मिक व्यय	123530	100000	36551	50000
	योग=	606948	4100000	1316835	1850000
	महायोग=	8560349	27888000	7846054	25300000
16(I)-	आवासीय निर्माण				
	I- अलीगंज				
	1. उच्च आय वर्ग गृह निर्माण	1032466	8300000	600064	1000000
	2. मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण	5165681	11174000	1758391	2500000
	3. निम्न आय वर्ग गृ निर्माण				
	टाइप - I	3293061	2900000	1939901	1200000
	टाइप -II	1223015			
	4. हडको				
	क- प्रथम चरण	221016	50000	10445	-
	ख- द्वितीय चरण	159826	50000	[illegible]	[illegible]
	ग- तृतीय चरण (द0आ0वर्ग)	227296	300000	345907	500000
	घ- चतुर्थ चरण (मध्यम आय-वर्ग)	293010	500000	471298	-
	ङ- पंचम चरण (कम्पोजिट)	1717460	1474000	713301	1500000
	च- षष्ठम चरण (कम्पोजिट)	-	7542000	-	3000000
	5. सामान्य जीवन बीमा (दुर्बल आय वर्ग)	-	6400000	116381	2900000
	योग=	13332831	38390000	5955688	12600000

7

कानपुर रोड विकास हेतु निम्नलिखित व्यवस्था का विचार है :-

मद	ट्रांस0 नगर	कान0 रोड स.ई	सै0 एफ	सै0 डी.	सै0 डी-I	योग
सड़क	2750	200	1200	4000	2500	10650
नालियाँ	12000	-	-	-	-	12000
सीवर	5000	-	-	-	-	5000
वाटर-मेन	5700	600	1525	4000	4000	15825
नाला	2500	650	-	980	250	4380
पार्क		-	6	6	8	20
पार्किंग	-	-	-	-	-	50000
ट्यूब-वेल	-	-	-	2	-	2
ओवर-हेड टैंक	-	-	-	1	-	1
स्ट्रीट-लाइट	8000	3700	1525	4000	4000	21225
सोकपिट	-	26	125	-	-	151

खण्ड-3 द्वारा 55000मी0 पर विकास तथा 2एकड़ पर पार्क उपरांकित के अतिरिक्त व्यवस्था प्रारंभ की जायेगी ।

इन मदो में हाता लक्ष्मण दास, सरजू प्रसाद, रसूल खाँ में सड़क, नालियो, जल व्यवस्था, रोशनी इत्यादि हेतु कामेश्वर नगर, कुर्सी रोड, हरदोई-रोड ऐशबाग योजना तथा विभिन्न व्यवसायिक केन्द्रो में विकास कार्यों हेतु प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं ।

इस योजना के अन्तर्गत 811 साईट्स/सर्विसेज, 895दुर्बल आय वर्ग हेतु आवासीय निर्माण, 528 निम्न आय वर्ग, 119 मध्य आय वर्ग हेतु तथा 20 उच्च आय वर्ग हेतु भवन निर्माण पूर्ण करने हेतु प्राविधान रखा गया है चालू वर्ष में कुछ भवन निर्माण अधिक है उनके सम्भावित भुगतान जो 1980-81 में हो जायेगें, को कम करके अनुमान रखा गया है ।

1	2	3	4	5	6	7
2-	कानपुर रोड योजना					
	I. दुर्बल आय वर्ग	1557180	–	–	–	इस योजना के अन्तर्गत 816 साईट/सर्विसेज , दुर्बल आय वर्ग हेतु 910, निम्न आय वर्ग हेतु 350, मध्यम आय वर्ग हेतु 150 तथा उच्च आय वर्ग हेतु 30 भवन निर्माण का प्राविधान किया गया है । इसका विस्तृत विवरण पृष्ठ सं.28....पर है ।
	II. हडको योजना के अन्तर्गत					
	क- प्रथम चरण(कम्पोजिट)	–	1550000	789329	1000000	
	ख- द्वितीय चरण	–	4995000	983963	1800000	
	III. सामान्य जीवन बीमा (दुर्बल आय वर्ग)	–	9600000	–	3900000	
	IV. दुर्बल आय वर्ग	–	432000	100378	2000000	
	V. मध्यम आय वर्ग	–	3300000	–	3100000	
	VI. उच्च आय वर्ग	–	2100000	–	1500000	
		1557180	2197000	1873675	13300000	
3-	मोतीझील योजना					
	I. दुर्बल आय वर्ग गृह निर्माण	981804	500000	588916	100000	मोतीझील, पेपर मिल तथा ऐशबाग में बने मकानो के दायित्वो के भुगतान हेतु यह अनुमान भुगतान हेतु यह अनुमान रखें गये हैं ।
	II. साइट एण्ड सर्विसेज	132406	200000	118670	100000	
	III. अल्प आय वर्ग गृह निर्माण	2270123	3000000	1612619	200000	
		3384333	3700000	2320205	400000	
4-	पेपर मिल योजना					
	I. अल्प आय गृह निर्माण	60524	100000	–	–	
	II. मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण	–	200000	14773	100000	
		60524	300000	14773	100000	
5-	ऐशबाग योजना					
	I. दुर्बल आय वर्ग गृह योजना	505911	400000	495531	200000	
	II, अल्प आय गृह निर्माण योजना	–	130000	–	–	
		505911	530000	495531	200000	

1	2	3	4	5	6	7
6-	प्रशिक्षण कार्यालय का भवन	-	500000	-	200000	
7-	अतिथि गृह निर्माण	-	500000	-	200000	
8-	कम्यूनिटी हाल का निर्माण	-	400000	-	200000	
	योग =	18840779	6297000	10659867	27200000	

17- कामर्शियल काम्पेक्स

I.	हजरतगंज	117195	500000	387096	150000
II.	नक्खास योजना	39469	200000	16535	200000
III.	आर० टी० ओ०	-	100000	-	100000
III/.	छितवापुर	70690	5000000	8408	7500000
I/.	सिण्डर्स डम्प	606072	1500000	261124	500000
I/I.	नगर में व्यायस्क का निर्माण	3542	100000	33713	50000
I/II.	अलीगंज शापिंग काम्पलेक्स/ विस्तार	14253	1000000	186938	900000
I/III.	अन्य स्थानों पर दुकानों का निर्माण	-	-	-	100000
I×.	सिविक सेण्टर	-	100000	-	150000
×.	थोक/फुटकर बाजार	-	1330000	-	150000
×I.	कैसरबाग मण्डी	-	200000	4298	200000
	योग =	195121	10030000	898112	10000000

18- मलिन बस्ती योजना

I.	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना	633372	800000	42098	300000
II.	मलिन बस्ती सुधार योजना	-	120000	-	81000
III.	मलिन बस्ती विपातन योजना हातो में भवन निर्माण हेतु	48502	2300000	721800	300000
	योग=	681874	3220000	763898	681000

जनपथ मार्केट की व्यवस्था में दुकानो के निर्माण के अतिरिक्त, छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र का कार्य सम्पन्न करने की व्यवस्था हेतु प्रमुख प्राविधान रखा गया है । सिण्डर्स डम्प में 60 दुकाने अलीगंज व्यवसायिक केन्द्र में 25 दुकाने अलीगंज फेज-2 में फुटकर तथा सब्जी मार्केट तथा कपूरथला व्यवसायिक केन्द्र पर दुकानो के निर्माण करने का प्राविधान है।

नगर के विभिन्न स्थानो पर छोटे छोटे व्यायस्क, सिविक सेण्टर, थोक एवं फुटकर बाजार तथा थोक की सब्जी मण्डी निर्माण करने के विचार से प्राविधान अनुमानित किये गये हैं ।

1	2	3	4	5	6	7
19-	अन्य विकास/सुधार कार्य					
	I- पार्क :					
	क- पुराने पार्क	537867	1500000	1192805	300000	इन मदो में नगर में विकास/सौन्द्रीयकरण/सुधार कार्यों हेतु प्राविधान रखे गये हैं । नगर में निर्मित पार्कों के सुधार जमुनाझील, सूरजकुण्ड नीबू, बाग में नये पार्कों/सौन्द्रीयकरण कार्यों के अतिरिक्त सड़को के चौड़ा करने, रिंग रोड के निर्माण, एक आडयोरियम तथा एरियल सर्वे इत्यादि की व्यवस्था हेतु प्राविधान रखे गये हैं । कामधेनु, नगर विकास कार्य का प्राविधान अन्य योजनाओं के विकास मद में किया गया है ।
	ख- नये पार्कों तथा यमुना-झील का सौन्द्रीयकरण	-	800000	26165	600000	
	II. कामधेनु नगर (विकास/निर्माण)	-	1000000	-	-	
	III. सडको का चौड़ा करना	-	200000	-	400000	
	II/ब रिंग रोड का निर्माण	-	100000	-	500000	
	I/. फिलोटिंग रेस्ट्रॉ/आडयोरियम/एरियल सर्वे इत्यादि हेतु	-	155000	33267	250000	
		537867	3755000	1252237	2050000	
20.	स्टोर्स	6074528	15000000	3383589	7300000	योजनाओं के विकास कार्यों हेतु सी०आई०पाइप, ए० सी० प्रेसर पाइप, आर०सी०सी० ह्यूम पाइप लगभग 23 लाख रूपये के तथा भवन निर्माण हेतु सीमेंट स्टील हेतु रू०50लाख रुपये के लम्पसम अनुमान रखे गये हैं । मशीनरी/संयंत्र में दी जापे तथा मिक्सचर क्रय हेतु प्राविधान रखे गये हैं ।
21.	मशीनरी एवं संयंत्र	6392	800000	181555	200000	
22.	जमा धन की वापिसी					
	I. भूमि के लिये जमा धन	284354	1500000	254276	1000000	इन मदो से जनता द्वारा भूमि / भवन हेतु जमा धनराशि वापिस की जाती है । ठेकेदारो इत्यादि को जमानत इत्यादि की वापिसी का प्रबन्ध है ।
	II. भवनो के लिये जमा धन	1012543	1500000	819665	1000000	
	III. ठेकेदारो की प्रतिभूति	5525	500000	59335	465000	
	II/. रिमीटेन्सज अवशेष	171733	-	2145000	-	
	योग पूँजी खाता	53821932	196436000	44709628	128244000	
	महायोग (क + ख)	60812710	205470800	49207,735	138324000	
	अन्तिम अवशेष	26774120	345320	62,74,772	(+) 6,09,000	
	योगगम=	87586830	205816120	[illegible]	138933000	
				55482,507		

उचन्त खाता- आय पक्ष

मद	वास्तविक आकड़े 79-80	मूलबजट 1980-81	वास्तविक फरवरी 81 तक	मूल बजट 81-82	विवरण
प्रारम्भिक अवशेष	85398	218705	-	-	
14- अन्य निक्षेप:-					उचन्त खाते में उन लेन देन का समावेश किया जाता हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से पूजी गत खातो पर प्रभाव नही पड़ता हैं मद 14(1) में सेवा निवृत्त कर्मचारियो की बीमा कम्पनी से प्राप्त धन, मद 15(2) में मे अग्रिमोका रिफन्ड 15(3)(ग) नजूल को दिये गये अग्रिम की वसूली से आय जमा की जाती हैं। वर्ष 80 में 80 लाख का विनियोजन आहरित किया गया। इसी प्रकार खण्डो के खातो में दिये गये रिमिटेन्स तथा पी०डब्लू०डिपाजिट का धन जमा किया गया। स्थानातरित धनराशि में खण्डो की डिपाजिट अवशेष रु० 1488786/- तथा रु० [illegible] की आय सम्मलित हैं। 767451/=
(1)-कर्मचारियो के बीमे से प्राप्त	12081	48000	24849	48000	
(2)- विकास/निर्माण कार्य हेतु					
(क)-जनता/सस्थाओ से	-	50000	-	50000	
(ख)- शासन	-	-	-	-	
(3)-ठेकेदारो तथा अन्य डिपाजिट	68680	100000	3255	10000	
15- अन्य अग्रिम:					
1- बैन्को से डिपाजिट के विरुद्ध	11630000	-	-	-	
2- विभागो को दिये गये अग्रिम की वापसी	-	-	269802	300000	
3- लेखो से अग्रिम वापसी:					
क- पूजी लेखो	-	2500000	-	-	
ख- राजस्व	-	-	-	-	
ग- नजूल	-	-	120000	-	
16- विनियोगो से आहरण	8000000	7500000	8000000	-	
17- सिंकिंग फन्ड से प्राप्त	-	-	-	-	
18- खान्डीय खाता संसपेन्स खाता:	2934318	-	24328786	-	प्राधिकरण में पी०डब्लू०डी०लेखा प्रणाली अभियत्रण में प्रचलित हैं उसके ससपेन्स हेड के प्राविधानो के लिये यह मदे खोली गयी हैं। प्राविधान फरवरी 81 तक के लम्पसम आकड़ो पर आधारित हैं जो सस्पेन्स लेखो का अन्तर होगा उसे सम्बधित खातो में स्थानातरित कर दिया जायेगा।
क- स्टाक	-	-	-	75.00	
ख- मिस०पी०डब्लू० एडवान्स	-	-	-	30.00	
ग- परवेन	=	-	-	5.00	
घ- पी०डब्लू०डिपाजिट	-	-	-	5.00	
ङ.-	-	-	-	2.00	
19- पूजी/राजस्व से विनियोजन/ अग्रिम हेतु धन स्थानातरण	16910000	-	[illegible] 6,18,534	-	
योग	39640477	10416705	33365226	12108000	
पूजी/राजस्व से धन स्थानातरण:	16836[illegible]93	-	2276237	[illegible] -	
महायोग	22803884	10416705	31088989	12108000	

शर्मा/x

उचन्त खाता- व्यय पक्ष

मद	वास्तविक आठ 79-80	मूल बजट 1980-81	वास्तविक आठ फरवरी 81 तक	मूल बजट 81-82	विवरण
प्रारम्भिक अवशेष	-	218705	-	-	आय के समानान्तर प्राविधान व्यय पक्ष में दिये गये है।
14- अन्य निक्षेप:-					
(क) कर्मचारियो के बीमे से प्राप्त	12342	48000	24849	48000	
(ख) विकास/ निर्माण कार्यहेतु:					
(क) जनता/संस्थाओ-	-	50000	-	50000	
(ख) शासन	-	-	-	-	
(ग) ठेकेदारो तथा अन्य डिपाजिट	-	-	3255	10000	
15- अन्य अग्रिम:-					
1- बैन्को से डिपाजिट के विरुद्ध	4130000	7500000	7500000	-	
2- विभागो को दिये गये अग्रिम	-	-	-	300000	
3- लेखो से अग्रिम वापसी:					
क- पूर्ति लेखे	16500000	100000	168917	-	
ख- राजस्व	410000	-	-	-	
ग- नजूल	-	-	-	-	
16- विनियोग से	-	2500000	618534	-	
17- सिंकिंग फन्ड से प्राप्ति	-	-	-	-	
18- खण्डीय खाता- ससपेस खाता:-					
क- स्टाफ	1532837	-	2277434	7500000	
ख- मिस0पी0डब्लू0 डी0डिपाजिट	-	-	-	3000000	
ग- पर्चेज	-	-	-	500000	
घ- पी0डब्लू0 डिपाजिट	-	-	-	500000	
ङ- अन्य डिपाजिट	-	-	-	200000	
19- पूजी/राजस्व से विनियोजन/ अग्रिम हेतु स्थानातरण	-	-	-	-	
योग	22583179	10416705	31088989		12108000
अतिम अवशेष	218705	-	-	-	
पूजी/राजस्व को अन्य स्थानातरण	22803884	10416705	31088989	12108000	

शर्मा/×

वर्ष 1981-82 में भूमि की बिक्री से आय का अनुमान

योजना का नाम	बिक्री हेतु क्षेत्रफल	अनुमानित दर प्रतिवर्ग मीटर फुट/मीटर	धनराशि 50 प्रतिशत (लाखों में)
अलीगंज			
आवासीय भूखण्ड	3,77,500 वर्ग फुट	10.04	18.95
व्यवसायिक भूखण्ड	27,600 वर्ग मीटर	1250.00	51.06
	20,072 व0मी0	165.00	
कार्यालय हेतु	853879.0 व0मी0	130.20	55.59
स्कूल हेतु	15750 व0मी	50.00	39.38
			164.98
कानपुर रोड			
व्यवसायिक भूखण्ड	7608 व0मी0	150.00	5.71
कार्यालय भूखण्ड	14730 ,,	103.00	7.59
स्कूल भूखण्ड	78022.68 ,,	50.00	19.51
अन्य सर्विसिज (ट्रांसपोर्ट एजेन्सी)	-	-	100.00
आवासीय भूखण्ड	90315.0 व0मी0	9.27	41.86
			174.67

कुल अनुमानित आय रु0 339.65 लाख

वर्ष 1981-82 में भावनो के हायर परचेज/पूर्ण विक्रय से आय का अनुमान

योजना का नाम	भावनो की संख्या	अनुमानित दर	आय जो अनुमानित की गयी (लाखो में)
साइट्स एण्ड सर्विसेज			
अली गंज	811	200.00	1.62
कानपुर रोड	816	200.00	1.63
दुर्बल आय वर्ग			
अली गंज	895	300.00	2.68
कानपुर रोड	910	300.00	2.73
अन्य	40	300.00	3.00
	पुराने	-	
निम्न आय वर्ग			
अली गंज	528	328 × 18000	59.04
		200 × 3000	6.00
कानपुर रोड	350	3000	10.50
मध्यम आय ग्रुह योजना			
अली गंज	119	7000	8.33
कानपुर रोड	150	50 × 7000/-	3.50
		100 × 7000/-	70.00
उच्च आय वर्ग			
अली गंज	20	100000	20.00
कानपुर रोड	30	100000	30.00
हायर परचेज भावनो की रेगुलर किस्तें			15.00
			कुल योग रु० 234.03

कुल अनुमानित आय रु० 234.03 लाख

वर्ष 1981-82 मे भवनो के निर्माण की योजना (व्यय लाखो में)

भवनो का विवरण	अलीगंज		कानपुररोड		मोतीझील		सलम	
	भवनो की सं०	अनुमानित लागत	भवनो की संख्या	अनुमानित लागत	भवनो की सं०	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
साइटस एड सर्विसज	811	15.00	816	18.00	पुरोन	1.00	–	–
दुर्बल आय वर्ग	895	34.00	910	39.00	पुरोन पुनर्गठन	1.00	40 पुरोन	2.00 1.00
निम्नआय वर्ग	528	42.00	350	30.00	पुरोन	2.00	–	–
मध्यम आय वर्ग	119	25.00	150	31.00	–	–	–	–
उच्च आय वर्ग	20	10.00	30	15.00	–	–	पुरोन	3.00
कुल भवन एवं व्यय	2373	126.00	2256	133.00	–	4.00	40	6.00

कुल दानराशि 269.00

अन्य विवरण

*- प्रादिकरण कार्यालय 2.00

2- अतिथि गृह 2.00

3- कम्युनिटी हाल 2.00

कुल व्यय अनुमान रु० 275.00 लाख

सामान्य प्रशासन विभाग का वर्ष-1981-82 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पद सं0	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मँहभत्ता	म0कि0 भत्ता	न0प्रति0 भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्तरिम सहायता	धुलाई भत्ता	सवारी भत्ता	अन्य	योग	
1.	सचिव	1	-	2100/=	24-00	550-00	-	-	-	50-00	-	-	250-00	2974-00	
2-	अतिरिक्त सचिव	1	1300-1700	1550/=	24-00	550-00	225-00	-	30-00	50-00	-	-	90-50	2529-50	
3-	उप नगर अधिकारी	1	650-1400	950/=	24-00	505-00	135-00	-	20-00	50-00	-	-		1684-00	
4-	नजूल अधिकारी	1	-	950/=	24-00	574-80	142-50	-	20-00	50-00	-	-	-	1761-30	
5-	सहायक नगर अधिकारी	1	500-1200	620/=	24-80	375-10	93-40	25-00	30-00	25-00	-	-	-	1192-50	
6-	कार्यालय अधीक्षक	1	320-620	500/=	20-00	302-50	75-00	25-00	30-00	25-00	-	-	-	977-50	
7-	उद्यान अधीक्षक	1	550-1200	580/=	24-00	350-90	87-00	25-00	30-00	20-00	-	-	-	1116-90	
8-	प्रधान लिपिक	1	240-424	390/=	18-00	255-80	57-00	19-00	20-00	15-00	-	-	-	774-80	
9-	आशुलिपिक	2	240-424	514/=	36-00	469-90	52-40	30-70	40-00	30-00	-	-	-	1173-00	
10-	प्रथम श्रेणी लिपिक	2	195-315	528/=	36-00	434-70	84-90	28-20	40-00	30-00	-	-	54-00	1235-80	
11-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	16	185-280	3334/=	244-00	2712-20	500-10	166-70	320-00	240-00	-	-	37-00	7559-00	
12-	दफतरी	1	168-218	188/=	14-00	153-20	28-20	9-40	20-00	10-00	3-00	-	12-00	437-80	
13-	कार्यालय जमादार	1	168-218	206/=	14-00	167-90	30-90	10-30	20-00	10-00	3-00	10-00	-	472-15	
14-	चौकीदार	2	165-215	379/=	28-00	308-70	-	18-95	40-00	20-00	6-00	-	-	800-80	
15-	माली	40	165-215	6875/=	560-00	5603-10	1031-25	343-75	800-00	400-00	120-00	-	21-00	15754-10	2विकास विभाग नव सृजित पद
16-	चपरासी	18	165-215	3348/=	252-00	2728-00	502-20	167-40	360-00	180-00	54-00	130-00	-	7722-20	
17-	सफाई कर्मचारी	1	165-215	181/=	14-00	147-50	27-15	9-05	20-00	10-00	3-00	-	-	411-70	
18-	ड्राइवर	3	165-215	596/=	46-00	485-70	89-40	29-80	60-00	30-00	9-00	-	-	1345-90	
19-	रिकर्ड कीपर	1	195-315	195/=	14-00	158-90	29-25	9-75	20-00	15-00	-	-	-	441-90	
20-	इलेक्ट्रीशियन	1	176-250	176/=	14-00	143-40	26-40	8-80	7-00	10-00	-	-	-	385-60	

शेष-2

21- पम्प आपरेटर	2	176-250	352/=	28/=	286-90	52-80	17-60	14-00	20-00	-	-	-	771-30
	24522/=	1482/=	17270-00	3269-85	944-40	1941/=	1290-00	198/=	140/=	464-50			51521-75

एक माह का व्ययानुमान-	रु0-	51,521-75
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	6,18,261-00
अवकाश कालीन व्यवस्था - हेतु कुल का 5 प्रतिशत	-	30,913-05
शासन द्वारा समय-2 परबढो-त्तरी हेतु तथा वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर की जाने वाली वृद्धि आदिहेतु- 20प्रतिशत	-	1,29,834-81
दैनिक वेतन भोगी	-	4,680-00
कुल योग-	रु0-	7,79,028-86
रिक्त पदों हेतु सांकेतिक प्राविधान-	रु0-	60,000-00
योग-	रु0-	8,39,028-86
अर्थात्-	रु0-	8,40,000/=

लेखा विभाग एवं ट्रेजरी का वर्ष 1981-82 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त भत्ता	नगर प्रतिपूरक भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्तरिम सहायता	सवारी भत्ता	धुलाई भत्ता	योग
1-	मुख्य लेखाधिकारी	1	-	1750/=	24/=	460-00	255-00	-	-	50-00	-	-	2539-00
2-	तथा सहायक लेखाधिकारी	2	425-900	975/=	44/=	557-00	146-25	50-00	30/=	100-00	-	-	1903-05
3-	लेखाकार	2	300-510	770/=	36/=	500-00	112-80	37-50	40/=	50-00	-	-	1546-30
4-	सहायक लेखाकार	1	220-400	220/=	10/=	170-50	33-00	11-00	20/=	15/=00	-	-	487-50
5-	विभागीय लेखाकार	2	200-340	440/=	36/=	341-00	66-00	22-00	40/=	30/=00	-	-	975-00
6-	लेखा लिपिक	6	195-315	1410/=	108/=	1092-00	216-50	70-50	120/=	90-00	-	-	3107-80
7-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	6	185-280	1220/=	108/=	946-00	183-00	61-00	120/=	90-00	-	-	2728-00
8-	कैशियर	1	280-464	393/=	10/=	258-00	57-45	19-15	20/=	15-00	-	-	770-60
9-	असिस्टेन्ट कैशियर	3	200-400	970/=	54/=	751/80	145-50	48-50	60/=	45-00	-	-	2074-80
10-	चपरासी एवं गनमैन	5	165-215	937/=	70/=	726-20	140-55	46-85	100/=	50-00	20/=	15/=	2105-60
				9075/=	516/=	5803-60	1356-05	366-50	550/=	535-00	20/=	15/=	18237-15

एक माह का व्ययानुमान-		रु0-	18,237-15
12 माह का व्ययानुमान-		रु0-	2,18,845-80
अवकाश कालीन व्यवस्थाहेतु कुल का5प्रतिशत		रु0-	10,942-29
शासन द्वारा समय-2 पर की जाने वाली बढ़ोतरी तथा वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर की जाने वाली वृद्धि हेतु 20प्रतिशत-		रु0-	45,957-00
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु-		रु0-	18,000-00
	कुल योग	रु0-	2,93,745-06
रिक्त पदों हेतु		रु0-	20,000-00
§ले0अ0/लेखाकार के प्रस्तावित पदों§ सहित 1§ सांकेतिक प्रावधान	योग	रु0-	3,13,745-06
	अर्थात्	रु0-	3,14,000/=

ए.एलगुप्ता/81

लेखा विभाग के लिये नये पदो के सृजन हेतु शिड्यूल

क्रम सं०	पद नाम	संख्या	वेतनमान	वेतन	अन्य भत्ते	योग
1-	लेखा अधिकारी	1	500-1150	500-00	532-10	1032-10
2-	लेखाकार	1	300-510	300-00	344-50	644-50

कुल योग रु० 1676-60 पैसे

एक माह का व्यय अनुमान रु० 1676-60 पैसे

12 माह का व्यय अनुमान रु० 20,119/-

xxxx

अस्वीकृति रु० 20,000/-

कास्टिंग विभाग वर्ष -1981-82 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मँह0भा0	भावनकि0नगर भत्ता	प्रतिचिकित्सा कर भा0	अन्तरिम भत्ता	सहायता	योग
1-	कास्ट एकाउन्टेन्ट	1	800-1450	1000/=	24/=	465-50	-	-	25-00	50-00	1564-50
2-	कास्ट असिस्टेन्ट	2	300-500	600/=	36/=	460-00	90/=	30/=	14-00	30-00	1260-00
				1600/=	60/=	925-50	90-00	30-00	39-00	80-00	2824-50

एक माह का व्ययानुमान	रु0-	2824-50
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	33,894-00
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु 5प्रति0 -		1,694-70
शासन द्वारा समय-2 पर की जानेवाली बढ़ोत्तरी हेतु एवं वेतन आयोग की सस्तुतियों के आधार पर की जाने वाली वृद्धि आदि हेतु 20प्रतिशत-	रु0-	7,117-74
दैनिक वेतन भागी कर्मचारियों हेतु	रु0-	11,160-00
रिक्त पदों हेतु सांकेतिक प्रविधान	रु0-	4,000-00
कुल योग	रु0-	57,866-44
अर्थात्	रु0-	58,000/=

[illegible]

पीठासीन अधिकारी का वर्ष 1981-82 का मूल बजट

34

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	अतिरिक्त मँह0भ0 एवं मँहगा0	भवन रायाभ0	किनगर भ0	प्रति भत्ता	अन्तिम सहायता	चिकित्सा भत्ता	योग
1-	पी0ओ0	1	1000-2000	2250/=	574-00	112-50	-		50-00	30-00	3016-00
2-	रीडर	1	280-460	537-60	364-00	80-64	25/=		25-00	25-00	1057-24
3-	स्टेनों	1	300-500	528-00	369-00	79-20	25/=		25-00	25-00	1051-20
4-	अहलमद	1	230-385	300-00	268-00	69-85	15/=		15-00	20-00	663-00
5-	अर्दली	1	165-215	232-80	206-00	34-90	12/=		10-00	20-00	515-70
6-	चपरासी	1	165-215	310-00	204-80	34-35	12/=		10-00	20-00	510-35
											6813-99

एक माह का व्ययानुमान- रु0- 6,813-99
12 माह का व्ययानुमान- रु0- 81,767-88
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु5प्रतिशत - 4,088-39
शासन द्वारा समय-2 पर स्वीकृत मँहगाई
भत्ता एवं वेतन आयोग की संस्तुति हेतु20प्र0-17,171-25
दैनिक वेतन भोगी हेतु- रु0- 5,138-00

कुल योग- रु0- 1,08,165-52
अर्थात् रु0- 1,08,000/=

{ए0एल0गुप्ता/81}

सम्पत्ति विभाग का वर्ष -1981-82 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	व्यक्तिगत वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मु0भत्ता	भावनिक0 भत्ता	नगरपूर्ति भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्तरिम सहायता	सवारी भ0	धुलाई भत्ता	योग
1-	प्रधान लिपिक	1	240-424	314/=	-	18-00	245-40	47-10	15-70	7-00	15/=	-	-	662-20
2-	पृ0श्रे0लिपिक	4	195-315	1036/=	9-00	72-00	844-34	155-40	51-80	80-00	60/=	-	-	2308-54
3-	द्वि0श्रे0लिपिक	8	185-280	1643/=	15-00	120-00	1339-05	246-45	82-15	160-00	120/=	-	-	3725-65
4-	चपरासी	6	165-215	1077/=	-	84-00	877-78	161-55	53-85	120-00	60/=	30/=	18/=	2482-18
				4070/=	24/=	294/=	3306-57	610-50	203-50	367-00	255/=	30/=	18/=	9179-57

एक माह का अनुमानित व्ययानुमान- रू0- 9,179-57

12 माह का अनुमानित व्ययअनुमान- रू0- 1, 10,142-84

अवेकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रतिशत - 5,507-20

शासन द्वारा समंजय-2 पर की जाने वाली बढ़ोत्तरी हेतु तथा वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर की जाने वाली वृद्धि आदि हेतु 20प्रतिशत- रू0- 23,130-00

दैनिक वेतन भागी कर्मचारी- - 3,720-00

कुल योग रू0- 1, 42,500-04

अर्थात् रू0- 1, 43,000/=

एल0एल0गुप्ता

राजस्व विभाग वर्ष 1981-82 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	वैयक्तिक वेतन	महँगाई भत्ता	अतिरिक्त म0भ0	भावनिक0 भत्ता	नगरप्र0 भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अंतरिम सहायता	सवारी भ0	धुलाई भ0	योग
1-	प्रधान लिपिक	1	240-424	297/=	-	10-00	242-00	44-55	14-05	7-00	15-00	-	-	630-40
2-	सहायक कर अधीक्षक	1	300-510	300/=	-	10/=	244-50	45-00	15-00	7-00	15-00	10/=	-	654-50
3-	प्रथम श्रेणी लिपिक	3	195-315	701/=	1/=	54/=	636-50	117-20	39-00	60-00	45-00	-	-	1733-70
4-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	6	185-200	1435/=	51/=	100/=	1169-60	215-25	71-00	120-00	90-00	-	-	3260-50
5-	जिलेदार	6	185-200	1370/=	21/=	100/=	1123-00	206-70	68-90	120-00	90-00	60/=	-	3175-60
6-	चपरासी	4	165-215	750/=	-	56/=	617-00	113-70	37-90	80-00	40-00	20/=	12/=	1735-40
7-	सहायक निदेशक (राज0)		-	1000/=	-	24/=	550-00	112-50	-	-	50-00	-	-	1816-50
				6029/=	73/=	306/=	4503-30	854-90	247-40	394/=	345/=	90/=	12/=	13014-60

एक माह का व्ययानुमान-	रु0-	13,014-60
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	1,56,175-20
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रतिशत -		7,800-76
शासन द्वारा समय-2 पर की जाने वाली बढ़ोत्तरी तथा वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर की जाने वाली वृद्धि हेतु 20प्रतिशत-		32,796-74
कुल योग	रु0-	1,96,700-75
अर्थात्	रु0-	1,97,000/=

(एस0एल0गुप्ता/01)

रेन्ट विभाग का वर्ष -1981-82 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भ0	अतिरिक्त भ0 मं0 भत्ता	किरायान भ0 भत्ता	गुरप्रति भ0 भत्ता	चिकित्सा भ0 भत्ता	अंतरिम सहाय0	सवारी भ0	धुलाई भ0	योग
1-	टैक्स सुपुरिन्टेन्डेन्ट	1	350-700	300/=	10/=	243-00	57-00	19-00	10-00	25-00	75/=	-	027-00
2-	सहायक कर अधीक्षक	1	300-510	300/=	10/=	177-10	46-20	15-40	10-00	15-00	10/=	-	599-70
3-	प्रधान लिपिक	1	240-424	356/=	10/=	190-40	30-40	12-00	20-00	-	-	-	650-60
4-	कर निरीक्षक	5	195-315	1030/=	90/=	970-30	154-00	51-50	100-00	75-00	30/=	-	2529-30
5-	प्रथम श्रेणी लिपिक	3	195-315	604/=	54/=	530-00	102-60	34-20	60-00	45-00	-	-	1509-00
6-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	5	105-200	1069/=	90/=	020-50	160-00	53-45	100-00	75-00	-	-	2375-95
7-	कर संचयक	11	105-200	2035/=	154/=	1577-00	305-05	101-55	220-00	165-00	110/=	-	4667-60
8-	चपरासी	3	165-215	579/=	42/=	440-90	06-05	20-95	60-00	30-00	30/=	9/=	1314-70
				6441/=	404/=	4901-20	950-60	316-05	500-00	445-00	275/=	9/=	14,402-65

एक माह का व्ययानुमान-	रु0-	14,402-65
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	1,73,791-80
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रतिशत	रु0-	0,609-55
शासन द्वारा समय-/2 पर की जाने वाली बढ़ोत्तरी हेतु तथा वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर की जाने वाली वृद्धि हेतु 20प्रतिशत-	रु0-	36,496-27
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु -	रु0-	4,000-00
कुल योग	रु0-	2,22,977-62
अर्थात्	रु0-	2,23,000/=

{ए0एल0गुप्ता01}

नजूल विभाग का वर्ष -1981-82 का मूल बजट

क्रमांक	पद नाम	पदसं०	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मँहगाई भत्ता	भवनकिरण भत्ता	नगर प्र० भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अंतरिम सहायता	सवारी भत्ता	धुलाई भत्ता	अन्य	योग
1-	तहसील दार	2	-	1320/=	40/=	700-20	231-00	50-00	-	50-00	-	-	-	2479-20
2-	नायब तहसीलदार	2	-	1200/=	40/=	606-00	210-00	50-00	-	40-00	-	-	- -	2234-00
3-	कानून-गो	1	-	250/=	10/=	206-70	37-50	12-50	7/=	15-00	10/=	-	-	556-70
4-	प्रधान लिपिक	1	240-424	300/=	10/=	261-20	57-00	19-00	20/=	15-00	-	-	+0/=	700-20
5-	प्रथम श्रेणी लिपिक	5	195-315	1340/=	100/=	1130-60	202-20	67-40	120/=	90-00	-	-	-	3074-20
6-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	9	105-200	1353/=	100/=	1112-70	202-95	67-65	180/=	135-00	-	-	30/=	3189-30
7-	अमीन	5	105-200	994/=	70/=	728-60	134-10	44-70	100/=	15-00	50/=	-	-	2036-40
8-	सर्वेयर	7	105-280	1295/=	90/=	1055-40	194-25	64-75	140/=	70-00	70/=	-	- -	2937-40
9-	चपरासी	8	165-215	1534/=	112/=	1249-20	220-10	66-70	160/=	120-00	40/=	24/=	-	3526-00
				9574/=	620/=	7210-60	1489-10	442-70	727/=	550-00	170/=	24/=	40/=	20,863-40

एक माह का व्ययानुमान-	रु0-	20,863-00
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	2,50,360-00
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रतिशत	रु0-	12,518-04
शासन द्वारा समय-2 पर की जाने वाली बढ़ोत्तरी हेतु तथा वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर की जाने वाली वृद्धि आदि हेतु- 20प्रतिशत	रु0-	78,863-65
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु-	रु0-	20,485-00
कुल योग	रु0-	3,70,227-49
अर्थात्	रु0-	3,70,000/=

ए0एल0गुप्ता/81

विधि विभाग का वर्ष -1991-92 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भ0	अतिरिक्त मँह0 भ0	भवन कि0 भत्ता	नगर प्र0 भत्ता	चिकित्सा वाहन भत्ता	अन्तरिम सहायता	धुलाई भत्ता	योग
1-	विधि अधिकारी	1	800-1450	840/=	24/=	503-20	126-00	-	-	50/=	-	1543-20
2-	प्रथम श्रेणी लिपिक	2	195-315	512/=	36/=	410-00	77-00	25-65	40-00	30/=	-	1138-65
3-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	2	105-200	479/=	36/=	390-00	72-00	24-00	40-00	30/=	-	1071-00
4-	चपरासी	3	165-215	550/=	42/=	449-00	83-00	27-50	60-00	30/=	9/=	1260-50
												5013-35

एक माह का व्ययानुमान-	रु0-	5,013-35
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	60,160-20
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रतिशत	रु0-	3,000-00
शासन द्वारा समय-2 पर स्वीकृत मँहगाई भत्तों एवं वेतन आयोग की संस्तुतियों हेतु 20प्रतिशत-	रु0-	12,633-64
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु-	रु0-	852-00
कुल योग	रु0-	76,653-04
अर्थात रुपया-		77,000/=

§एस0एल0गुप्ता-01§

भवन विभाग का वर्ष -1981-82 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	वैयक्तिक वेतन	महँगाई भत्ता	अतिरिक्त वाहन महँ0भ0 भत्ता	भवनिक0 भत्ता	नगरप्र0 भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्तरिम सहायता	धुलाई भत्ता	योग
1-	अधिशासी अभियन्ता	1	650-1400	750/=	-	24/=	453-70 200/=	112-50	25-00	25-00	50-00	-	1640-20
2-	सहायक अभियन्ता	2	550-1200	1270/=	-	48/=	701-90 150/=	180-00	50-00	50-00	100-00	-	2549-90
3-	अवर अभियन्ता	12	280-464 300-500	3796/=	-	216/=	2914-10 760/=	569-40	189-00	240-00	190-00	-	8075-30
4-	प्रधान लिपिक	1	240-464	256/=	-	10/=	200-50 -	30-40	12-00	7-00	15-00	-	555-70
5-	प्रथम श्रेणी लिपिक	1	195-315	259/=	-	10/=	200-50 -	30-40	12-00	20-00	15-00	-	571-70
6-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	9	185-200	2017/=	94/=	150/=	1636-50 -	302-55	100-05	100-00	135-00	-	4623-90
7-	देसर	1	176-230	206/=	-	14/=	167-60 -	30-90	10-30	20-00	10-00	-	450-00
8-	ड्राफटमैन	1	200-464	336/=	10/=	10/=	245-60 -	47-25	15-75	20-00	15-00	-	697-60
9-	सर्वेयर	3	172-276	642/=	15/=	96/=	533-70 30/=	96-30	32-10	60-00	30-00	-	1535-10
10-	चपरासी	15	165-215	2045/=	-	210/=	2339-90 130/=	426-75	143-25	300-00	150-00	45/=	6509-90
				12406/=	119/=	820/=	- 1270/=	1842-45	552-65	922-00	710-00	45/=	20090-10

एक माह का वेतन-	रु0-	20,090-10
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	3,37,177-20
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रतिशत-	रु0-	16,050-06
शासन द्वारा समय-2 पर की जाने वाली बढ़ोत्तरी एवं वेतन आयोग द्वारा की गयी संस्तुति आदि हेतु 20प्रतिशत-	रु0-	1,06,210-01
गैंग मैन तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो हेतु-	रु0-	0,150-00
कुल योग रुपया-		4,60,396-07
अर्थात् रुपया-		4,70,000/=

एस0एल0गुप्ता-01

मुख्य अभियन्ता कार्यालय का वर्ष -1901-02 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मँह0भ0	भवनकि0भ'ता	नगरप्रति कर भ0	चिकित्सा भ'ता	अन्तरिम सहायता	वाहन भ0	धुलाई भ'ता	योग
1-	मुख्य अभियन्ता	1	1350-1700	1450/=	24/=	473-00	-	-	30/=	50/=	-	-	2027-00
2-	कम्पुयुटर	1	200-464	320/=	10/=	246-00	40-00	16-00	20/=	15/=	-	-	003-00
3-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	3	105-200	624/=	40/=	406-25	93-00	31-00	60/=	45/=	-	-	1402-20
4-	चपरासी	4	165-215	764/=	56/=	422-70	114-60	30-20	00/=	40/=	10/=	12/=	1467-50
													5079-70

एक माह का व्ययानुमान-	रु0-	5,079-70
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	70,556-40
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रति शत	रु0-	3,527-02
शासन द्वारा समय-2 पर मँहगाइ भ'ते की बढ़ोत्तरी एवं वेतन आयोग की संस्तुतियों आदि हेतु20प्रतिशत-		14,016-04
कुल योग रुपया-		00,901-[illegible]
अर्थात् रुपया -		09,000/=

{ए0एल0गुप्ता-01}

अभियन्त्रण खान्ड-1 का वर्ष-1901-02 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसंवेतन मान		मूल वेतन	वैयक्तिक वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त सहायता	भवनकि0 भत्ता	नगरप्र0 भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अंतरिम सहायता	वाहन भ0	धुलाई भत्ता	योग
1-	अधिशासी अभि0	1	650-1400	750-00	-	24/=	423-50	112-50	25-00	25-00	50-00	-	-	1410-00
2-	सहायक अभियन्ता	4	550-1200	2600-00	-	96/=	1571-75	390-00	75-00	90-00	200/=	150-00	-	5172-75
3-	अवर अभियन्ता	16	300-500 200-464	5230-00	-	200/=	3977-10	705-70	261-90	320-00	330/=	1200-00	-	12400-70
4-	सर्वेयर	1	176-250	105-00	-	14/=	150-00	27-75	9-25	20-00	10 /=	10-00	-	426-00
5-	प्रधान लिपिक	1	240-424	343-00	-	10/=	252-30	51-45	17-25	20-00	15/=	-	-	716-00
6-	प्रथम श्रेणी लिपिक	1	195-315	220-00	14/=	10/=	190-70	35-10	11-70	20-00	15/=	-	-	324-50
7-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	4	105-200	874-00	9/=	72/=	712-30	131-10	43-70	00-00	60/=	-	-	1902-10
8-	डाफट मैन	2	200-464 195-315	570-00	-	32/=	424-70	05-50	20-50	40-00	30/=	-	-	1210-70
9-	देसर	5	176-250	1012-00	21/=	70/=	024-00	151-00	50-50	100-00	50/=	-	-	2200-20
10-	वर्क एजेन्ट	1	172-226	195-00	-	14/=	150-90	29-25	9-75	20-00	10/=	10/=	-	446-90
11-	अमीन	6	105-200	1366-00	-	100/=	1113-30	204-90	60 -30	120-00	90/=	60/=	-	3130-50
12-	फैरो ब्वाय	1	160-210	197-00	-	14/=	160-60	29-55	9-05	90-00	10/=	-	3/=	431-00
13-	ड्राइवर	3	176-250	546-00	-	42/=	445-00	01-90	27-30	47-00	30/=	-	9/=	1220-20
14-	चपरासी	4	165-215	720-00	-	96/=	593-30	109-20	36-40	00-00	40/=	20/=	12/=	1719-90
15-	मिस्त्री	1	172-226	176-00	-	14/=	143-40	26-40	0-00	20-00	10/=	-	3/=	401/60
16-	पलम्बर	3	176-250	537-00	-	42/=	437-70	00-55	26-05	60/=00	20/=	-	9/=	1223-10
17-	इलेक्ट्रिशियन	1	172-226	176-00	-	14/=	143-40	26-40	0-00	20/=	10/=	-	3/=	401-60
18-	कारपेन्टर	1	176-250	179-00	-	14/=	149-90	26-05	0-95	20/=	10/=	-	3/=	411-70
19-	मेन्शन	1	172-226	176-00	-	14/=	143-40	26-40	0-00	20/=	10/=	-	3/=	401/60
20-	पाम्प अटेन्डेन्ट	1	160-210	172-00	-	14/=	140-20	25-00	0-60	20/=	10/=	-	3/=	393-60
21-	मेड	4	160-210	600-00	-	56/=	560-70	103-20	34-40	00-00	40/=	-	12/=	1574-30
22-	बेलदार	2	165-215	330-00	-	20/=	275-50	50-70	16-90	40/00	20/=	-	6/=	775-10
23-	बैंगण मन	10	165-215	1690-00	-	140/=	1377-40	253-50	04-50	200-00	100/=	-	30/=	3075-40
24-	हेल्पर	2	165-215	330-00	-	20/=	275-50	50-70	16-90	40-00	20/=	-	6/=	775-10
25-	चपरासी	1	165-215	169-00	-	14/=	137-70	25-35	0-45	20/=	10/=	-	3/=	307-50

शेष-2

26- चौकीदार	4	165-215	676/=	-	56-00	550-90	101-40	33-00	00/=	40/=	-	12/=	1550-10
27- स्वीपर	1	165-215	169/=	-	14-00	137-70	25-35	0-45	20/=	10/=	-	3/=	307-50
			20300/=.	44/=	1354/=	15472-45	3040-30	940-60	1629/=	1260/=	1450/=	120/=	45634-35

एक माह का व्ययानुमान -	रु0-	45,634-35
12 माह का व्ययानुमान -	रु0-	5,47,612-20
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रति-	रु0-	27,300-61
शासन द्वारा समय-2 पर महँगाइ भत्ते की बढ़ोत्तरी तथा वेतन आयोग की संस्तुति हेतु 20 प्रतिशत-	रु0-	1,14,990-56
अलीगंज के अतिरिक्त समस्त योजनाओ के पाक के रखा रखाव हेतु दैनिक वेतन भोगी माली तथा अन्य-	रु0-	35,200-00
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु-	रु0-	72,040-00
कुलयोगसमया-		7,97,143-37
अर्थात्	रु0-	7,97,000/=

अभियन्त्रण खान्ड-2 का वर्ष -1901-02 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मँह0भा0	भावनिक0 भत्ता	नगरपु0 भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्तरिम सहायता	वाहन भत्ता	धुलाई भत्ता	योग
1-	अधिशासी अभियन्ता	1	650-1400	900/=	24/=	490-50	135-00	-	25-00	50-00	-	-	1632-50
2-	सहायक अभियन्ता	3	550-1200	1750/=	72/=	1129-05	265-50	75-00	65-00	150-00	225-00	-	3751-55
3-	अवर अभियन्ता	13	300-500 & 200-464	4271/=	234/=	3405-90	640-65	213-55	260-00	325-00	1115-00	-	10465-10
4-	प्रधान लिपिक	1	240-424	400/=	10/=	202-00	60-00	20-00	20-00	15-00	-	-	815-00
5-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	5	105-200	1053/=	50/=	809-00	157-95	52-65	100-00	75-00	-	-	2306-40
6-	चपरासी	3	165-215	570/=	42/=	401 -65	85-50	20-50	60-00	45-00	10-00	9/=	1331-65
7-	डिवीजनल एकाउन्टेन्ट	1	425-750	744/=	-	450-15	111-60	37-20	25-00	-	-	-	1367-95
				9700/=	440/=	7137-05	1456-20	426-90	555-00	660-00	1350-00	9/=	21750-15

एक माह का व्ययानुमान-	रु0-	21,750-15
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	2,61,001-00
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रतिशत	रु0-	13,050-00
समय-2 पर मँहगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी एवं वेतन आ		
योग की सुस्तुति हेतु 20 प्रतिशत-	रु0-	54,010-36
अभियन्त्रण खान्ड-6 समाप्त होने के कारण 1/2		
स्टाफ खान्ड-3 में सम्मिलित किया गया-	रु0-	45,000-00
दैनिक वेतन भोगी माली-	रु0-	30,000-00
रिक्त पदों हेतु सांकेतिक प्राविधान-	रु0-	1,43,000-00
कुल योग	रु0-	5,48,062-16
अर्थात्	रु0-	5,47;000/=

[एस0एस0गुप्ता-01]

अभियन्त्रण खान्ड-3 का वर्ष 1901-02 का मूल बजट

क्रम सं0	पद नाम	पद सं0	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मँह0 भत्ता	भावनिक0 भत्ता	नुगर प्रति0 भत्ता	चिकित्सा सहायता	अन्तरिम भत्ता	वाहन भत्ता	धुलाई भत्ता	योग
1-	अधिशासी अभियन्ता	1	650-1400	1300/=	24/=	430-00	-	-	30-00	50-00		-	1034-00
2-	सहायक अभियन्ता	3	550-1200	1770/=	72/=	1040-20	265-50	75-00	65-00	150-00	225/=	-	3662-70
3-	अवर अभियन्ता	14	300-500 & 200-464	4570/=	236/=	3665-00	606-70	200-90	290-00	290-00	1050/=	-	11015-40
4-	प्रधान लिपिक	1	240-424	272/=	10/=	229-00	41-25	13-75	7-00	15-00	-	-	596-00
5-	लेखा लिपिक	1	195-315	244/=	10/=	206-20	36-60	12-20	20-00	15-00	-	-	552-00
6-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	4	195-200	340/=	0/= 60/=	709-00	126-00	42-00	00-00	60-00	-	-	1925-00
7-	चपरासी	3	165-215	550/=	42/=	464-00	82-50	27-50	60-00	30-00	-	9/=	1265-00
8-	डिवीजनल एकाउन्टेन्ट	1	425-750	760/=	441-60	115-20	34-55	25-00	-	-	-	-	1304-35
				10322/=	0/= 470/=	7100-20,	1353-75,	433-90	567/=	610-00,	1275-00	9/=	22236-05

एक माह का व्ययानुमान-	रु0-	22,236-05
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	2,66,042-20
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5 प्रतिशत	रु0-	13,342-00
शासन द्वारा समय-2 पर मँहगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी तथा वेतन आयोग की संस्तुतियों हेतु 20 प्रतिशत	रु0-	56,036-04
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु-	रु0-	11,532-00
रिक्त पदों हेतु आँशिक प्राविधान -	रु0-	53,000-00
कुल योग	रु0-	4,00,753-04
अर्थात्	रु0-	4,01,000/=

[illegible]

अभियन्त्रण छान्ड-4 का मूल बजट 1901-02

क्रमसं०	पद नाम	पदसं०	वेतन मान	मूल वेतन	वैयक्तिक वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मँहभत्ता	भावनिक० भत्ता	शहर भत्ता	प्रति० भत्ता	चिकित्सा सहायता	अन्तरिम भत्ता	सवारी भत्ता	धुलाई भत्ता	योग
1-	अधिशासी अभि०	1	650-1400	1100/=	-	24/=	473-00	165-00	-		25-00	50-00	75/=		1912-00
2-	सहायक अभियन्ता	2	500-1150	1210/=	-	40/=	692-10	04-00	50/=		50-00	100-00	75/=	-	2309-10
3-	अवर अभियन्ता	14	300-500	4370/=	-	252/=	3370-306	55-50	210-50		200-00	260-00	1050/=	-	10464-30
4-	प्रधान लिपिक	1	240-424	352/=	-	10/=	240-00	52-00	17-60		20-00	15-00	-	-	716-20
5-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	4	105-200	812/=	21/=	74/=	617-30	121-00	40-60		67-00	60-00	-	-	1013-70
6-	लेखाकार	1	-	271/=	-	10/=	210-00	40-45	13-50		20-00	15-00	-	-	500-20
7-	चपरासी	3	165-215	505/=	-	42/=	453-40	07-75	29-20		60-00	30-00	-	9/=	1296-50
															19100-00

एक माह का व्ययानुमान-	रु०-	19,100-00
12 माह का व्ययानुमान-	रु०-	2,29,200-00
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रतिशत	रु०-	11,460-00
शासन द्वारा समय-2 पर बढ़ोत्तरी तथा वेतन आ-		
योग की संस्तुति आदि हेतु 20 प्रतिशत-	रु०-	40,132-00
दैनिक वेतन भोगी माली-	रु०-	35,100-00
छान्ड-6 का 50 प्रतिशत-	रु०-	45,000-00
रिक्त पदों हेतु -	रु०-	31,000-00
कुल योग	रु०-	3,99,092-00
अर्थात्	रु०-	4,00,000/=

[इ०एल०गुप्ता-01]

अभियन्त्रण खन्ड-5 एवं ट्रॉसपोर्ट नगर का वर्ष 1901-02 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मँह0भ0	भवनकि0 भत्ता	नगरप्रति0 भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्तरिम साहायता	धुलाई भत्ता	वाहन भ0 भत्ता	योग
1-	अधिशासी अभि0	1	650-1400	1400/=	24/=	550-00	210-00	-	30-00	50/=	-	-	2264-00
2-	सहायक अभियन्ता	3	550-1200	2000/=	72/=	1103-20	300-00	75-00	75-00	150/=	-	225/=	4000-20
3-	अवर अभियन्ता	16	300-500 200-464	4492/=	200/=	3040-70	673-00	224-60	320-00	400/=	-	1200/=	11439-10
4-	प्रधान लिपिक	1	240-424	370/=	10/=	273-60	55-50	10-50	20-00	15/=	-	-	770-60
5-	प्रथम श्रेणी लिपिक	2	195-315	500/=	36/=	427-50	75-00	25-00	40-00	30/=	-	-	1133-50
6-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	7	105-200	1193/=	126/=	1020-00	170-95	59-65	140-00	105/=	-	-	2022-60
7-	चपरासी	5	165-215	944/=	70/=	807-10	141-60	47-20	100-00	50/=	15/=	50/=	2224-90
8-	डिवीजनल एकाउन्टेन्ट	1	425-750	760/=	-	464-70	115-20	34-60	-	-	-	-40/=	1422-50
				11667/=	634/=	8566-00	1750-05	404-55	725/=	040/=	15/=	1515/=	26157-40

एक माह का व्ययानुमान-	रु0-	26,157-40
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	3,13,000-00
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रतिशत	रु0-	15,694-00
शासन द्वारा मँहगाई भत्ते की बढ़ोतरी एवं वेतन आयोग की संस्तुतियों हेतु 20 प्रतिशत-	रु0-	90,075-00
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु-	रु0-	35,200-00
सांकेतिक रिक्त पदों हेतु प्रावधान		26,157-
कुल योग	रु0-	4,09,015-00
अर्थात्	रु0-	4,90,000/=

(ए0एल0गुप्ता-01)

प्लानिंग विभाग का वर्ष -1981-82 का मूल बजट

क्रमसं0	पद नाम	पदसं0	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मँ0 भत्ता	भवनिक0 भत्ता	नगरपूति0 भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्तरिम सहायता	सवारी भत्ता	योग
1-	वरिष्ठ० नगर नियोजक	1	1600-100	1930/=	24/=	492-00	-	-	-	-50/=	-	2446-00
2-	सहायक नगर नियोजक	1	550-1400	960/=	24/=	307-00	129-00	25/80	25-00	50+100=150		1600-00
3-	सहायक वास्तुविद	2	550-1400	1200/=	40/=	794-00	192-00	50-00	60-00	100+100=200		2714-00
4-	ड्राफ्ट मैन ग्रेड-1	4	325-575	1360/=	72/=	1163-40	204-00	60-00	67-00	100/=	-	3032-40
5-	आर्च-कॉम-प्लानिंग असि।		350-700	400/=	20/=	274-00	70-50	23-50	7-00	25/=	-	900-00
6-	देसर	2	200-320	410/=	36/=	350-55	61-50	20-50	40-00	30/=	-	940-55
7-	नील मुद्रक	1	165-215	165/=	14/=	135-60	24-75	0-25	20-00	10/=	-	377-60
8-	ड्राईवर	1	-	100/=	14/=	153-20	20-20	9-40	20-00	10/=	-	422-00
9-	लिपिक	4	105-280	810/=	60/=	699-40	122-70	40-90	00-00	60/=	-	1301-00
10-	नोटिस सर्वराकार	2	165-215	340/=	42/=	290-70	51-00	17-00	40-00	20/=	10/=	816-70
												15139-05

एक माह का व्ययानुमान-	रु0-	15,139-05
12 माह का व्ययानुमान-	रु0-	1,01,660-60
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5प्रतिशत	रु0-	9,003-43
शासन द्वारा समय-2 पर स्वीकृत मँहगाई भत्ता एवं वेतन आयोग की संस्तुतियों हेतु 20 प्रतिशते-	रु0-	30,150-40
प्लानिंग विभाग के रिक्त पदों हेतु-	रु0-	2,47,000-00
कुल योग	रु0-	4,75,903-00
अर्थात्	रु0-	4,76,000/=

एस0एल0गुप्ता-81

अभियन्त्रण खान्ड-6 का वर्ष-1981-82 का मूल बजट

क्रमसं०	पद नाम	पदसं०	वेतन मान	मूल वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मँह० भ०	नगर प्रति० कर भ०	चिकित्सा भत्ता	तकनीकी० भत्ता	अंतरिम सहायता	धुलाई भत्ता	योग
1-	अधिशासी अभि०	1	650-1400	1250/=	24/=	478-00	-	30/=	-	50-00	-	1784-00
2-	प्रधान लिपिक	1	240-424	209/=	10/=	223-00	14-45	7/=	43-35	15-00	-	589-80
3-	प्रथम श्रेणी लिपिक	1	195-315	220/=	10/=	170-50	11-00	20/=	33-00	15-00	-	487-50
4-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	2	105-200	390/=	20/=	300-40	19-90	40/=	69-70	30-00	-	884-00
5-	चपरासी	2	165-215	372/=	20/=	200-20	10-60	40/=	55-00	20-00	6/=	920-60
6-	ड्राइवर	1	172-250	170/=	14/=	137-60	0-90	20/=	26-60	10-00	3/=	498-50
												5072-40

एक माह का व्ययानुमान- रु०- 5,072-40
12 माह का व्ययानुमान- रु०- 60,076-00
अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 5 प्रतिशत रु०- 3,043-00
शासन द्वारा समय-2 पर मँहगाई भत्ते की बढ़ो-
तरी एवं अन्य संस्तुतियों हेतु 20 प्रतिशत- रु०- 19,175-70
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु - रु०- 7,444-00

कुल योग रु०- 90,535-50

अर्थात् रु०- 91,000/=

50 प्रतिशत खान्ड-2 में
50 प्रतिशत खान्ड-4 में
सम्मिलित है

एस०एल०गुप्ता-01

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-4-1980, जो आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में हुई, का कार्यवृत्त

- : 0 : -

उपस्थित :

1- श्री योगेन्द्र नारायण - कार्यवाहक अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, लखनऊ ।

2- श्री राधे कृष्ण गुप्त - उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

3- श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव - संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग, विधान भवन, लखनऊ ।

4- श्री जयन्ती प्रसाद दुबे - मुख्य ग्राम एवं नगर निवोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- श्री उमा कान्त - प्राविधिक सलाहकार, आवास सचिवालय शाखा, उ0प्र0 शासन ।

6- श्री ओ0पी0 विश्नोई - महाप्रबन्धक (प्र0 एवं नि0) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।

7- श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम - सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

8- श्री करुणा शंकर वाजपेयी - सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

9- श्री एम0ए0 लारी - सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

अन्य उपस्थित:

1- श्री डी0एस0वर्मा - सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण

अन्य विषय: श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में किये गये कार्यों के लिये सराहना ।

पारित प्रस्ताव:

अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण एवं सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी भूतपूर्व उपाध्यक्ष का लखानऊ विकास कार्य में प्रशंसनीय योगदान रहा है । इसे दृष्टिगत रखाते हुए निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया:-

"" लखानऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के रूप में श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी की सेवाओं की सराहना करता है ।""

क्रमश:---2

विषय संख्या:1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 2-2-1980 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 2-2-1980 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

विषय संख्या:2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की दिनाँक 24-11-1979, 22-12-1979 एवं 2-2-1980 की बैठकों में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या ।

पारित प्रस्ताव: अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्न-लिखित निर्णय लिये गये :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 28-9-1979 के कार्यवृत्त की निम्न संशोधन के साथ पुष्टि की गई थी :-

2.1 "विषय संख्या-2 में पारित प्रस्ताव-1 के स्थान पर अब निम्नलिखित वाक्य लिया जाये :-

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि अर्जन से मुक्त न की जाय तथा डा0 टण्डन को उनकी इस अर्जित भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि पिछले निर्धारित नियमों व दरों व शर्तों पर आवण्टित कर दी जाये ।"

निर्णय लिया गया कि की जा रही कार्यवाही को स्पष्ट किया जाये तथा 15 दिन के अन्दर डा0 टण्डन को उनकी अर्जित भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि पिछले निर्धारित नियमों, दरों व शर्तों पर आवण्टित कर दी जाये ।

2.2 विषय संख्या-6क में अब निम्नलिखित पैरा भी जोड़ दिया जाये :-

"उत्तर प्रदेश जल निगम को स्कीम की कास्ट पर हाता रसूल खाँ में भूमि दे दी जाये तथा विषय संख्या 6ख के पारित प्रस्ताव के क्रम में संख्या-ख के बाद एक क्रमसंख्या-ग भी जोड़ दिया जाये, जो निम्न प्रकार से होगा :-

"विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि छोड़े जाने एवं विस्थापितों हेतु गाइड-लाइन्स तैयार करने हेतु एक उप-समिति गठित की जाती है, जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं श्री एम0ए0 लारी, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण और आयुक्त एवं सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधि सदस्य होंगे । यह उप-समिति अपनी रिपोर्ट विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी ।"

क्रमश:--- 3.

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आगामी बैठक में रखा जाय ।

2.3 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-1979 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या :-

तालकटोरा रोड स्थित भूखंड संख्या-4, जिसका भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण ने रिपोर्ट माँगी थी, निर्णय लिया गया था कि :-

क- पत्रावली खोने के बारे में जाँच की जाये व जिम्मेदारी निर्धारित की जाय तथा जिम्मेदार कर्मचारी को दण्डित किया जाये ।

ख- उक्त पत्रावली पुन: रिकान्स्ट्रक्ट की जाय ।

ग- मूल प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाय ।

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त में से प्रत्येक विन्दु पर रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाय ।

2.4 नजूल कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुपालन ।

निर्णय लिया गया कि कलेक्टरेट में नक्शें एवं अभिलेख पूर्णा. करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय तथा अमीन आदि की जो नियुक्ति बाकी हो उसे शीघ्र किया जाये । एक वार्ड में सर्वे का समय बध्द कार्य प्रारम्भ कराया जाये । नजूल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाये ।

2.5 नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग़ स्टेशन तक यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में 24-11-1979 की प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया था कि निर्धारित शर्तों के साथ प्रथम चरण में 50 आटो-रिक्शा क्रय किये जायें ।

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में 15 दिन के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

2.6 "अ" सेक्टर "एल" अलीगंज योजना द्वितीय चरण में जनसंख्या के घनत्व पार्क का क्षेत्रफल कम करने तथा मार्गों की चौड़ाई कम करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाय ।

"ब" अलीगंज योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एम" में जनसंख्या का घनत्व 285 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6.30 प्रतिशत तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फुट रखने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि

---4

इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को रिपोर्ट भेज दी जाये ।

"स" अलीगंज आवासीय क्षेत्र के द्वितीय चरण में सेक्टर "एन" में जनसंख्या का घनत्व 373 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 8 प्रतिशत तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फुट रखाने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया कि इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाये ।

निर्णय लिया गया कि कृत कार्यवाही का विस्तृत अगली बैठक में अनुपालन आख्या में दिया जाये ।

2.7 ओल्ड पोस्ट आफ़िस कामर्शियल काम्पलेक्स की स्केच एवं वर्किंग ड्राइंग तैयार करने के लिये रु0 2.34 लाख मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तावित फीस के भुगतान का निर्णय लिया गया था ।

निर्णय लिया गया कि नगर नियोजन विभाग को उपरोक्त भुगतान शीघ्र किया जाये ।

2.8 प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 24-11-1979 में निर्णय लिया गया था कि लखनऊ नगर का प्रमाणिक मानचित्र तैयार करने हेतु सर्वेक्षण के सम्बन्ध में समस्या का अध्ययन करके प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

निर्णय लिया गया कि दिनाँक 30-4-1980 के पहले उपाध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय तथा विषय अगली बैठक में रखा जाये ।

2.9 सिण्डर्ड डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित की गई दुकानों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि सिण्डर्ड डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित 38 दुकानों के आवन्टन की कार्यवाही शीघ्र की जाये ।

2.10 प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा वाहनों का निजी प्रयोग में लिये जाने के प्रश्न पर सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण के वाहनों के निजी प्रयोग का प्रश्न नहीं उठता है ।

2.11 भूखण्ड संख्या-3 मोतीझील सा मिल योजना के अन्तर्गत आवन्टन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में यदि शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो इसकी स्थिति ज्ञात कर ली जाये तथा विधिक राय एवं शासन के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए उपाध्यक्ष इस पर अन्तिम निर्णय ले लें ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष के समक्ष दिनाँक 25-4-1980 तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये ।

क्रमशः----5

2.12 तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या-4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के एवं तत्सम्बन्धी विषय पर नीति निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने की संस्तुति की जाती है तथा संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाये ।

निर्णय लिया गया कि यह दर्ज किया जाये कि शासन को संस्तुति कब भेजी गई तथा शासन से शीघ्र आदेश प्राप्त किये जायें तथा इस सम्बन्ध में शासन को स्मरण भी कराया जाये ।

2.13 प्रथम चरण में निर्मित नक्खास मार्केट की दूकानों के समक्ष निर्मित पार्क को हटाकर खाड़ंजे या फर्श लगने का कार्य प्राधिकरण के व्यय पर कराने का निर्णय लिया गया था ।

निर्णय लिया गया कि पार्क को हटाकर खाड़ंजे अथवा फर्श लगाने का कार्य शीघ्र कराया जाये ।

2.14 लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ गाइड-लाइन्स निर्धारित की गई थी तथा कैटिल कालोनी की स्थापना के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये गये थे ।

निर्णय लिया गया कि कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये ।

<u>विषय संख्या:3</u> बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति-आख्या ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> स्थगित

<u>विषय संख्या:4</u> कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों के विक्रय एवं ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में निर्णय

<u>पारित प्रस्ताव:</u> लखनऊ ट्रक ट्रान्सपोर्टर्स ऐसोसियेशन के अध्यक्ष के पत्र दिनांक 15-3-1980 में उल्लिखित आपत्तियाँ तथा उनपर टिप्पणियों का प्राधिकरण ने अवलोकन किया तथा निम्न निर्णय लिये:-

4.1 जिन व्यक्तियों ने ट्रान्सपोर्ट नगर में विक्रय के लिये उपलब्ध भूखण्डों के लिये रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके प्रार्थनापत्रों को स्क्रुटनाइज़ करके उन्हे भूखण्ड आवन्टन की कार्यवाही की जाये ।

क्रमश:----6

4.2 समाचार पत्रों में ट्रान्सपोर्ट नगर के भूखण्डों के रजिस्ट्रेशन हेतु पुनः विज्ञापन दिया जाये ।

4.3 रजिस्ट्रेशन के लिये फार्म एवं विवरण-पुस्तिका सीधे प्रार्थियों को ही दी जाये किसी अन्य माध्यम से नहीं ।

4.4 इस मामले में विधिक राय ली जाय कि गुड्स ट्रान्सपोर्ट्स वेहिकिल्स को किस प्रकार ट्रान्सपोर्ट नगर में जाने के लिये बाध्य किया जा सकता है ? यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त उपलब्धियों के लिये अधिनियमों में भी संशोधन कराया जाये ।

विषय संख्या:5

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:6

अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एन" के जनसंख्या के घनत्व तथा मार्गों की चौड़ाई उत्तर-प्रदेश बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट 1958 में निर्धारित चौड़ाई से कम रखने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:7

लक्ष्मण टीले के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अतिथि-गृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:8

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:9

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट वर्ष 1980-81

पारित प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल बजट 1980-81 पर विचार-विमर्श किया गया था तथा निम्न निर्णय लिये गये :-

क्रमशः----7

9.1 बजट को निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए पुन: रिकास्ट किया जाये:-

अ- बजट हाई-लाइट्स को सही ढ़ँग से प्रस्तुत किया जाये ।

ब- बजट ऐट ए ग्लान्स स्पष्ट रूप से रखा जाये ।

स- 31-3-1980 तक का वास्तविक आय-व्यय भी बजट में दिखाया जाये ।

द- आय व्यय के प्रमुख मदों को सन्दर्भित करते हुए (Explanatory memos) भी दिये जायें ।

9.2 यह भी निर्णय लिया गया कि बजट पर विचार करने के लिये दिनाँक 28-4-1980 के पूर्वान्ह 11-30 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण के समिति कक्ष में पुन: बैठक का आयोजन किया जाय ।

9.3 बजट की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवर्तक तथा आवश्यक अनावर्तक व्यय उपाध्यक्ष प्राधिकरण की अगली बैठक होने तक करते रहें ।

विषय संख्या:10

अलीगँज योजना, मोतीझील योजना तथा कानपुर रोड योजना के लिये हडको व्दारा स्वीकृत ऋणों के आहरण हेतु ऋण लेने का प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्वीकृत होना है साथ ही साथ ऋण अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने एवं कामन सील के प्रयोग हेतु सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने का प्रस्ताव भी आवश्यक है । तद्नुसार प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

प्रस्तुत प्रस्ताव:

हाउसिंग ऐण्ड अरबन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली व्दारा अलीगँज आवास योजना एवं मोतीझील आवास योजना के लिये ऋण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा कानपुर रोड योजना की स्वीकृति भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है । उपरोक्त योजनाओं के विवरण निम्न प्रकार हैं :-

योजनायें	शुध्द ब्याज की दर	अलीगँज योजना	मोतीझील योजना	कानपुर रोड योजना	योग
1	2	3	4	5	6
1-दुर्बल आय वर्ग	5%	500	328	224	1052
2-अल्प आय वर्ग	7%	200	-	202	402
3-साइट-सर्विसेज़	4%	800	-	233	1033
ऋण की धनराशि (लाखों में)	-	79.92	22.63	49.36	151.91

-------8

अत: लखानऊ विकास प्राधिकरण व्दारा हडको से उपरोक्त योजनाओं के लिये कुल रू0 151.91 लाख का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की जाती है । उक्त ऋण हेतु शासन से गर्वनमेन्ट गारन्टी लेने की भी अनुमति प्रदान की जाती है । जिसके लिये विकास-प्राधिकरण काउन्टर गारन्टी देने के लिये सहमत है । हडको से अनुबन्धा पर हस्ताक्षर करने एवं कामन सील का प्रयोग करने के लिये सचिव, विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया ।

ह0 ध्यान सिंह वर्मा
{ध्यान सिंह वर्मा}
सचिव
लखानऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त
x=x=x=x=x=x

ह0 योगेन्द्र नारायणा
{योगेन्द्र नारायणा}
कार्यवाहक अध्यक्ष
लखानऊ विकास प्राधिकरण
ल ख ा न ऊ ।

दिक्षित/रज़ा